लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०६, २४११, २४१४ से २४१६, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२६ से २४३६, २४३६, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०६ से ६११, ६१३ से ६४५ और ६४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४८ से ६८३, ६८५ से ६९१ और ६९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३६, २५४३, २५४८, २५४६, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६४ से १०१६ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७६, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५६० से २५६७, २५६६, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६६ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८६, २५६८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५६---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४६, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०६, २६१९, २६२३, २६२७, २६२६, २६३१, २६३६, २६३७, २६३६, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६६३, २६६६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक-सभा

बुधवार, ४ मई, १९५५

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कोलार के स्वर्ण-क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री० टी० बी० विट्ठल राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार क्षेत्र के सोने की खानों के श्रमिकों ने, कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा, औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित करने से अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप १७ अप्रैल, १९५५ से हड़ताल प्रारम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता कराने की बातचीत आरम्भ की गई है ; और

(ग) सरकार इस विवाद का निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कोलार सोना क्षेत्र की सोने की खानों के लगभग १०,००० श्रमिकों ने १३ अप्रैल, १९५५ से इस बात पर हड़ताल कर दी कि श्रमिकों की कुछ श्रेणियों की मजूरी की दर का तुरन्त परिवर्तन किया जाये। न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार खान के प्रबन्धकों से, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से, इस परिवर्तन का निश्चय कर लेने को कहा गया था। न्यायाधिकरण के निदेशानुसार प्रबन्धक लोग वर्तमान मजूरी की दरों में तीन आने की एक रूप वृद्धि करने को प्रस्तुत थे, किन्तु श्रमिकों ने मजूरी दरों का तुरन्त परिवर्तन किये जाने की मांग की। प्रबन्धकों ने यह करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी मजूरी की वृद्धि के विरुद्ध की गई अपील, जो कि न्यायाधिकरण से स्वीकृत हो चुकी थी, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष निलम्भित है।

(ख) और (ग). प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मद्रास के हस्तक्षेप से, यह निर्णय किया गया कि हड़ताल तोड़ दी जाये तथा सभी अवशेष वादों पर सीधी वार्ता आरम्भ की जाय। तदुपरान्त श्रमिकों ने २७ अप्रैल, १९५५ से पुनः काम करना आरम्भ कर दिया है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : समझौता पदाधिकारी तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्त कोलार कब गये थे ? क्या वे हड़ताल के पश्चात् ही गये अथवा उन्होंने हड़ताल के पूर्व जाकर हड़ताल रोकने का प्रयत्न भी किया ?

श्री आबिद अली : हड़ताल प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व वे वहां गये थे।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: सरकार कोलार सोना क्षेत्र जांच समिति के इस परिणाम पर क्या करने का विचार कर रही है कि कम्पनी के प्रबन्धक खानों को देश के हित में नहीं चला रहे है ?

श्री आबिद अली : यह एक पृथक् प्रश्न है, जो प्रस्तुत प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

विमानों का विवश होकर उतरना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री एस० जी० पारिख (डा० जे० एन० पारिख की ओर से) : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता जाने वाले स्काईमास्टर तथा राजकोट जाने वाले डाकोटा को २३ अप्रैल, १९५५ को विवश हो कर उतरना पड़ा जिससे कि यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो विमानों का विवश हो कर उतरने का कारण क्या था ; और

(ग) सरकार ऐसे विमानों के विवश हो कर उतरने तथा इंजिनों की खराबी की बहुलता को ध्यान में रखते हुये कुशलता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अनुसूची के अनुसार बम्बई से कलकत्ता को जाने वाले एक स्काई मास्टर को २३ अप्रैल, १९५५ को एक इंजिन के बन्द हो जाने के परिणाम स्वरूप पंखों के न चल सकने के कारण औरंगाबाद में विवश हो कर उतरना पड़ा। विमान औरंगाबाद पर उतरा। यात्रियों को उन के निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाने के लिये सहायतार्थ बम्बई से एक विमान भेजा गया था। विवश होकर उतरने और औरंगाबाद में रुकने के दौरान उन यात्रियों की ठीक तरह से देख भाल की गई। तथा अपने निर्दिष्ट स्थान में पहुंचने तक उन्हें केवल छः घंटों का विलम्ब हुआ।

राजकोट विमान क्षेत्र में डाकोटा की घटना इस प्रकार है कि वह डाकोटा भुज से बम्बई तक जाने को था और तूफानी हवाओं के कारण राजकोट में अनुसूचित (निश्चित) कार्यक्रम के अनुसार रुकते समय अपने मार्ग से विलग हो गया। वह नरम स्थान पर रुकने के कारण धंस गया। उसे खींच कर निकालना पड़ा और इस प्रकार राजकोट से प्रस्थान करने में दो घंटे का विलम्ब हुआ। सरकार को, यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी होने के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ग) इंजिन की खराबियों एवं दुर्घटनाओं को रोकने का यथा शक्ति प्रयत्न किया जाता है सरकार द्वारा इंजिनों के बन्द हो जाने तथा अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही समय-समय पर सभा को बताई गई है। फिर भी में लोक-सभा-पटल पर इस प्रकार की कार्यवाही का एक विवरण रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ११**]

श्री टी० बी० बिट्ठल राव : सभा-पटल पर रखे गये विवरण को मद (६) के अनुसार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए साधारण व्यय की अनुसूची में परिवर्तन कर दिया गया है। तथा ये अनुसूचियां अमरीका तथा ब्रिटेन की अनुसूचियों से भी अधिक ब्योरेवार हैं। क्या ब्रिटेन तथा अमरीका में रखी जाने वाली अनुसूचियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा। जहां तक अनुसूची के वास्तविक फेरबदल का सम्बन्ध है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरणार्थ, हरक्यूलीस इंडिया की पूरी सफाई के बीच की अवधि को

९०० घंटे से घटा कर ८५० घंटे कर दी गयी है। इसी प्रकार अनुसूची में परिवर्तन करने की अन्य कार्यवाही की गई है, जिससे कि यांत्रिक खराबियां न होने पायें।

श्री जी० एस० सिंह : सरकार असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुसार विमान चालकों तथा भूमि इंजीनियरों की अनुज्ञप्तियों का कब तक पुनरीक्षण करने वाली है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, हमने मास्ट समिति नामक एक समिति नियुक्त की थी। उसने भी इस प्रश्न पर विचार किया तथा इस सम्बन्ध में मंत्रणा दी। हमने कुछ कार्यवाही की है जिसका मैं पृथक् प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर दे सकता हूं।

डा० रामा राव : क्या लोकर समिति ने नागपुर विमान दुर्घटना पर अपना प्रतिवेदन उपस्थित कर दिया है ?

श्री राज बहादुर : यह एक बिल्कुल पृथक् प्रश्न है जिसका मैं इस समय उत्तर देने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यह एक बिल्कुल पृथक् मामला है।

श्री जोकीम आल्वा : परीक्षण तथा सफाई-मरम्मत के लिये इंजिन कहां भेजे जाते हैं ? क्या वे हिन्दुस्तान विमान कारखाना, बंगलौर को भेजे जाते हैं अथवा सरकार के पास बम्बई के निकट किसी स्थान में इस प्रकार की कोई विशिष्ठ केन्द्रीय कर्मशाला है जिस प्रकार बंगाल क्षेत्र के लिये कलकत्ता में है ?

श्री राज बहादुर : एक कर्मशाला दिल्ली तथा दूसरी कलकत्ता में है। बम्बई में एयर इंडिया इन्टरनेशनल की कर्मशाला है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या आप मुझे एक अल्प सूचना प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने माननीय सदस्य का प्रश्न रखा तो वह उपस्थित नहीं थे। आज मैं ने प्रश्न रखने के पूर्व ही प्रधान मंत्री जी को उनका वक्तव्य देने के लिये बुलाया, क्योंकि वह जल्दी जाना चाहते थे। इसलिये माननीय सदस्य को इससे अधिक समय मिल गया। उन्हें यह सूचना दी गई थी कि वह अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिये १०-३० म० पू० यहां उपस्थित हों। उनका प्रश्न बुलाया गया किन्तु वे यहां नहीं थे। अब मौका उनके हाथ से छूटा है। मैं विवश हूं। फिर भी मैं माननीय सदस्य को उसके लिखित उत्तर की एक प्रति भेजने की व्यवस्था करूंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह प्रश्न कल लिया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी सूचना देनी होगी। मैं किसी भी माननीय मंत्री को सामान्य क्रम को छोड़ कर किसी अन्य समय यहां आने के लिये नहीं कह सकता। यदि कोई पृथक् सूचना दी जाये तो मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

डा० लोहिया का गिरफ्तार किया जाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया तथा प्रजा समाजवादी दल के अन्य छः कार्यकर्ता, उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के

परिणामस्वरूप मनीपुर के न्यायिक आयुक्त द्वारा २६ अप्रैल, १९५५ को छोड़ दिये गये;

(ख) क्या यह भी सच है कि डा० लोहिया तथा श्री अचाव सिंह निवारक निरोध अधिनियम के अधीन उसी दिन बन्दी-गृह के द्वार के बाहर पकड़ लिये गये; और

(ग) उन्हें किस आधार पर नजरबन्द किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत): (क) और (ख). जी हां।

(ग) निवारक निरोध अधिनियम १९५० की धारा ७ के अनुसार ज़िला दंडाधिकारी डा० लोहिया तथा अचाव सिंह उनकी नज़रबन्दी के कारण बता चुके हैं। वे राज्य सरकार तथा मंत्रणादाता बोर्ड को दंडाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन दे सकते हैं।

खण्ड ४—अंक ५६

४ मई, १९५५ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

६ आने (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

148 LSD

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव --

पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन . ५७५३--५८

कानपुर में श्रम-स्थिति . . ५७५८--६२

पटल पर रखे गये पत्र--

प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . ५७६२

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण . ५७६२-६३

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन . ५७६३-६४

समवाय विधेयक पर साक्ष्य ५८४८

राज्य सभा से सन्देश ५७६४--६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया . ५७६८

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार--असमाप्त ५७६८--५८४७, ५८४८--५९१६

खंड ९ से १२ . ५७६८--७९

खंड १३ से १८ . . . . . ५७७९--५८४७, ५८४८--७१

खंड १९ से २३ . . . . . ५८७२--९२

खंड २४ से ३८ . . . ५८९२--५९१६

अंक ४६—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५ . ४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५ ४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५ . . ४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण ४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन . . ४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन . ४५९२—४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा— . . . . . . ४५९३—४५९४
१९५५—५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४५९४
राज्य सभा से सन्देश . . . ४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल ४५९५—९७
सभा का कार्य . . ४५९७
वित्त-विधेयक . . ४५९७—४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत . . . ४६०९—४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत ४६३०—४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची ४६३२—४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक— ४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित . . ४६३६—४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ४६५५—४६८४

अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५

भारत का राज्य विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६८५—४७७०
सभा का कार्य ४७७०

संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन . . ४७७१—४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — . . . . .

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०
खण्ड २	

स्तम्भ

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गयें पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . . ५०७९

सभा का कार्य . . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड१ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

प्राक्कलन समिति—— स्तम्भ

कार्यवाही उपस्थापित ५२८२

बांडुंग में हुए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . . ५२८२—५२९५

भारत का राज्य बैंक विधेयक——

खंडों पर विचार——समाप्त . . ५२९५—५४५८

खंड २ से ५३ और १ . . . ५२९५—५४३०

अनुसूची एक से चार . . . . . ५४३०—५४५८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव——स्वीकृत . ५४५८—५४७२

सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक——

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय——बढ़ाया जाना . ५४७२—५४७४

अंक ५४——सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव——

कानपुर में श्रम स्थिति . ५४७५—५४७७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४७७

राज्य-सभा से सन्देश ५४७८

पटल पर रखे गये पत्र——

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३—५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि ५४७८

दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४—५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५—५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . . ५४७९

याचिका समिति——

पंचम प्रतिवेदन——उपस्थापित ५४७९

अनुपस्थिति की अनुमति . . . ५४७९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग ५४८०—५४८२

नागरिकता विधेयक ——पुर:स्थापित . . ५४८२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक——पुर:स्थापित . . ५४८३

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव——स्वीकृत . ५४८३—५५६८

समवाय विधेयक——

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन——उपस्थापित ५५६८

सभा का कार्य ५६१४

अंक ५५——मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र——

लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४ ५६१५—५६१६

लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४ ५६१५—५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	.६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

बुधवार, ४ मई, १९५५

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

स्थगन प्रस्ताव

पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : श्रीमान्, गोआ की हाल की कुछ घटनाओं के बारे में मैं यह वक्तव्य देना चाहता हूं।

गोआ की हाल की घटनाओं से, जो वहां बढ़ते हुए संकट की द्योतक हैं, सरकार को बड़ी चिन्ता है। पुर्तगाली प्राधिकारियों का न केवल गोआ की जनता से विश्वास उठ गया है, अपितु वे गोआ की पुलिस पर भी सन्देह करते हैं और सेना पर ही अधिक विश्वास करते हैं। गोआ की घटनाओं के बारे में हमारे पास अनेकों समाचार और अफवाहें आती हैं। प्राप्त समाचारों को पुष्ट करना सदैव सम्भव नहीं होता क्योंकि पुर्तगाली प्राधिकारी यह प्रयत्न करते हैं कि समाचारों को बाहर फैलने से रोका जाये।

जिस जानकारी को हम विश्वसनीय समझते हैं, उस के अनुसार मैं गोआ की हाल की घटनाओं का निम्न ब्योरा देता हूं।

१५ अगस्त, १९५४ को आरम्भ हुए सत्याग्रह आन्दोलन ने गोआ के भीतर और बाहर से गोआ निवासियों की टोलियों का रूप धारण किया जिन्हों ने नियत दिनों पर सत्याग्रह किया। परिणामस्वरूप २६ जनवरी, १९५५, गणराज्य दिवस, और १७ फरवरी, गैतोंडे दिवस, को सत्याग्रह किया गया। गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोआ के भीतर मपुका में अपना खुला अधिवेशन करने के लिये ६ अप्रैल निश्चित किया। इस अधिवेशन में श्रीमती सुधा जोशी को, जो नई निर्वाचित महिला सभापति हैं, अपना सभापति-भाषण पढ़ना था। क्योंकि गणराज्य दिवस और गैतोंडे दिवस के सत्याग्रह से पर्याप्त उत्साह उत्पन्न हो गया था और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा की गई सावधानी सम्बन्धी कार्यवाही के होते हुए भी १३५ से अधिक लोग बन्दी बनाये गये, तो पुर्तगाली सरकार ने ६ अप्रैल के लिये अपनी सारी पुलिस और सेना को संगठित किया। लोगों को डराने के लिये बल का पर्याप्त प्रदर्शन किया गया। सेना को बुलाया गया और परतागल व कनकोना जैसे स्थानों में टैंकों और आग्नेय युद्धास्त्रों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रवादी स्वयंसेवकों को, विशेष

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कर मरगांव, मपुका और पंजिम में निरोधात्मक बन्दी बनाया गया। सियोलिम में दो और कनकोना में छ: लड़कियों को बन्दी बनाया गया। राष्ट्रवादियों की ओर से पर्याप्त कार्यवाही हुई और परिणामस्वरूप गोआ कांग्रेसी पर्चों और भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा का प्रदर्शन किया गया।

मपुका में खुला अधिवेशन न हो सका, परन्तु श्रीमती सुधा जोशी, गोआ की राष्ट्रीय कांग्रेस की निर्वाचित महिला-सभापति ने अपना थोड़ा सभापति-भाषण पढ़ा। वह और चालीस से अधिक सत्याग्रही ६ तारीख को मरगांव व मपुका में पकड़े गये। ६ से २० अप्रैल तक कुल व्यक्तियों को बन्दी बनाने की सूचना है। समाचारों के अनुसार श्रीमती सुधा जोशी को पूछताछ करते समय दुर्वचन कहे गये तथा उन के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तीन पुरुष सत्याग्रहियों को खुले आम पीटा गया।

बाद के संवाद से पता चलता है कि ६ अप्रैल को मरगांव में लगभग २,००० लोगों की भीड़ को, जो सत्याग्रह देखने के लिये एकत्र हुए थे, तित्तर-बित्तर करने के लिये सेना बुलाई गई। सत्याग्रहियों के विरुद्ध निष्ठुरता व क्रूरता का व्यवहार किया गया। अन्तिम संवादों के अनुसार, मरगांव, मपुका और कनकोना में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है। २४ अप्रैल को बिचोलिम में दो पुलिस के सिपाहियों को गोआ के राष्ट्रवादियों की सहायता करने के अपराध में बन्दी बनाया गया। पुर्तगाली प्राधिकारी, गोआ की पुलिस पर अविश्वास कर के, सेना का अधिक-से-अधिक प्रयोग कर रहे हैं।

२१ और ३१ मार्च तथा १८, २१ और २७ अप्रैल, १९५५ को सैनिक न्यायाधिकरण न १५ अगस्त और सितम्बर १९५४ में पकड़े गये गोआ सत्याग्रहियों को इस प्रकार दंड दिया :—

१–२८ वर्ष का निर्वासिन या २० वर्ष का कठोर कारावास (श्री ऐंथोनी डी सोज़ा)

५–८ वर्ष का कठोर कारावास
१०–७ वर्ष का कठोर कारावास
८–६ वर्ष का कठोर कारावास
६–५ वर्ष का कठोर कारावास
११–४ वर्ष का कठोर कारावास
४–३ वर्ष का कठोर कारावास
१–४ वर्ष का कठोर कारावास

इन के अतिरिक्त, जुलाई १९५४ में पकड़े गये एक व्यक्ति को जिस पर राजनीतिक आधार का सन्देह था, १० मार्च, १९५५ को चार वर्ष का कारावास दिया गया। गोआ के एक सीमाशुल्क गार्ड (संरक्षक) को भी, उन सत्याग्रहियों, जिन्हों ने १५ अगस्त १९५४ को तेरेकोल दुर्ग पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा फहराई थी, के समक्ष समर्पण करने के अपराध के लिये चार वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया।

जिन सत्याग्रहियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया था उन में से एक ने अपने को जन्म से भारतीय बताया। जांच पड़ताल से यह पता चला है कि उस के माता-पिता गोआ के हैं। जून १९५४ से पुर्तगाली प्राधिकारियों ने ३२० से अधिक गोआ निवासी सत्याग्रहियों को बन्दी बनाया और जिन की तुलना में लगभग ८६ भारतीय सत्याग्रही बन्दी बनाये गये। ८६ भारतीय सत्याग्रहियों में से ५९ इस वर्ष के आरम्भ में छोड़ दिये गये और अभी २७ बन्दी हैं जिन का अभियोग चलाया जायेगा।

२१ अप्रैल को इन प्रेस समाचारों की प्राप्ति पर कि ३२ सत्याग्रहियों को, जिन्हें सैनिक न्यायाधिकरण ने उपरोक्त

कथित दण्ड दिये हैं, निर्वासित करके पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में लौरेंसो मरक्वीस में भेज दिया गया है, तत्कालिक पूछताछ की गई । प्राप्य जानकारी के अनुसार लगभग ५२ दीर्घकालीन दंडनीय बन्दी १७ अप्रैल की रात में पुर्तगाली मस्तूल-जहाज़ 'अलफोन्सो अल्बूकर्क' में द्यो की पंडितों की बस्ती, जो सौराष्ट्र के परे पुर्तगाली द्वीप है, भेजा गया। यद्यपि ये निरन्तर अफवाहें सुनने में आती हैं कि सत्याग्रहियों को पुर्तगाली और पूर्वी अफ्रीका भेज दिया गया है, सरकार अभी तक निर्वासन किये जाने की बात की पुष्टि प्राप्त न कर सकी है । इस सम्बन्ध में आगे पूछताछ हो रही है ।

१२ अप्रैल को पुर्तगाली मंत्री ने वह पत्र, जो उसे दिया गया था, इस कारण लौटा दिया कि वह उस की सरकार को स्वीकार्य न था, क्योंकि वह पुर्तगाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था । वैदेशिक सचिव ने मंत्री को सूचित किया था कि ११ तारीख को उसे जो पत्र दिया गया था उस में पुर्तगाली सरकार को उन की दमन चक्र के भयंकर परिणामों की औपचारिक चेतावनी दी गई थी । १२ अप्रैल को जब मंत्री ने यह पत्र लौटाया तो उसे बातचीत में पुनः यह चेतावनी दी गई ।

मई दिवस की पूर्वसन्ध्या को मरगांव में भारतीय और गोआनी रेलवे मज़दूरों को बिना किसी भेदभाव के बन्दी बनाया गया । बाद में उन से पूछताछ करने के उपरान्त इन लोगों को छोड़ दिया गया ।

इस से गोआ में स्थिति की गम्भीरता और यहां तक कि सामान्य नागरिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण दमन तथा पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा लोगों को भयभीत करने का पता चलता है । स्थिति गम्भीर है और यदि पुर्तगाली प्राधिकारी इन सत्याग्रहियों में से किसी को निर्वासित करें तो स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी ।

श्री लंका सून्दरम् (विशाखापटनम्) : क्या प्रधान मंत्री से मैं यह पूछ सकता हूं कि अभी बताई गई नृशंसता, क्रूरता और अमानवीय कार्यों को दृष्टि में रखते हुए नीति मे कोई परिवर्तन होगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं बता सकता । स्वाभाविक है कि हमें पूर्ण रूप से स्थिति का ध्यान रखना है और जिस नीति का हम पालन कर रहे हैं वह गतिहीन नीति नहीं है । यह परिवर्तनशील नीति है और जब भी कोई परिवर्तन होगा, तो स्वाभावतः उस की जानकारी इस सभा को दी जायेगी । इतना तो स्पष्ट है कि ऐसे समय मैं इन बातों के बारे में अस्पष्ट बात नहीं कह सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के वक्तव्य की दृष्टि से मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समझता । अन्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैं माननीय श्रम मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहता हूं ।

कानपुर में श्रम स्थिति

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : श्रीमान्, कानपुर के वस्त्रोद्योग हड़ताल के बारे में मुझे यह वक्तव्य देना है ।

कानपुर के सूती वस्त्रोद्योग में अभिनवीकरण की कुछ योजनाओं पर जो झगड़े खड़े हो गये हैं वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन पूणतया राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं । तो भी, बहुत से माननीय सदस्यों की प्रार्थनाओं की दृष्टि से मैं ने राज्य सरकार से वार्ता की जिन्हों ने मुझे प्रसन्नतापूर्वक इस मामले पर सारी आवश्यक जानकारी दी है ।

[श्री खंडुभाई देसाई]

कानपुर की सूती मिलों के अभिनवीकरण का प्रश्न कोई हाल का प्रश्न नहीं है । राजेन्द्र प्रसाद समिति ने १९३८ में और उत्तर प्रदेश श्रम पूछताछ समिति ने १९४८ में इस प्रश्न का सविस्तार परीक्षण किया था । उन दोनों ने मज़दूरों के प्रतिनिधियों की पूर्ण सहमति से अभिनवीकरण की, विशेषकर कार्य भार की आवश्यकता, मज़दूर हितों के पूर्ण संरक्षण के साथ, स्वीकार की और उस की सिफ़ारिश भी की । फिर भी, भिन्न भिन्न इकाइयों में अभिनवीकरण के होने से कुछ मज़दूरों को कार्य से हटाया गया । इस घटना से कुछ चिन्तित और स्वयं मज़दूरों के कहने पर, राज्य सरकार ने १९५४ के आरम्भ में ननीताल में एक त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित किया । उस में अभिनवीकरण का सिद्धान्त समस्त वर्गों द्वारा, मज़दूरों सहित, निम्न संरक्षणों के साथ सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया :—

(१) अभिनवीकरण के होने से किसी भी मज़दूर को, चाहे वह स्थायी हो या स्थानापन्न हो या अस्थायी भी हो, काम से न हटाया जाना चाहिये और मज़दूरों की संख्या में केवल निवृत्ति और प्राकृतिक विनाश द्वारा कमी की जानी चाहिये ;

(२) अभिनवीकरण के लाभ को नियोजक और मज़दूरों में समान रूप से बांटा जाना चाहिये ; और

(३) उचित कार्य-परिस्थितियों को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिये ताकि परिवर्तित कार्य-भार से मज़दूर को कोई कठिनाई न हो ।

इन सिद्धान्तों के आधार पर भिन्न भिन्न मिलों के सम्बन्ध में अभिनवीकरण की योजनाओं का ब्योरा बनाने के लिये सात व्यक्तियों की—मज़दूरों के तीन प्रतिनिधि और मालिकों के तीन प्रतिनिधि तथा सभापति के रूप में एक श्रम आयुक्त—एक समिति बनाई गई ।

दुर्भाग्य की बात है कि जो बात मज़दूरों के हितों के संरक्षण और उन्हें निजी वार्ताओं द्वारा स्वेच्छा से किये जाने वाले प्रयत्नों के अनिवार्य परिणामों से बचाने के लिये निश्चित की गई थी, मज़दूरों के एक वर्ग ने, जिसे प्रत्यक्षतः मज़दूरों के हितों में इतनी रुचि न थी जितनी कि अपनी स्थिति को सुसंगठित करने में थी, उस की अभिव्यक्ति इतनी शीघ्रता व भ्रमोत्पादक ढंग से की, और उसे विरोधी प्रचार का आधार बनाया । सन्देह न करने वाले मज़दूरों को भयभीत कराने के लिये बड़ी मात्रा में बेकारी तथा कुचलने वाले कार्य-भार का इच्छानुसार युक्तिहीन वर्णन किया गया । इस प्रचार के होते हुए, सात सदस्यों की समिति कोई प्रगति न कर सकी और समाप्त हो गई । इस के बाद हाल में संगठित हुए एक वस्त्रोद्योग कार्मिक संघ ने, जिस की कार्यवाही ने पहिले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन एक आदेश को प्रख्यापित करने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है, कानपुर के वस्त्र मिलों में सामान्य हड़ताल की पूर्वसूचना दी और शान्तिप्रिय मज़दूरों को भयभीत करना तथा सताना आरम्भ कर दिया । शान्ति बनाये रखने के लिये, स्थानीय अधिकारियों को अनेकों व्यक्ति बन्दी बनाने पड़े ; २ मई, १९५५ की संध्या तक लगभग १३८ व्यक्ति बन्दी बनाये गये । इन में ८९ लोगों को विधिसम्मत आदेशों का उल्लंघन करने पर बन्दी बनाय

जिन ११ मिलों में सामान्य हड़ताल हुई है, उन में से एक मिल में हड़ताल के पहले दिन सभी कर्मचारी काम पर आये और दो अन्य मिलों में आधे से अधिक कर्मचारी काम पर आये । पांच अन्य मिलों में भी थोड़े थोड़े कर्मचारी काम पर आये । एक मिल में तालाबन्दी रही । केवल दो मिलों में बहुत कम कर्मचारी काम पर आये । कल जो हड़ताल का दूसरा दिन था, की स्थिति भी पहले दिन से बहुत भिन्न नहीं थी ।

सरकार का विचार है कि वैज्ञानिकन (अभिनवीकरण) की सामान्य योजनाओं के विरुद्ध कानपुर में जो आन्दोलन हो रहा है, वह गलत नेतृत्व में हुआ है । कानपुर की मिलें वह काम नहीं कर रही हैं जो बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, इन्दौर और कोयम्बटूर की मिलों ने किया । कर्मचारियों को मैं परामर्श देता हूं कि वह इन बातों को सही दृष्टिकोण से समझें और झूठे तथा हानिकारक प्रचार के बहाव में न पड़ जायें । उत्तर प्रदेश सरकार सदैव ही श्रमिकों के सम्बन्ध में सदय रही है और यदि कानपुर के वस्त्रोद्योग कर्मचारी ऐसी कठिन समस्या के हल करने में ऐसे सदय और निष्पक्ष प्राधिकार की सहायता लेना अस्वीकार करते हैं तो उन का भगवान ही मालिक है । केन्द्रीय सरकार ने कानपुर के वस्त्र कर्मचारियों को परामर्श दिया है कि उन्हें अपना अनुचित रवैया बदल कर वैधानिक ढंग से राज्य सरकार के समर्थन और सहानुभूति से इन मामलों को तय करना चाहिये ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : इस स्थगन प्रस्ताव को निपटाने के पूर्व में यह कहना चाहता हूं कि कानपुर वस्त्र उद्योग के ३० हजार कर्मचारियों की हड़ताल की देश के ७ लाख वस्त्रोद्योग कर्मचारियों पर प्रतिक्रिया होगी । दूसरे, केन्द्रीय सरकार भी इस के लिये उत्तरदायी है क्योंकि यह हड़ताल वैज्ञानिकन के कारण है । अतः स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : श्रम मंत्री ने समझौते की शर्तें पढ़ कर सुनाईं । सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भी कर्मचारी को नौकरी से अलग न किया जाये क्योंकि वैज्ञानिकन के कारण बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया है । उन्हों ने तथ्यों की जांच करने के लिये एक उच्च अधिकार-प्राप्त आयोग नियुक्त करने की मांग की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में स्थगन प्रस्ताव पर सहमति देने से कोई लाभ नहीं होगा !

पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के पुनर्विलोकन की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१६५/५५].**

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं विविध सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के ये विवरण पटल पर रखता हूं :

१. अनुपूरक विवरण संख्या २
लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १२]

२. अनुपूरक विवरण संख्या ६
लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १३]

३. अनुपूरक विवरण संख्या १०
लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १४]

[श्री सत्य नारायण सिंह]

४. अनुपूरक विवरण संख्या १६
लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १५]

५. अनुपूरक विवरण संख्या २१
लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १६]

६. अनुपूरक विवरण संख्या २६
लोक-सभा का चौथा सत्र १९५३
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १७]

७. अनुपूरक विवरण संख्या ३१
लोक-सभा का तृतीय सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १८]

८. अनुपूरक विवरण संख्या २९
लोक-सभा का द्वितीय सत्र, १९५२
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १९]

९. अनुपूरक विवरण संख्या ३०
लोक-सभा का प्रथम सत्र, १९५२
[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २०]

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : १९५२ में दिये गये कितने आश्वासन अभी लम्बित हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : एक या दो; पर मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता ; किन्तु अधिकांश आश्वासनों को अभी हाल में पूरा किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : १९५२ के आश्वासन अब रखे जा रहे हैं । मैं नहीं जानता शेष आश्वासनों का क्या होगा ।

श्री सत्य नारायण सिंह : सभा की आश्वासन समिति इन मामलों की देखभाल करती है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

श्री सत्य नारायण सिंह : संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अधीन मैं श्री दातार की ओर से ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०-१८३ ५५]**.

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त चार सन्देश देने हैं जो निम्न हैं :

(१) कि लोक-सभा द्वारा २८ अप्रैल, १९५५ को पारित किये गये हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक, १९५५ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ;

(२) कि राज्य सभा ने अपनी बुधवार, २७ अप्रैल १९५५, की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया कि राज्य-सभा, लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि वह वर्ष १९५५-५६ के लिये लोक-लेखा समिति के हेतु राज्य-सभा के सात सदस्यों का नाम-निर्देशन करे :—

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि वर्ष १९५५-५६ के लिये लोक-सभा की लोक लेखा समिति में काम करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों के नामनिर्देशित करे और उक्त समिति में काम करने के लिये अपने में से सात सदस्य ऐसी रीति से, जैसा सभापति निर्देश करें, निर्वाचित करे ।"

कि सोमवार २ मई, १९५५ की राज्य सभा की बैठक में सभापति ने घोषणा की कि राज्य सभा ने निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति के लिये विधिवत चुन लिये गये हैं :—

१. श्रीमती वायलेट आल्वा
२. दीवान चमनलाल

३. श्री रामप्रसाद टामटा

४. श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू

५. श्री मुहम्मद वलीउल्ला

६. श्री वी० के० धागे

७. श्री बी० सी० घोष ।

(३) "कि राज्य सभा अपनी २ मई, १९५५ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ अप्रैल, १९५५ को पारित किये गये अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक, १९५५ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है" ।

(४) "कि राज्य सभा ने अपनी २७ अप्रैल, १९५५ की बैठक में, लोक-सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९५४ को पारित किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४ को निम्न संशोधनों सहित पारित कर दिया है और उक्त विधेयक को इस निवेदन के साथ वापस भेजा है कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाये :—

अधिनियम न सूत्र

१. कि पृष्ठ १, पंक्ति १ पर, "fifth year" ["पांचवें वर्ष"] के स्थान पर "sixth year" ["छठे वर्ष"] शब्द रख दिये जायें ।

खण्ड १

२. कि पृष्ठ १, पंक्ति ४ पर संख्या "1954" ["१९५४"] के स्थान पर संख्या "1955" ["१९५५"] रख दी जाये ।

३. कि पृष्ठ १, पंक्ति ६ पर, "Government may" ["सरकार करे"] शब्दों के पश्चात् "by notification in the official Gazette" ["सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा"] शब्द रखे जायें ।

खण्ड २२

४. कि पृष्ठ ५, पंक्ति ४१ पर "by the accused" ["अभियुक्त द्वारा"] शब्द हटा दिये जायें ।

खण्ड २५

५. कि पृष्ठ ८, पंक्ति ४ के पश्चात् यह अंश रखा जाये, अर्थात् :—

"(9A) The person who has been ordered under sub-section (7) to pay compensation may appeal from the order, in so far as the ordered relates to the payment of the compensation, as if he had been convicted in a trial held by the court of Session.

(9B) when an order for payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appear under sub-section (9A), the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or, if an appeal is presented, before the appeal has been decided."

["(९क) जिस व्यक्ति को उपधारा (७) के अधीन प्रतिकर देने का आदेश दिया गया हो, वह इस रूप में जैसेकि उसे सत्र-न्यायालय के परीक्षण में अपराधी ठहराया गया हो, प्रतिकर के भुगतान, जहां तक आदेश से उस का सम्बन्ध हो, के विरुद्ध अपील करे ।

(९ख) जब किसी ऐसे मामले में जिस की उपधारा (९क) के अधीन अपील की जा सकती हो किसी अभियुक्त को प्रतिकर के भुगतान का आदेश दिया गया हो तो उस कालावधि के समाप्त होने के पूर्व जिस की अपील उपस्थित करने के लिये अनुमति दी गई हो, या, यदि अपील उपस्थापित की जा चुकी हो, तो, उस पर निर्णय होने से पूर्व उसे प्रतिकर नहीं दिया जायेगा ।"]

६. कि पृष्ठ ८ पर, पंक्ति ८ से ९ तक के स्थान पर यह अंश रखा जाये, अर्थात्:—

"(11) The provisions of this section shall be in addition to, and not in derogation of those of section of 198."

["(११) इस धारा के उपबन्ध धारा १९८ के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उन के अलपीकरण के रूप में, होंगे ।"]

[सचिव]

खण्ड २९

७. कि पृष्ठ ६, पंक्ति २४ में "the accused" ["वह अभियुक्त"] शब्द, जहां सब से पहले आया हो, के पश्चात् यह अंश रखा जाये :—

"For the purpose of enabling him to explain any circumstances appearing in the evidence against him".

["उस के विरुद्ध साक्ष्य में प्रस्तुत किन्हीं परिस्थितियों की व्याख्या करने का उसे अवसर देने के लिये ।"]

खण्ड ३१

८. कि पृष्ठ ११ पर, विद्यमान खण्ड ३१ को निकाल दिया जाये ।

खण्ड ५२

९. कि पृष्ठ १५, पंक्ति ३३ में "thereof" ["उस के"] के पश्चात् "signed by the judge" ["न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित"] शब्द रख दिये जायें ।

खण्ड ६३

१०. कि पृष्ठ १७ पंक्ति ४४-४५ में से "or the recording of their statements" ["या उन के बयानों को लिखना"] शब्द निकाल दिये जायें ।

११. कि पृष्ठ १७, पंक्ति ४७–४८ में से "or as the case may be their statements have been recorded." ["या, जैसा मामला हो, उन के बयान लिख लिये गये हैं"] शब्द निकाल दिये जायें ।

१२. कि पृष्ठ १८, पंक्ति ७ में से "or recording their statements" ["या उन के बयानों का लिखना"] शब्द निकाल दिये जायें ।

खण्ड १११

१३. पृष्ठ ३०, पंक्ति ११ में "substituted" ["स्थानापन्न"] शब्द के स्थान पर "inserted" ["निविष्ट"] शब्द रखा जाये ।

खण्ड ११२

१४. कि पृष्ठ ३०, पंक्ति १५ में "with the previous sanction of the State Government" ["राज्य सरकार की पूर्वमंजूरी से"] शब्दों के स्थान पर "with the previous approval of the State Government" ["राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से"] शब्द रखे जायें ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

सचिव : मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५५, जो संशोधन सहित राज्य सभा से वापस आया है, को सभा-पटल पर रखता हूं ।

हिन्दू विवाह विधेयक—जारी

खन्ड ९ से १२

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा राज्य सभा द्वारा पारित हिन्दू विवाह सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले श्री पाटस्कर के विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): कल मैं ने खण्ड ९ से १२ तक के संशोधनों का उत्तर देना शुरू किया था । श्री मोरे ने मुझे बताया कि जहां तक शून्य विवाहों का सम्बन्ध है, खण्ड ११ के एक उपबन्ध के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो विवाह होंगे वह विवाह के किसी एक पक्ष के कहने पर भंग कर दिये जायेंगे ।

इस विधेयक की धारा १६ में यह उपबन्ध है कि विवाह भंग होने की आज्ञप्ति के मामले में बच्चों की औरसता का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा और उन्हें औरस बच्चे माना जायेगा। पर हमारे मस्तिष्क में यह बात खटकती है कि यदि कोई भी न्यायालय में नहीं जाता तो उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। केवल हिन्दू विवाहों में ही नहीं, बल्कि अन्य विवाहों में भी यह कठिनाई पैदा होगी। जब तक पति-पत्नी साथ साथ रहते हैं यह प्रश्न नहीं उठता। कल्पना कीजिये कि उन की मृत्यु के पश्चात् या कुछ समय बाद ऐसा प्रश्न पैदा होता है तो ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि इस विवाह से उत्पन्न बच्चे अनौरस बच्चे न करार दिये जायें, चाहे वे हिन्दू हों, या इसाई हों। पता लगाने पर मुझे मालम हुआ है कि इंग्लैण्ड में एक औरसता अधिनियम है। हमें तथा इस सभा को विचार करना है कि क्या इस प्रकार का कोई अधिनियम हम अपने देश में भी इस प्रयोजन के लिये पारित कर सकते हैं। इस बात पर चर्चा की जायेगी कि क्या हम भी ऐसा कोई अधिनियम बनायें या नहीं, और इस से हमारे मित्र को संतोष हो जायेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने अपने संशोधन संख्या ३२१ के सम्बन्ध में कहा कि जहां तक धर्म परिवर्तन का सम्बन्ध है, यदि खंड १३ में विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में, हम ने इसे एक ऐसा आधार माना है जिस पर कि पति अथवा पत्नी विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं तो यही पृथकता के प्रयोजन के लिये भी क्यों न किया जाये। इस दृष्टि से ग़ौर करने पर भी यह प्रश्न विचारणीय तथा चर्चा के योग्य है। जहां तक न्यायिक पृथक्करण का सम्बन्ध है, पति अथवा पत्नी के धर्मपरिवर्तन करने पर ही हम उन्हें न्यायिक पृथक्करण की अनुमति नहीं दे सकते। यदि दोनों पक्षों में से कोई इस बात को इतना अधिक अनुभव करता है कि विवाहित जीवन जारी रखना असम्भव है तो पति अथवा पत्नी को न्यायिक पृथक्करण के लिये कहना व्यर्थ है। उदाहरणस्वरूप यदि पत्नी यह अनुभव करती है कि उस की धार्मिक भावनायें इतनी प्रबल हैं कि उसे अपने पति से वैवाहिक बन्धन तोड़ देना चाहिये तो उसे इस की स्वतंत्रता देनी चाहिये। यह पति अथवा पत्नी दोनों के मामलों में प्रयुक्त होगा।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : खंड १४ के अधीन, विवाह की तिथि से तीन वर्ष बीतने तक विवाह-विच्छेद के लिये कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जा सकता है। यदि विवाह के एक वर्ष पश्चात् धर्म-परिवर्तन होता है तो उन्हें इस हिसाब से दो वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी, किन्तु विधि के अनुसार धर्म-परिवर्तन के कुछ दिनों पश्चात् ही विवाह टूट सकता है। माननीय मंत्री को इस पहलू पर अधिक सूक्ष्मता से विचार करना है।

श्री पाटस्कर : मैं ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है। इस मामले पर प्रवर समिति में भी, जिस में दोनों सभाओं के प्रतिनिधि थे, विस्तारपूर्वक विचार किया गया। मैं प्रवर समिति का सदस्य नहीं था। मेरे विचार से हिन्दुओं में भी दूसरे धर्मों के सम्बन्ध में केवल धर्म परिवर्तन वैध कारण नहीं है। यदि पति अथवा पत्नी इसे बहुत अधिक अनुभव करते हैं तो उन्हें विवाह-विच्छेद न्यायालय में जाने तथा प्रक्रिया शुरू करने के पर्याप्त उपबन्ध हैं। यदि श्री वेंकटरामन के कथनानुसार तीन वर्ष का समय बहुत अधिक है तो कदाचित् इस अवधि में वह धर्म परिवर्तन कर सकता है अथवा पुनः धर्म परिवर्तन कर सकता है ; केवल धर्म के आधार पर विवाह विधि में हस्तक्षेप करना, तथा उसे बहुत अधिक महत्व देना उपयुक्त

[श्री पाटस्कर]

नहीं है । मेरे विचार से जैसे भी उपबन्ध रखे गये हैं वे काफी अच्छे हैं । मेरा यह भी विचार है कि विवाह-विच्छेद के आधारों को न्यायिक पृथक्करण का भी आधार बनाना वांछनीय नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १४ में एक परन्तुक है । अपवाद स्वरूप मामलों में आवेदन पत्र दिया जा सकता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : किन्तु इस से श्री वेंकटरामन का प्रश्न हल नहीं होता है । उस के अन्तर्गत अत्यधिक निर्दयता दुराचार, इत्यादि के मामले आते हैं । मैं खंड (१) में यह संशोधन रखने का सुझाव दे रहा था कि धर्म परिवर्तन को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में तीन वर्ष का नियम रखा जाय ।

श्री पाटस्कर : संशोधन संख्या ३२१ के सम्बन्ध में मैं केवल यही कह सकता हूं ।

अपने माननीय मित्र श्री यू० एम० त्रिवेदी के संशोधन के सम्बन्ध में, जिन्हों ने उन से भी आगे बढ़ कर यह कहा है कि यदि वैष्णव तथा शैव आपस में धर्मपरिवर्तन करेंगे तो उन्हें पृथक होने की अनुमति दी जाय, इत्यादि । मेरे विचार से यह अधिनियम की भावना के प्रतिकूल होगा । मैं ऐसे किसी संशोधन को स्वीकार करना पसन्द नहीं करूंगा ।

यह विधेयक एक विशेष आदर्श से प्रस्तुत किया गया था । यह हिन्दुओं को संगठित करने के लिये चाहे वे किसी भी धार्मिक वर्ग के क्यों न हों, रखा गया था । यह दूसरी बात है । इस दृष्टिकोण से मेरे मित्र द्वारा सुझाया गया संशोधन प्रतिगामी है । मैं किसी भी स्थिति में ऐसे प्रभेय को स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं हूं जोकि अधिनियम की भावना के विरुद्ध हो ।

एक प्रश्न पर माननीय मित्र श्री चटर्जी ने जिज्ञासा की है । उन्हों ने कहा है कि क्या खंड ११ व १२ के उपबन्धों के अलावा, कोई व्यक्ति विशिष्ट सहायता अधिनियम के खंड ४२ के अधीन विवाह की वैधता को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि खंड ५ में उल्लिखित कुछ शर्तों के सम्बन्ध में वहां त्रुटि आ गई है । केवल उन्हों ने ही यह प्रश्न उठाया है । मैं ने इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार किया क्योंकि हम एक विधि पारित कर रहे हैं जिस के सभी सम्भाव्य परिणामों को हमें जानना चाहिये । खंड ५ में कई शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहियें । तथा दो हिन्दुओं के बीच में विवाह सम्पन्न हुआ माना जायेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जायेंगी ; ये छः शर्तें हैं ।

मेरे विचार से इन शर्तों में २, ३ और ६ शर्तें इस को शून्य कर देती हैं ; यह मजबत तथा वैज्ञानिक आधार पर है । शर्त संख्या २ क्या है ? "कोई भी पक्ष जड़ (मूर्ख) अथवा पागल न हो ।" किसी मूर्ख के सम्बन्ध में हम यह नहीं कहना चाहते कि यह नितान्त शून्य है । हम कहते हैं कि यह शून्य-करणीय है । इस का अभिप्राय यह है कि विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ के उपबन्धों की सहायता नहीं ली जा सकती है । उन उपबन्धों के सम्बन्ध में जो केवल शून्य-करणीय हैं, विवाह पूर्ण रूप से वैध रहेगा । अभिप्राय यह है कि हम यथासम्भव यह देखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति विवाह में सरलता से विघ्न उपस्थित न कर सके । इस दृष्टिकोण से ये शर्तें हैं । तब हमें खंड ११ तथा खंड १२ के उपबन्धों को देखना है । जहां शून्यकरणीय विवाह हैं ; तथा हम ने शून्य विवाहों के सम्बन्ध में भी नियम बना दिये हैं । खंड ११ और १२ के अधीन इन शर्तों को पूरा करने से सम्बन्धित विशिष्ट

उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि इन शर्तों में से किसी के उल्लंघन होने पर क्या होगा । निःसन्देह मेरे लिये यह कहना संभव नहीं है कि न्यायालय किस निर्णय पर पहुंचेंगे । किन्तु मैंने माननीय मित्र की तरह इस प्रश्न पर विचार किया है । मेरे विचार से कठिनाई कदाचित् इस अधिनियम के उन उपबन्धों के सम्बन्ध में होगी कि इन शर्तों के पूरा करने अथवा न करने पर, अथवा इस के अनुसार कार्य करने अथवा न करने पर शून्य घोषित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट सहायता अधिनियम का आश्रय ले सकेगा अथवा नहीं । कुछ भी हो यह केवल सैद्धान्तिक मामला है जिस का निर्णय न्यायालय में ही किया जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : अभ्यावेदन को एक मुकदमा समझा जा सकता है तभी विशिष्ट सहायता अधिनियम के अधीन मुकदमे की अनुमति दी जा सकती है । अन्यथा धारा ४२ के अधीन आवेदन देना कठिन होगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं कई शर्तों के पूरा न होने पर प्रत्येक विवाह का शून्य होना नहीं चाहता । मेरी आपत्ति यह है कि धारा १९ में आप कहते हैं कि 'इस अधिनियम के प्रारम्भ से सम्पन्न हुआ कोई भी विवाह शून्य होगा तथा किसी भी पक्ष के द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने तथा आज्ञप्ति द्वारा शून्य घोषित हो जाने पर ......' । वहां कुछ शर्तें उल्लिखित हैं । क्या आप जानते हैं कि विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ के अधीन यह मुकदमा चलाया जा सकता है कि विवाह की वैधता के लिये एक विहित शर्त पूरी नहीं हुई । इस से अनियमितता पैदा हो जायेगी । मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार करें । मैं यह नहीं चाहता कि प्रत्येक विवाह शून्य किया जाय ।

श्री पाटस्कर : मैं कब कह रहा हूं कि माननीय सदस्य का कोई विशेष उद्देश्य है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : खंड ११ में उल्लिखित है कि--

"कोई भी विवाह ..... शून्य घोषित किया जायेगा तथा किसी भी पक्ष के द्वारा याचिका उपस्थापित किये जाने पर ..." जबकि खंड १२ में ऐसी कोई शर्त नहीं है । यह संकेत नहीं किया गया है कि केवल पक्षों को ही याचिका उपस्थापित करने का अधिकार है, अथवा इस मामले से दिलचस्पी लेने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी इस मामले को न्यायालय में पेश कर सकता है ।

यदि किसी अभिभावक की अनुमति ही नहीं ली गई, अथवा उसे बाध्य कर अनुमति ली गई, तो उसे भी आवेदन-पत्र देने का अधिकार दिया जाना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि खंड ११ तथा खंड १२ के बीच यह विभेद क्यों किया गया है ।

श्री पाटस्कर : मैं इसे स्पष्ट करता हूं । खंड ११ शून्य विवाहों से सम्बन्ध रखता है । इसलिये हमें यह उल्लिखित करना पड़ा कि वे पति अथवा पत्नी के कहने पर ही शून्य किये जायेंगे । मैं इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक नहीं कहूंगा ।

खंड १२ शून्यकरणीय विवाह से, अर्थात् पति और पत्नी से सम्बन्ध रखता है, अतः यह स्वाभाविक है कि वह पति अथवा पत्नी दोनों में किसी एक के कहने पर होना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : शून्य विवाह के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति उसे शून्य घोषित करा सकता है और शून्यकरणीय विवाह की स्थिति में दोनों पक्षों में से कोई होना

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चाहिये । यहां शून्य विवाह के मामले में भी केवल पति या पत्नी को ही अधिकार है जबकि अभिभावकों को भी यह अधिकार होना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : विधि में अभिभावकों को अवयस्कों का अधिकार प्रदान किया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : लेकिन आप ऐसा कहते तो नहीं हैं ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मेरे विचार से श्री चटर्जी का तर्क ठीक नहीं है । विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ की व्यवस्था रहनी चाहिये । दूसरे लोगों को विवाह को शून्य घोषित करने का अधिकार होना चाहिये, किन्तु इस के लिये निश्चित अवधि रखी जानी चाहिये ऐसा न हो कि वर्षों पश्चात् कोई ऐसा व्यक्ति, जिस का सम्पत्ति में कोई स्वार्थ निहित हो, आ कर कहे कि विवाह शून्य घोषित किया जाना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : मैं ने इस बात से जान बूझ कर बचने की कोशिश की है कि मैं और श्री चटर्जी ऐसा करने का प्रयत्न करें । मैंने यह कहना नहीं चाहा कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अवरुद्ध है अथवा नहीं । क्योंकि यह मामला पूरी तरह न्यायालय के हाथों में है । हम इस प्रश्न को हल करने से बचना चाहते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रश्न यह है कि हम विवाह को शून्य करने का अधिकार कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को देना चाहते हैं । क्योंकि यदि धारा ४२ ऐसे विवाह के मामलों में भी प्रयुक्त हो सकती है तो विवाहित पति-पत्नी किसी भी ऐसे व्यक्ति की दया पर निर्भर रहेंगे जोकि उन की सम्पत्ति में दिलचस्पी रखने के कारण न्यायालय जा सकता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह विशेष रूप से इस बात का उल्लिखित कर दें कि विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ यहां लागू नहीं होगी ; क्योंकि इस से जिन माता पिता ने किसी प्रकार विवाह को शून्य किया है उन के बच्चे ऐसे खूंखार सम्बन्धियों के शिकार हो जायेंगे जोकि उन की सम्पत्ति हड़पना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसा मामला हुआ है । जबकि विवाहित पक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने विवाह शून्य करने के लिये मुकदमा दायर किया हो ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं एक सच्चे मामले का उदाहरण दे सकता हूं । पूना में एक सरदार परिवार में, बड़े बेटे ने सगोत्र, विवाह कर लिया । उस की पहिली पत्नी से भी बच्चे थे । उस के पिता ने उस विवाह को शून्य सिद्ध करने के लिये मुकदमा दायर किया, जिस में यह जानने के लिये कि यह विवाह वैध है अथवा नहीं, कई शास्त्रियों को भी साक्षी के रूप में बुलाया गया था । अतः सभी बातें सम्भव हो सकती हैं . . .

मैं आप को एक अन्य उदाहरण भी दे सकता हूं । मान लीजिये कि क तथा ख ने शून्य विवाह किया । बीस वर्ष पश्चात् क की मृत्यु हो गई । क का भाई आ कर कह सकता है कि यह विवाह शून्य था अतः उन के बच्चों का, जो अनौरस हैं, सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिये । तो वह अपने उस मरे भाई की जगह पर सम्पत्ति पर अधिकार पाने का दावा करेगा . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात हो सकती है । यह स्पष्ट नहीं है कि विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ इस प्रकार के मामले पर लागू होगी अथवा नहीं । मैं

माननीय मंत्री से इस का उत्तर देने के लिये कहूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं भी यही बात जानना चाहती थी कि क्या इस के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण विवाह के पक्षों के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति इस सम्बन्ध में अभियोग चला सकता है ?

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मेरे मित्रों ने जो कठिनाई बताई है उस के सम्बन्ध में खण्ड १६ में पर्याप्त उपबन्ध है । बाद में जिन बच्चों को सम्पत्ति हितार्थी लोगों द्वारा जारज घोषित कराये जाने का भय हो सकता हो, वे मामले निश्चित रूप से वैधता की परिधि से बाहर घोषित किये गये थे ।

श्री पाटस्कर : मैं अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मेरी राय का सम्बन्ध है, इस विवाह अधिनियम के विशेष उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए जहां तक उत्तराधिकार आदि के प्रश्न के अतिरिक्त विवाह की मान्यता का सम्बन्ध है, इस का निश्चय इस अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धित प्रक्रिया द्वारा ही किया जायेगा । जब एक विशिष्ट उपबन्ध है तो मैं नहीं समझता कि किसी न्यायालय को विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ की सहायता लेनी पड़ेगी । तो भी कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में न्यायालय में वाद चला सकता है । यह अलग विषय है ।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है । मैं श्री मोरे और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का उत्तर देना चाहता हूं कि इस विवाह विधि में हम जो भी उपबन्ध बनायें और चाहे खण्ड १६ भी हो, यदि कुछ देर बाद जारजता का प्रश्न पैदा होता है तो वह केवल हिन्दू के मामले में पैदा नहीं होगा, यह सभी लोगों के मामले में पैदा हो सकता है और इस समस्या का हल करने के लिये जो उपचार ढूंढा गया है वह वैधता अधिनियम की सहायता लेना है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस बात की परीक्षा करने के लिये तैयार हूं कि यह अधिनियम न केवल हिन्दुओं के ऐसे विवाहों के हितार्थ हो वरन् सब जातियों के विवाहों के सम्बन्ध में हो । मैं समझता हूं कि यह अधिक अच्छा विधान होगा । मैं इस दृष्टिकोण पर विचार करूंगा परन्तु यहां काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर) : यदि विवाह पंजीबद्ध कराते समय कोई गलत घोषणा कर दे . . . . .

श्री एस० एस० मोरे : यदि कोई गलत वक्तव्य दे दे तो ?

श्री पाटस्कर : हमें इस सब पर वाद-विवाद नहीं करना चाहिये । यह क्षमकारक खण्ड है । राज्य यदि चाहें तो पंजीबद्धता रख सकते हैं । मैं समझता हूं कि कुछ भी छोड़ा नहीं गया । यदि मानव प्रतिभा या किसी अन्य कारण से कोई बात हो जाय जिस से हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति न हो, तब हम इस पर विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड १० के सभी संशोधनों को रखूंगा ।

संशोधन संख्या ३१४, ४९, ५०, ३४९, ३५०, २३८, ३१५, ३१६, ५१, ३२, १६०, ३१८, ३१७, १६१, ३१९, ३२०, ३३६, ५४, ५५, १४०, ३२१ और १४१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड ११ के संशोधनों को लेता हूं ।

संशोधन संख्या ७, ३२२, २३६, ३२३, ८, ६ और १८६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड १२ के सशोधन हैं ।

संशोधन संख्या १०, ३२४, ५६, २४०, २४१, ६३, ५७, ३२५, ५८ और ३२७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३ से १८

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड १३ से १८ तक के वर्ग को लूंगा, जिस के लिये चार घंटे निश्चित हैं । माननीय सदस्यगण खंड संख्या बताते हुए अपने संशोधन १५ मिनट में सचिव को दे दें ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि जिन लोगों को व्यभिचार के कारण विवाह-विच्छेद का अधिकार दिया जाये, वहां उस व्यभिचार में ग्रस्त व्यक्तियों को परस्पर विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिये । जिन लोगों ने एक परिवार को विछिन्न किया हो जिन्हों ने एक पवित्र विवाह सम्बन्ध को भ्रष्ट किया हो उन्हें उस अपराध का लाभ नहीं उठाने देना चाहिये । मैं तो विवाह विच्छेद के खण्ड के सर्वथा विरुद्ध हूं । और जब तक आप यह प्रदर्शन ही न करना चाहते हों कि आप १९५५ में बहुत सभ्य और प्रगतिशील हो गये हैं, तब तक तो इस खण्ड की कदापि आवश्यकता नहीं है । पर वस्तुतः आप यही चाहते हैं ।

आप केवल यह दिखाना चाहते हैं कि आप फैशनेबल प्रगतिशील, प्रतिक्रियावादियों और रूढ़िवादियों के विरोधी और धर्म शास्त्रियों के विरोधी हैं । अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है —"अमोक्षाधर्माभि वाहनं" अर्थात् हिन्दू धार्मिक विवाह अमर होता है और उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता कामसूत्र में भी कहा गया है "अग्नि साक्षिका विवाह न निवर्तन्ते ।" यदि आप ईसाई धर्म की तत्वज्ञान की पुस्तकों को पढ़ें तो वहां लार्ड पेन्जांस का निर्णय मिलेगा जिस में उस ने कहा है कि विवाह पुरुष और स्त्री के बीच एक पवित्र आध्यात्मिक सम्बन्ध है ।

आप ने जब विशेष विवाह अधिनियम बना दिया है जिस के अन्तर्गत कोई भी हिन्दू पवित्र अनुष्ठानों और संस्कारों से हुए विवाह को पंजीबद्ध कर सकता है और विवाह-विच्छेद प्राप्त कर सकता है, तब लोगों पर यह विधि लादने का क्या लाभ है ?

जब लोग युगों से चली आती हुई पद्धति को ही चाहते हैं तो यह विवाह-विच्छेद क्यों लागू किया जा रहा है ?

आज भी इस देश के लाखों लोग यह विश्वास करते हैं कि विवाह पवित्र सम्बन्ध है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता । आप को उन की भावनाओं पर आघात नहीं करना चाहिये ।

आप कहेंगे कि संसद् को यह विशेष अधिकार है कि वह लोकमत के निर्माण से पूर्व ही विधि बना सकती है । परन्तु यह असफल होगी ।

इंगलैंड, फ्रांस अथवा जर्मनी की और बात है । वहां यदि पति पत्नी पर झूठा आरोप लगाये तो पत्नी के पास इतने संसाधन होते हैं कि वह अभियोग लड़ सकती है । परन्तु क्या एक हिन्दू स्त्री भी ऐसा कर सकती है ? विवाह-विच्छेद के पश्चात् क्या उस स्त्री को पति भी मिल सकता है ?

हमारी सभ्यता में एक व्यक्ति को केवल मांग और संभरण के सिद्धान्तों से नियंत्रित आर्थिक जीव स्वीकार नहीं किया गया । न ही हम पश्चिमी सभ्यता की तरह उसे वर्ग संघर्ष से प्रभावित एक राजनैतिक पशु ही स्वीकार करते हैं । हमारा दृष्टिकोण यह है कि विवाह आत्माओं का गठबन्धन है जिस से वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें । फैशनेबल और प्रगतिशील लोग तो विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह-विच्छेद कर सकते हैं । उन्हें उस में क्या कठिनाई है ? यदि एक पक्षीय घोषणा की अनुमति ही देनी है तो उस का उपबन्ध भी विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किया जा सकता है । अतः इस विधि की क्या आवश्यकता रह जाती है ?

प्रायः यह कहा जाता है कि हम जो यह कहते हैं कि बहु-विवाह विरोधी निधियां नारियों के लिये कठोर हैं, यह गलत है । मैं इस तथ्य को पुनः दोहराता हूं । कल ही मुझे श्री कानावड़े पाटिल जिन्हें बम्बई के न्यायालयों का बहुत अनुभव है, कह रहे थे कि उन्हों ने एक ही ज़िला न्यायालय में लगभग १०० मामले किये हैं । अतः बम्बई अधिनियम के अधीन सैंकड़ों मामले हो रहे हैं ।

ज़मींदारी की समाप्ति से अधिवक्ताओं को बहुत हानि पहुंची है, परन्तु इस विधेयक से उन्हें काम मिल जायेगा । परन्तु क्या आप का यही उच्च आदर्श है ?

मैं इस बात के तथ्य और आंकड़े दे सकता हूं कि बम्बई और अन्य राज्यों में ऐसा विधान स्त्रियों के लिये हानिकर सिद्ध हुआ है । आचार्य कृपलानी ने यह ठीक ही कहा था कि इस से नारी जाति को हानि होगी । इस में केवल पुरुषों को स्वच्छन्दता का अबाध अधिकार दिया गया है और स्त्रियों को इस से कोई लाभ नहीं हुआ । हिन्दू नारी तो न्यायालय में जाने की बजाय आत्म हत्या करना अच्छा समझेगी । अमरीका में १९३५ में २,१८,००० विवाह-विच्छेद हुए जबकि विवाहों की संख्या १३,२७,००० थी । वहां और प्रगति हो रही है । विवाह-विच्छेदों की संख्या में वृद्धि को ही प्रगति का मापदंड बना लिया गया है । इंगलैंड में भी प्रायः यही हो रहा है । विवाह-विच्छेद सम्बन्धी अधिनियमों के प्रवर्तन का यह परिणाम है । १९२०–३० में इन देशों में अत्याचार के ४८.८ प्रतिशत, सम्बन्ध-विच्छेद के २९.६ प्रतिशत और व्यभिचार के ८.३ प्रतिशत मामले हुए । अत्याचार और व्यभिचार के मामलों में कपट की बहुत गुंजाइश है ।

श्री कानावडे पाटिल ने नारियों के पीड़न के सम्बन्ध में जो तथ्य बताये हैं वे

[श्री एन० सी० चटर्जी]

सत्य ही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि आप पुनः गम्भीरता से विचार करें कि विवाह-विच्छेद का उपबन्ध पुरःस्थापित होना चाहिये अथवा नहीं जबकि बहुत गम्भीर मामलों के लिये पहले ही उपबन्ध बनाया जा चुका है। मैं इसे सवर्ण हिन्दू विवाह विधेयक कहूंगा क्योंकि आप ने पहले ही अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के २०, २५ करोड़ लोगों को इस के प्रवर्तन से विमुक्त कर दिया है। यदि आप इसे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त उदार प्रगतिशील सवर्ण हिन्दुओं के लिये अनिवार्य बना रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वे विशेष हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन सुगमता से अपने विवाह पंजीबद्ध करवा सकते हैं।

विधि ज़बरदस्ती लागू नहीं करनी चाहिये वरन् वह सामाजिक भावनाओं का प्रतिरूप होनी चाहिये। आज तो सामाजिक भावना की यह मांग नहीं है। सती की अत्याचारपूर्ण प्रथा को समाप्त कर के हम ने बहुत अच्छा किया था परन्तु मैं आप को एक तथ्य बताऊं कि मेरे चाचा की मृत्यु पर मेरी चाची १४ वर्ष की बाल विधवा रह गई थी। उन्होंने मरते समय मुझे कहा था कि आप सती की प्रथा को समाप्त कर के अंग्रेजों का अनुकरण कर रहे हैं। आप को क्या अधिकार है कि किसी नारी को इस प्रकार जीवित रखें कि वह आयु भर जलती रहे।

इस दृष्टान्त का उल्लेख कर के मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आप आगामी युग के लिये विधान तो बना सकते हैं परन्तु जब तक आप नारी समाज को समान आर्थिक अधिकार प्रदान नहीं करेंगे आप उन्हें वास्तविक प्रसन्नता नहीं दे सकते। इस से तो उन के दुखों में ही वृद्धि होगी। छोड़ी गई पत्नियों की संख्या बढ़ जायेगी। पुरुष समाज को इस उपबन्ध के द्वारा अपनी वासनापूर्ति की अधिक स्वच्छन्दता मिल जायेगी। इसे याद रखिये कि लगभग साठ सत्तर वर्ष से सवर्ण हिन्दू एक विवाह की प्रथा को बिना विवाह विच्छेद के ही अपनाये रहे हैं। यह विचार करना ठीक नहीं है कि एक विवाह के साथ साथ विवाह-विच्छेद अवश्य होना चाहिये।

श्री यू० एस० दुबे (जिला बस्ती--उत्तर): मैं चाहता तो पहले यह था कि मुझे इस बिल के जनरल डिसकशन के समय हाउस में बोलने का अवसर मिले, पर दुर्भाग्यवश मैं चेयर की आई नहीं पा सका।

अब मुझे इस बिल के इन क्लाज़ेज़ के बारे में कुछ कहना है। मेरी समझ में जो डाइवोर्स का क्लाज़ इसमें है, वह इस बिल में से निकाल देना चाहिये। हिन्दू समाज जिस के लिये कि यह कहा जा रहा है कि यह एक प्रोग्रेसिव मेज़र है, मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग पश्चिम की जो सभ्यता है, उसे देख कर के सारी जो चीज़ें पश्चिम में हैं, वह सब प्रोग्रेसिव हैं और अपनी जो कुछ भी चीज़ें हैं वह सब पीछे ले जाने वाली चीज़ें हैं, रिऐक्शनरी हैं, ऐसा विचार अधिकांश लोगों के दिमाग़ में आने से हमारी समाज को एक बड़ा धक्का पहुंच रहा है। आज जो विधेयक में यह क्लाज़ डाइवोर्स के बारे में है, मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि भले ही वह कुछ लोगों को जिन को कि हिन्दू स्त्रियों के भीतर उन के शादी के रिवाजों में व्यभिचार की बातें नज़र आती हों, उन का कुछ भी इस बारे में विचार हो, मुझे कुछ कहना नहीं है, पर मैं ने जो कुछ देखा, जो कुछ हिन्दू समाज के भीतर नज़र आया, वह यह रहा कि हिन्दू शादियां अधिकांश हालतों में निहायत ही सुखप्रद

रही हैं । हिन्दू पति, पत्नियों के भीतर प्रेम का और उन में एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखने का, आजीवन भरोसा रखने का जो तरीक़ा चला आया है उस तरीक़े को हम आज इस क्लाज़ के ज़रिये एक बड़ा धक्का पहुंचाना चाहते हैं । मैं ला मिनिस्टर साहब से निहायत नम्रतापूर्वक यह प्रार्थना करूंगा कि कृपा कर के सामाजिक लाज़ के बनाने में खेल मत कीजिये, समाज के साथ खिलवाड़ मत कीजिये, समाज एक ढंग से चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, हज़ारों वर्षों से चलता आ रहा है और जिस तरह पर चल रहा है वह दुनिया के किसी भी समाज के विवाह के तरीक़े से अगर हम उस की तुलना करें तो हिन्दू समाज के विवाह में जो दृढ़ता है वह साफ नज़र आ जायेगी और दोनों को तराजू पर तोलने में हमारा शादी का तरीक़ा ज्यादा वज़नी और बेहतर नजर आयेगा । इसलिये यह कहना कि समाज में स्त्रियों को यह अधिकार दिये जायें या पुरुषों को यह अधिकार दिये जायें कि शादी करने के बाद जब उन का जी चाहे कोई न कोई बहाना ढूंढ कर के वे विवाह का विच्छेद करा लें, तो जिस पवित्र उद्देश्य पर हिन्दू समाज टिका हुआ है उस पवित्र उद्देश्य के हम बहुत ही खिलाफ़ जायेंगे ।

अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की कुछ स्त्रियां मेरे पास आईं, सम्भव है वे और लोगों के पास भी गई हों । उन्हों ने कहा और उन्हों ने उस बात की पुष्टि की जो मुझे साधारण तौर पर हिन्दू समाज के भीतर घूमने पर और खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने ज़िले के अन्दर घूमने पर मालूम हुई और वह यह थी कि वे कहते हैं कि संसद् की कुछ स्त्रियां जिन के अनुरोध पर इस विधेयक में यह डाइवोर्स की धारा डाली गई है, उन्हें ही सारी स्त्री समाज का प्रतिनिधि न माना जाये, वे सारे स्त्री समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, उन को सब का प्रतिनिधि न मान कर औरों की भी राय ली जानी चाहिये, इस देश के अन्दर करोड़ों स्त्रियां ऐसी अभी मौजूद हैं जो हिन्दू विवाह पद्धति के पवित्र बन्धन को अपना एक बड़ा गौरव मानती हैं ।

पिछले चुनाव के अवसर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां कहीं भी मैं गया, मुझे हर जगह इस डाइवोर्स का एक ज़बर्दस्त विरोध नज़र आया । न सिर्फ़ ऊंचे कास्ट हिन्दूज़ कहलाने वाले लोगों में बल्कि उन लोगों के भीतर से भी यह आवाज़ आई कि जहां उन के कुछ परम्परागत नियमों के अनुसार यह चीज़ जायज़ कही जाती है, उन्हों ने भी इस का विरोध किया । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने निहायत अदब से यह गुज़ारिश करूंगा कि आप जो यह विधेयक बना रहे हैं और उस में जो यह डाइवोर्स का क्लाज़ रख रहे हैं तो उस डाइवोर्स के क्लाज़ से आप क्या भला करने वाले हैं ? उस से समाज का क्या भला होने वाला है ? यह कहना कि यहां की जितनी स्त्रियां हैं, जितने वैवाहिक सम्बन्ध हैं, उन के भीतर वह सब की सब स्त्रियां पिसी जा रही हैं, मरी जा रही हैं, यह बिलकुल ग़लत बात है ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी दक्षिण) : यह उन के लिये नहीं है ।

श्री यू० एस० दुबे : दलील तो यही दी जाती है । तो मैं यह गुज़ारिश कर रहा था कि इस विधेयक में इस धारा से जो लाभ सोचा जा रहा है, उस में लाभ होने के बजाय बहुत ज्यादा हानि पहुंचने की सम्भावना है । यूरोप के जिन पश्चिमी देशों में तलाक़ की प्रथा जायज़ है, वहां की स्त्रियों में एक आर्थिक स्वतंत्रता है, यहां उन के आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने के कारण स्त्री

[श्री यू० एस० दुबे]

समाज का बड़ा ही अकल्याण होगा । इस विधेयक की अन्य धाराओं को पास कर देने के बाद आप मोनागामी की इजाज़त दे दीजिये, वह मैं समझ सकता हूं । यह मैं समझ सकता हूं कि आप यह कहें कि स्त्री पुरुष में अगर आपस में न पटे, ख़ास ख़ास हार्ड केसेज़ में आप उन्हें एक दूसरे से अलग रखने की इजाज़त दे दीजिये, जैसाकि आप ने इस बिल की पहली धाराओं में अभी पास किया है । मैं इस तरह के सुधार समझ सकता हूं, ऐसे सुधार कर जिन की देश में और समाज में बड़ी आवश्यकता है और वह है दहेज़ की प्रथा को रोकना । हमारी कितनी ही बहनें जो पढ़ लिख कर के योग्य होती हैं, उन की आज शादियां नहीं हो पाती हैं, इसलिये कि उन के माता पिता गरीब हैं, उन को आप सुविधा दीजिये । मैं ने इस सम्बन्ध में एक संशोधन भी धारा १८ (ए) बना कर के दिया है और मुझे आशा है कि यह सदन और हमारे ला मिनिस्टर साहब उसे स्वीकार करेंगे और वह समाज को आगे ले जाने में और स्त्रियों को आगे बढ़ाने में अधिक सहायक हो सकेगा और मां, बाप को लड़की का होना एक भार साबित न होगा । उस क्लाज़ में मैं ने रक्खा है कि—दहेज़ आदि के रूप में विवाह के किसी भी संस्कार में कपड़े और गहनों को छोड़ कर इक्यावन रुपयों से अधिक राशि न दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को अवसर दे रहा हूं जिन को कोई अवसर नहीं मिला है, परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि सारा समय वही ले लें और उन को कोई अवसर ही न मिले जिन्हों ने संशोधनों की सूचना दी है । अब मैं श्री मूल चन्द दुबे का नाम पुकार रहा हूं । इस के बाद मैं उन सदस्यों को अवसर दूंगा जिन्हों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे : विवाह-विच्छेद के पक्ष और विपक्ष में दोनों ओर से संस्कृत के उद्धरण दिये गये हैं । मैं संस्कृत नहीं जानता हूं इसलिये मैं नहीं कह सकता कि उन में से कौन से ठीक हैं और कौन से नहीं । परन्तु यदि 'मेन' का कथन इस सम्बन्ध में अधिकार पूर्ण माना जाये तो हिन्दू समाज के इतिहास में एक ऐसा समय था जबकि विवाह-विच्छेद प्रचलित था परन्तु बाद में विवाह-विच्छेद का चलन नहीं रहा और गत एक हज़ार वर्ष से विवाह-विच्छेद प्रचलित नहीं है ।

ब्रिटिश काल में प्रतिपादित हिन्दू विधि वास्तविक हिन्दू विधि का प्रतिनिधित्व करती हो या न हो परन्तु उस ने इतना तो किया ही है कि गत सौ डेढ़ सौ वर्षों में हिन्दू विधि ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया है । अब यदि हम उस में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें यह देखना चाहिये उस से समाज का हित होगा या नहीं । प्रश्न हमारे सामने यह है कि विवाह-सूत्र एक पवित्र बन्धन माना जाये या केवल एक धर्म निरपेक्ष संविदा और यदि धर्म निरपेक्ष संविदा ही हो तो विवाह विच्छेद का उपबन्ध हो या न हो । विवाह का अर्थ एन साईक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार केवल इतना ही नहीं है कि दो प्राणियों को संभोग का अधिकार मिल जाये या सन्तानोत्पादन का साधन उपलब्ध किया जाये वरन् सब से बढ़ कर विवाह का महत्व यह है कि बच्चे को जन्म देने वाले माता और पिता कम से कम एक्कीस वर्ष तक उसे पाल पोस कर बड़ा करने और एक योग्य व्यक्ति बनाने के धर्म को निबाहें । क्योंकि यदि इन एक्कीस वर्षों में माता और पिता विवाह विच्छेद कर के एक दूसरे से पृथक हो गये और दोनों ने पुनर्विवाह कर लिया तो बच्चे का लालन पालन कौन करेगा । इसलिये विवाह केवल एक व्यक्तिगत कार्य

ही नहीं है वरन् एक सामाजिक कर्तव्य भी है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि दम्पत्ति को एक साथ जीवन निर्वाह कर के विवाह-विच्छेद करने का अधिकार देना समाज के हित में नहीं होगा । इस के अतिरिक्त एक हज़ार वर्ष में हम ने जो सामाजिक व्यवस्था गढ़ कर तय्यार की है वह छिन्न भिन्न हो जायेगी । रोग के कारण भी विवाह-विच्छेद करने का अधिकार देने के मैं पक्ष में नहीं हूं क्योंकि आज विज्ञान का युग है और हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो रोग आज असाध्य है वही कल साध्य नहीं हो जायेगा ।

हम कोढ़ियों तथा असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये अस्पताल बना रहे हैं । यदि हम इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देंगे कि रोगों के उत्पन्न होने पर विवाह-विच्छेद हो जाया करे तो नारियों में जो सेवा करने की प्रवृत्ति है उस का बिल्कुल लोप हो जायेगा और फिर हमें इन अस्पतालों के लिये नर्सें कहां से मिलेंगी । इसलिये विवाह- विच्छेद से न तो समाज को लाभ होगा और न उनको ही होगा जिन के लिये विवाह-विच्छेद का उपबन्ध बनाया जा रहा है ।

श्रीमती जयश्री : विवाह-विच्छेद हिन्दू विवाह की सांस्कृतिक विशेषता को किसी रूप में भी प्रभावित नहीं करता है वरन् किसी हद तक उन विशेषाधिकारों के प्रति एक प्रकार की चुनौती है जिन का कि एक हिन्दू पति विवाह संस्कार के नाम पर दावा करता है ।

इस विषय पर समाज-शास्त्र के एक विद्यार्थी ने, जो बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का रीडर है, एक पुस्तक "हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक" के नाम से लिखी है । उस ने जो आंकड़े दिये हैं, उन से प्रकट होता है कि, शिक्षित महिलाओं ने, जो इस पक्षपातपूर्ण विधि से पीड़ित हैं, अपना मत विवाह-विच्छेद के पक्ष में प्रकट किया है ।

जो संशोधन मैं ने रखे हैं उन के द्वारा मेरा यह सुझाव है कि इस के पहले कि न्याया लय विवाह-विच्छेद की आज्ञप्ति जारी करे, एक ऐसा संगठन भी होना चाहिये जो दोनों पक्षों में मेल कराने का प्रयत्न करे ।

यदि कोई व्यक्ति लापता हो जाये तो उस का पता चलने के लिये सात वर्ष का समय देना बहुत अधिक है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस अवधि को घटा कर चार वर्ष कर दिया जाये । वर्तमान युग के संचार साधनों को देखते हुए सात वर्ष का समय बहुत अधिक है । इसलिये मैं आशा करती हूं कि मेरे दोनों संशोधन स्वीकार कर लिये जायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपनी पूरी शक्ति से उन व्यक्तियों के विचारों का प्रतिवाद करती हूं जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक विवाह का अन्त विवाह-विच्छेद हो ।

यह कहा गया है कि विवाह-विच्छेद से स्वयं नारियों ही की कठिनाईयां बढ़ जायेंगी, इसलिये जो लोग इस खण्ड का विरोध कर रहे हैं वे नारियों के हित में ही ऐसा कर रहे हैं । परन्तु श्री एन० सी० चटर्जी तथा उन की संस्था ने जो पैम्फलेट हमें दिया है वही कहता है कि बम्बई उच्च न्यायालय के जितने मुकदमों का हवाला दिया गया है उन में से अधिकांश नारियों द्वारा चलाये गये हैं और उन में आधे ऐसे हैं जो परित्याग के कारण चलाये गये हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि जिन बातों को विवाह-विच्छेद का आधार समझा गया है उन में परित्याग भी एक होना चाहिये । यदि कोई महिला, कुरूपा होने के कारण या इस कारण कि उस के पिता ने उतना

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

दहेज नहीं दिया जितने का उस ने वचन दिया था, पति द्वारा परित्याग किये जाने के पश्चात्, वर्षों तक पति के परिवार में स्थान न पाये और विवशता के कारण पिता के परिवार में जीवन निर्वाह कर रही हो और जहां आर्थिक कठिनाईयों के कारण या भावज के उलाहनों के कारण उस का जीवन ही दूभर हो गया हो तो क्या आप उस से कहेंगे, "नहीं, तुम को तो यही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।" में कहना चाहती हूं कि यह तो घोरतम अन्याय होगा। उचित यही होगा कि उसे पुनर्विवाह करने और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया जाये। मैं मानती हूं कि समाज में कुछ गुमराह व्यक्ति भी हैं जो इस का दुरुपयोग कर सकते हैं। परन्तु कौन सा विधान ऐसा है जिस के कार्यान्वित करने में हमें ऐसे व्यक्तियों का सामना नहीं करना होता है? आय-कर विधियों को ही लीजिये। कितने धनी मानी व्यक्ति आप को ऐसे मिलेंगे जो कर अपवंचन करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के निकृष्टतम व्यक्ति हैं, इसलिये, इन के कारण, सदा के लिये, सभी व्यक्तियों की राह रोक देना उचित नहीं है। कितने ही मामले रोज़ हमारे सामने आते हैं जिन में हम पाते हैं कि विवाह-विच्छेद इन का एकमात्र निदान है। इस दृष्टिकोण से विवाह-विच्छेद के कारणों में परित्याग को स्थान देना बहुत आवश्यक है।

इस में कोई सन्देह नहीं कि इस विधेयक के पास होते ही ऐसे मामलों की एक बाढ़ सी आ जायेगी, जैसाकि कहा जाता है कि बम्बई में हुआ है क्योंकि कितने ही समय से ऐसे मामले एक के बाद एक इकट्ठे होते जा रहे हैं। आखिर इस में बुराई क्या है? कितनी ही कुरीतियों को आप समाज में देखते हैं और कोई आपत्ति नहीं करते हैं परन्तु जब कोई स्त्री कहती है, "मैं पुनर्विवाह करना चाहती हूं, मैं पारिवारिक जीवन बिताने का अवसर चाहती हूं" तो मेरी समझ में उसे अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि तीन वर्ष के परित्याग के पश्चात् विवाह-विच्छेद का अधिकार होना चाहिये। आप चाहें तो इस अवधि को पांच वर्ष भी कर सकते हैं परन्तु पांच वर्ष के बाद यह विवाह-विच्छेद के लिये एक प्रत्यक्ष आधार बनाया जाये।

अभी जो उपबन्ध है उस के अनुसार पांच वर्ष की परित्यक्ता को पहले न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद कराना होगा, उस के दो वर्ष के बाद विवाह-विच्छेद हो सकता है और उस के भी एक वर्ष बाद उसे पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलेगा। हो सकता है कि तब तक उस की आयु इतनी हो जाये कि उसे विवाह-विच्छेद की आवश्यकता ही न रहे। इसलिये मैं समझती हूं कि विवाह-विच्छेद के कारणों में दो कारण और बढ़ाये जायें--परित्याग और निर्दयता।

"उन्माद" तथा "कोढ़" के पहले जो विशेषण लगाये गये हैं उन का होना बिल्कुल व्यर्थ है। चिकित्सा विज्ञान का बड़ा से बड़ा ज्ञाता भी नहीं कह सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष का उन्माद असाध्य ह या साध्य है। इसी प्रकार यह प्रमाणित करना असंभव है कि किसी व्यक्ति विशेष का कोढ़ विषैले किस्म का है। अतः मेरा निवेदन है कि यह खंड रहने दिया जाये केवल विशेषण हटा दिये जायें।

खण्ड १६ में, औरस मानते हुए भी, जहां तक संयुक्त परिवार सम्पत्ति के उत्तराधिकार का सम्बन्ध है, शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न बच्चों में विभेद किया गया है, इसलिये

मेरा सुझाव है कि इस परन्तुक को निकाल दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: हिन्दू विवाह विधेयक के खंड १३ से १८ पर निम्न सदस्यों के निम्न चुने हुए संशोधन हैं, जिन को सदस्यगण प्रस्तुत करना चाहते हैं :—

प्रस्तावक का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री बी० जी० देशपांडे	१३	१६०
श्री एस० एल० सक्सेना	१३	३२८
श्री लोक नाथ मिश्र	१३	३७२
श्री धुलेकर	१३	५६
पंडित के० सी० शर्मा	१३	३२६
श्री राने	१३	११
श्री बोगावत	१३	६४
श्री लक्ष्मय्या	१३	३७४
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१३	३७५
श्री एन० राचय्या	१३	३३०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१३	१४२
श्री वी० जी० देशपांडे	१३	३७६
श्री बोगावत	१३	६८
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१३	३७७
श्री खर्डेकर	१३	३४
श्री के० एल० मोरे	१३	३७८
श्री एन० राचय्या	१३	३३३
श्री विभूति मिश्र	१३	२४२
श्री आर० एन० एस० देव	१३	३७६
श्री के० एल० मोरे	१३	३८०
श्री एन० राचय्या	१३	३३४
श्री खर्डेकर	१३	३५
श्री एन० राचय्या	१३	३३५
श्री विभूति मिश्र	१३	२४४
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१३	३८३
श्री बोगावत	१३	१०४
श्री खर्डेकर	१३	३६
श्रीमती जयश्री	१३	६४
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१३	३८४
श्री एन० राचय्या	१३	३३६
श्री के० एल० मोरे	१३	३८५

[सभापति महोदय]

प्रस्तावक का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री बोगावत . .	१३	१०६
डा० रामा राव . .	१३	३३८
श्री के० एल० मोरे	१३	३८६
श्री यू० एम० त्रिवेदी .	१३	१४३
श्री बोगावत . . .	१३	१०७
श्री के० एल० मोरे . . .	१३	३८७
श्री राने . . .	१३	१२
डा० रामा राव . . .	१३	३४१
श्री एन० बी० चौधरी . .	१३	३४०
श्री राघवाचारी .	१३	३४२
श्री लक्ष्मय्या . . .	१३	३८८
श्री आर० एन० एस० देव	१३	३८९
श्री बी० एन० मिश्र	१३	३९०
श्री राने	१३	१३
श्री धुलेकर . .	१३	६९
श्री धुलेकर . .	१३	१४४
श्री केलप्पन	१३	१६४
श्री विभूति मिश्र . . .	१३	२४६
श्री लक्ष्मय्या	१३	३९१
श्री राने . . .	१४	१४
श्री एन० राचय्या	१४	३४४
श्री यू० एम० त्रिवेदी . .	१४	१९७
श्री भक्त दर्शन .	१४	२४७
श्री बी० एन० मिश्र . .	१४	३९४
श्री बी० एन० मिश्र .	१४	३९५
श्रीमती जयश्री .	१४	७०
श्री लक्ष्मय्या . . .	१४	३९६
श्री वी० जी० देशपांडे . .	नया खंड १४-क	१९८
श्री डाभी .	नया खंड १४-क	३४५
श्री लक्ष्मय्या	नया खंड १४-क	३९७
श्री आर० एन० एस० देव . . .	१५	३९८
श्री एन० राचय्या	१५	३४६
श्री राने	१५	११२
श्री भक्त दर्शन	१५	२४८
श्री विभूति मिश्र	१५	२४९

प्रस्तावक का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री एन० सी० चटर्जी . . .	१५	३४७
श्री यू० एम० त्रिवेदी . .	१५	१४५
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१७	२००
श्री नन्द लाल शर्मा	१८	४००
श्री नन्द लाल शर्मा	१८	४०१
श्री भक्त दर्शन . .	१८	२५४
श्री भक्त दर्शन . .	१८	२५५
श्री एन० राचय्या .	१८	३४६
श्री एन० राचय्या	१८	३५२
श्री एन० राचय्या	१८	३५४
श्री भक्त दर्शन .	१८	२५८
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१८	३५३
श्री राने .	नया खंड १८-क	१७
श्री यू० एस० दुबे	नया खंड १८-क	११६
श्री वी० जी० देशपांडे .	नया खंड १८-क	२०१
श्री डाभी . .	नये खंड १८-क, १८-ख, १८-ग	१८

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम) : यह विषय, समाज की एक पुरानी प्रथा को बदलने का, एक बहुत गम्भीर विषय है । मैं किसी चीज़ के बदले जाने का विरोधी नहीं हूं । पाटस्कर जी ने जो उस दिन अपना भाषण दिया उस के ३/४ भाग से मैं सहमत हूं अर्थात् मैं यह मानता हूं कि समय के अनुसार प्रथायें बदलती हैं, धर्म बदलता है । समय भेदेन धर्म भेद: । अवस्था भेदेन धर्म भेद: । यह प्राचीन वाक्य है । समय के बदलने से धर्म बदलता है, अवस्था के बदलने से, स्थितियों के बदलने से धर्म बदलता है । यह बिल्कुल सही है । मैं इस बन्धे हुए समय में और अधिक इस विषय में नहीं जा सकता ।

मैं इस बात के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे प्राचीन लोग केवल पुराण पंथी नहीं थे । सम्भव है पाटस्कर जी से इस विषय पर मेरा कुछ अन्तर हो । वे पुराण पंथी नहीं थे, वे बुद्धिवादी थे । प्राचीन समय से हमारे यहां बुद्धिमानी की महिमा रही है । जब एक बड़े महाऋषि इस संसार को छोड़ने लगे तो उन के शिष्य उन के पास गये और पूछने लगे कि महाराज अब वेदों का अर्थ कौन करेगा, किस ऋषि के पास आप हमें भेजते हैं । इस पर उस ऋषि ने कहा—

"तर्कोवैऋषिरुक्त:" ।

तर्क ही ऋषि है । तर्क के सामने शास्त्र अलग रह जाते हैं । शास्त्र की मर्यादा तभी तक थी जब तक तर्क उन के साथ था । इसीलिये कहा है, स्मृति का एक पुराना वाक्य है :

[श्री टंडन]

केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्त्तव्यो विनिर्णयः।
केवल शास्त्र का आश्रय लेकर कर्त्तव्य का निर्णय नहीं हुआ करता ।

युक्तिहीन विचारेतु धर्महानिः प्रजायते ।।
जहां युक्ति नहीं है, लाजिक नहीं है, रीज़न नहीं है, वहां धर्म की हानि होती है । और प्राचीन काल में भारतवर्ष में हमारे ऋषि, मुनि भी कोई एक शास्त्र को पकड़ कर नहीं बैठ गये थे बल्कि उन्हों ने समय और काल के अनुसार धर्मशास्त्रों की रचनायें कीं और परिवर्तन किये और हमारा देश तो सदा से ही बुद्धिवादी और तर्कवादी रहा है ।

"नास्ति मुनिर्यस्य मतिर्न भिन्ना"

अर्थात् ऐसा कोई मुनि नहीं है जिस की मति भिन्न न हो । सदा से हमारा देश तार्किक है और बुद्धिवादी है । इस बात के पक्ष में मैं एक नहीं अनेकों प्रमाण दे सकता हूं कि हमारा देश बुद्धिवादी है । हमारे देश में मनु के बाद याज्ञवल्क्य आये और उस के बाद इतनी स्मृतियां बनीं । सौ से ऊपर स्मृतियों का बनना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश एक तलैया नहीं है, हमारा धर्म तलैया नहीं है कि जिस के भीतर हम बन्ध गये हों । समय के अनुसार हमारे ऋषियों और मुनियों ने समाज को स्मृतियां तैयार कर के दीं । इस तरह इतने अंश में मैं आप से सहमत हूं पर साथ ही साथ यह भी स्मरण रखिये कि हमारे देश की कुछ मौलिक मर्यादायें हैं, उन मर्यादाओं को भी हमें समझना है, उन के मूल में कुछ सार है इन में से एक मर्यादा पतिव्रत धर्म की भावना है और वह आदर्श और पवित्र भावना आज भी हमारी बहनों में विद्यमान है । पतिव्रत धर्म का नाम मैं नहीं जानता कि भारत को छोड़ कर और कहीं दुनिया में भी है । सम्भव है हमारी आधुनिक स्त्रियां इसे सुन कर कुछ हंस भी दें, परन्तु एक हमारे यहां का अंग पतिव्रत धर्म है जिस का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं हो सकता । हमारे एक पुराने बड़े भाई स्वर्गीय श्री एंड्रयूज़ ने एक बार कहा था कि मैं संसार में चारों ओर घूमा और मैं ने देखा कि जिस तरह से स्त्रियों का हमारे देश में पतिव्रत धर्म है, उन्हों ने उस के लिये चेस्टिटी का शब्द इस्तेमाल किया, वह आदर्श मैं ने कहीं नहीं पाया । सम्भव है कि कुछ उस के कारण कष्ट भी होता हो । हमारी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने डाइवोर्स के पक्ष में यह दलील दी कि अगर कहीं पर उस का ग़लत इस्तेमाल होता है । तो वह कोई कारण डाइवोर्स को न रखने के लिये नहीं हो सकता । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन की इस दलील को दूसरी तरह से नहीं रक्खा जा सकता कि अगर विवाहित स्थिति में कोई ऐसे लुच्चे आदमी हैं जो बुरी स्थिति पैदा करते हैं तो क्या उन चन्द अपवादों के कारण आप बिलकुल समाज की रूढ़ियां बदल दें ? यह मेरी बहन की दलील दूसरी तरह से भी सामने रक्खी जा सकती है । मैं इस को गम्भीर विषय समझता हूं । आप ने सैक्रामेंट की चर्चा की । हमारे यहां उस को संस्कार कहते हैं ।

श्री पाटस्कर : हम को मालूम है ।

श्री टंडन : अगर आप को यह मालूम है तो फिर सैक्रामेंट की बात क्यों करते हैं, उस को आप छोड़ दें और संस्कार को मानिये । सैक्रामेंट के माने हैं सैक्रेड । यह तो हम सब जानते हैं कि विवाह हमारा एक संस्कार है और हमारे यहां उस की बड़ी महिमा है । हमारे यहां पति और स्त्री का जो सम्बन्ध है वह पवित्र सम्बन्ध माना गया है और जैसे मैं ने कहा पतिव्रत का बड़ा ऊंचा स्थान माना गया है । अरे क्या इस समय मैं आप से आदर्शों की बात करूं ? मैं तो आप से

कहूंगा कि अगर आप इन आदर्शों की बातों को सुन कर हंसते हैं, और केवल इस शरीर को और शरीर की आवश्यकताओं को ही देखते हैं, तब फिर आप "हम प्यार करते हैं, पर जब कर सकते हैं," उस आदर्श के अनुयायी भी हो सकते हैं, क्या वह भी कोई आदर्श है और अपनाने योग्य है ? मैं तो कहूंगा कि वह पशुवत आदर्श है । यह भावना हमारे आदर्श के आज से नहीं हमेशा से बिलकुल विपरीत रही है । हमारा तो आदर्श कुछ और ही रहा है और उस सम्बन्ध में मुझे एक पुरानी कविता की वह पंक्ति याद आ गई है, मैं पूरी कविता इस समय नहीं सुनाऊंगा, जिन्हों ने उस कविता को पढ़ा है उन्हें उस पंक्ति को सुन कर और पंक्तियां भी याद आ जायेंगी । हमारे देश ने इस पशुवत प्रणाली को स्वीकार नहीं किया । विवाह सम्बन्ध क्या है और विवाह पद्धति की आवश्यकता क्या है ? हमारे देश के कुछ आदर्श हैं । हमारे देश के मौलिक सिद्धान्त हैं । हमारे देश की जो स्मृतियां हैं, उन में हमारे आदर्श हैं और हमारा एक आदर्श यह है :

पतिव्रता मैली भली, काली, कुचिल, कुरूप,
पतिव्रता के रूप पर वारूं कोटि सरूप ।।

इसी आदर्श को आधार मान कर हमारे अधिनियम बनने चाहियें । पतिव्रता स्त्री भले ही मैली हो, काली हो और कुरूप हो परन्तु हम करोड़ों सफ़ेद चेहरों, मुलायम चेहरों और शृंगारवान् चेहरों को एक पतिव्रता स्त्री के चरणों पर वार सकते हैं । यह हमारे देश का आदर्श रहा है और इस आदर्श को आज हम भूल नहीं सकते । स्मरण कीजिये यह इसी देश का आदर्श था कि एक भारतीय रमणी जो जानती है कि मेरा भावी पति आज से बारह महीने बाद मरने वाला है, ऐसा विश्वास है कि वह मरेगा, परन्तु जब एक बार वर लिया तो वह उसी पर दृढ़ रही कि वही मेरा पति है और उसी से मेरा विवाह होगा । यह कथा आप के ही देश की है, संसार के किसी दूसरे देश में ऐसी कथा आप को सुनने को नहीं मिलेगी ।

रामायण हमारे देश का एक पवित्र ग्रंथ है जिस पर कि हम सब चलते हैं और बाईं ओर बैठे हुए मेरे भाई तो रामायण में पटु हैं । मुझे इस अवसर पर रामायण की कुछ एक पक्तियां याद आ रही हैं । जब श्रीरामचन्द्र को बनवास हुआ तो सीता जी उन के साथ वन में जाने के लिये खड़ी हो गईं और रामचन्द्र जी से आग्रह करने लगीं कि मैं भी आप के साथ वन में जाऊंगी, तब रामचन्द्र जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम यह सुकुमार शरीर ले कर कैसे वन में चल सकोगी और वहां की कठिनाइयों को झेल सकोगी और उन को वन गमन से रोकना चाहते हैं, उस समय सीता जी जो उत्तर में कहती हैं वह समझने की बात है और वह आदर्श चीज़ है और वह आदर्श सदा हमारे देशवासियों की आंखों के सामने रहना चाहिये । सीता जी कहती हैं :

"नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे ।
सरद विमल विधु वदनु निहारे ।।"

रामचन्द्र जी से सीता जी कह रही हैं कि हे नाथ आप के साथ रह कर आप का शरद् (पूर्णिमा) के निर्मल चन्द्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे । रामचन्द्र जी यह कहते हैं कि तुम उस बीहड़ रास्ते पर नहीं चल सकोगी तो सीता जी उस के उत्तर में इस तरह कहती हैं :

मोहि मग चलत न होइहि हारी ।
छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ।।

क्षण क्षण में आप के चरणकमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी ।

[श्री टंडन]

छिनु छिनु चरन सरोज निहारी, मैं पीछे पीछे चलूंगी, आप के चरण मेरे सामने होंगे और मुझ को थकावट नहीं आयेगी । फिर सीता जी कहती हैं :

प्राणनाथ करुनायतन सुन्दर सुखद सुजान ।
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ।।

प्राणनाथ अर्थात् आप मेरे प्राण के मालिक हैं । 'प्राणनाथ', हमारे यहां पति को संबोधन करने का प्रिय शब्द है । सीता जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुन्दर, हे सुखों के देने वाले, हे रघुकुलरूपी कुमुद के खिलाने वाले चन्द्रमा, आप के बिना स्वर्ग भी मेरे लिये नरक के समान है । तो हमारी स्त्री जाति का यह आदर्श रहा है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ मध्य) : रामचन्द्र जी ने सती सीता के साथ क्या बर्ताव किया ?

श्री टंडन : उन के साथ जो बर्ताव हुआ बहन जी को उस की शिकायत है ? लेकिन मैं साधारण रीति से जो स्थिति है उस की बात कह रहा हूं । जैसा मैं ने पहले ही कहा, मेरी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया कि अपवाद होते हैं । लेकिन जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को समाज से नहीं छोड़ा जाता । उन आदर्शों को रक्खो । हां अपवादों का इलाज करो । उस का इलाज है । आप का स्पेशल मैरेज ऐक्ट बना हुआ है, अगर उस में कोई कमी है तो उस को पूरा करो । मगर यह जो हमारा पतिव्रत धर्म है, उस को न छुओ । जो स्पेशल मेरेज ऐक्ट है उस में आप अपने विवाह की रजिस्ट्री करा सकते हैं, अगर रजिस्ट्री कराने में कोई बाधा है तो उस को दूर कीजिये । मैं श्री पाटस्कर जी से कहता हूं कि वह हिन्दू समाज के पतिव्रत्य के आदर्श की पवित्रता को न मिटावे । पतिव्रत्य की पवित्रता को रक्खें, विवाह की पवित्रता को न छुएं । परन्तु साथ ही जो आवश्यकता हो उस को पूरी करें । क्या मैं जानता नहीं कि हमारे देश में भी ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जोकि अलग हो जाते हैं, लेकिन उन के लिये कोई दूसरा रास्ता बना दीजिये । विवाह का जो क्रम है उस को न छुयें । विवाह में हमारे यहां सप्त पदी होती है । विवाह में हमारे यहां स्त्री पुरुष का संवाद होता है । हमारे यहां जो विवाह संस्कार की पद्धति है, उस में ९-१० स्त्री और पुरुष का एक दूसरे से संवाद है, आपस में उन की बातचीत होती है । जो विवाह इस पवित्रता के साथ होते हैं, यदि उन में कोई अपवाद हो, कोई गड़बड़ी हो, किसी कारण से, तो उस के लिये रास्ता निकालिये, परन्तु विवाह की पवित्रता के ऊपर आप हमला न कीजिये । आज आप एक स्मृति बना रहे हैं, मैं इस विधेयक को स्मृति ही मानता हूं, और मैं मानता हूं कि हमें स्मृति बनाने का अधिकार भी है ।

श्री धलेकर : स्मृति नहीं बना रहे हैं ।

श्री टंडन : यह जो विधियां हैं सब स्मृतियां ही हैं । मैं उन को स्मृतियां ही मानता हूं । पहले स्मृति बनाने का अधिकार ऋषियों को था, अब वह अधिकार जनता को और जनता के प्रतिनिधियों को है । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि आप जिस पवित्र कार्य में लगे हैं, दायित्व के कार्य में लगे हैं, इस में भूल न कीजिये । आप की स्मृतियां जो आज बन रही हैं वह अशुद्ध न हों । यह कहने को न हो कि हम इतने लोगों ने बैठ कर एक घृणित बात की । आप की बात समाज की पद्धति के बिल्कुल विरुद्ध है, हमारे मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है । हमारे देश के सिद्धान्त ही दूसरों से अलग हैं, हमारे देश का क्रम ही दूसरा है, यह वह देश है जहां पर माना गया है :

"सुखस्य मूलं धर्मः"

सुख का मूल जहां धर्म है, इन भौतिक उपकरणों में नहीं । इस का यह अर्थ नहीं है कि भौतिक उपकरणों को सर्वथा छोड़ दिया जाये, लेकिन यहां यह रक्खा गया कि सुख का मूल धर्म है । इसी तरह से यह रक्खा गया :

"शासनस्य मूलं इन्द्रियनिग्रहः"

शासन का मूल इन्द्रिय निग्रह है । आज आप इस प्रकार की बातें कर के यह विषाक्त भावना फैलाते हैं कि पति पत्नी का सम्बन्ध छूट सकता है, इस की बात आप न करें । यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसे हम पवित्र मानते हैं । मैं आदर्शों की बात कर रहा हूं और कहता हूं कि इस की पवित्रता पर बल दिया जाय, स्त्रियों और पुरुषों के अन्दर इस सम्बन्ध की पवित्रता की भावना हो । आप ने मोनोगामी (एक पत्नी विवाह) की धारा स्वीकार की जिस के माने हैं एक पत्नीव्रत । एक पत्नीव्रत हमारा पुराना आदर्श है, रामचन्द्र की प्रसिद्धि ही इस के कारण हुई । बहुत से लोग इस एक पत्नीव्रत के आदर्श से गिर गये हैं । आज आप एक नई स्मृति बना रहे हैं और उस में एक पत्नीव्रत का ऊंचा आदर्श रख रहे हैं तो यह विवाह विच्छेद की बात कैसी ? एक पत्नीव्रत और पातिव्रत्य इन दोनों का जो मेल है उस में विच्छेद न लाइये । जो स्त्री पुरुष इस प्रकार से डाइवोर्स ले कर के अपना मुंह काला करना चाहते हैं वह दूसरी तरफ जायें दूसरे अधिनियमों का सहारा लें । विवाह की पवित्रता को इस आज की स्मृति के द्वारा कैसे बढ़ाया जाय, आप को यह सोचना उचित है ।

यह केवल मेरे और आप के बीच की बात नहीं है । आप इस जगह से निकल कर बाहर तो चलिये और देखिये कि कितने आदमी आप को इस के पक्षपाती मिलते हैं ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : समाज कितने आदमियों से बनता है ? समाज दो चार आदमियों को कहा जाता है या सारे समाज को समाज कहा जाता है ? हिन्दू समाज के प्रायः ८० प्रतिशत लोग आज भी सिद्धान्त रूप से डाइवोर्स को मानते हैं ।

श्री टंडन : दो चार आदमी नहीं, में दो चार जाति भी नहीं कहता । मैं समाज की बात कह रहा हूं । समाज में फैली हुई क्या प्रथा है । कुछ जातियां हैं जहां, पति पत्नी के अलग हो जाने की प्रथा चलती है, लेकिन वह भी इसे अच्छा नहीं समझते । मैं तो कहता हूं कि हरिजनों में भी बार बार विवाह कर अपने पति को जो पत्नी छोड़ती है उस को वह लोग अच्छा नहीं समझते ।

श्री जगजीवन राम : क्या यहां बार बार छोड़ने की बात कही गई है ?

श्री टंडन : यह कह ही कौन सकता है ? आप कहेंगे तो आप को कौन बुद्धिमान समझेगा ? आप को अधिकार भी नहीं है ऐसा कहने का ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप इस को अच्छा समझते हैं ।

श्री टंडन : प्रश्न है आदर्श का । आप आदर्श नहीं रखते हैं तो न रक्खें, परन्तु क्या आप एक पवित्र स्त्री से कह सकते हैं कि तू चल और चांडालिनी हो जा, तू स्वैरिणी हो जा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह सब बड़ा आपत्तिजनक है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : कोई आबजेक्शनेबल बात नहीं है ।

श्री टंडन : मैं आप से कहता हूं कि अगर आप चाहें तो यहां कानून बना सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मुझे सम्बोधित करें ।

श्री टंडन : मैं आप से कहता हूं, जब उधर से कुछ साहबान बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा उधर भी झुकना पड़ता है ।

मैं आप से कहता हूं कि यह दलील कि क्या हम लोगों से कह रहे हैं कि डाइवोर्स करो, बिल्कुल व्यर्थ है । मैं कहना चाहता हूं हम यहां एक आदर्श रखते हैं । हमारे देश में पुराने आदर्श के एक राजा ने कहा था :

"न स्वैरी स्वैरिणी कुतः"

हमारे राज्य में कोई स्वैरी नहीं है, हमारे राज्य में कोई भी व्यभिचारिणी नहीं है। हमारा वास्तविक आदर्श यह है । डाइवोर्स वहां होता है जहां व्यभिचारी और व्यभिचारिणियां हों । हां कभी कभी बहुत थोड़े मामलों में आपसी लड़ाई भी हो जाती है । वह तो दूसरी बात है । मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऊंचे आदर्श रखने हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जैसाकि हमारी बहनों ने कहा, ऐवेरेशन्स हों, अपवाद हों । तो उस के लिये मैं रास्ता बता रहा हूं । उस का रास्ता यह है, जैसा कि हमारे हिन्दू ला के एक विशेषज्ञ ने बताया, कि उस के लिये स्पेशल मैरेज ऐक्ट में मार्ग निकाल दिया जाय।

मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूं, कि मेरा किसी के प्रति आक्षेप नहीं है, हमारे एक मंत्री जी बोल उठे, उन के प्रति भी मेरा आक्षेप नहीं है, न हरिजनों की ओर ही सिर्फ संकेत कर के मैं कह रहा हूं ।

श्री जगजीवन राम : आप भूलते हैं, हिन्दू समाज में भी बहुत सी जातियां ऐसी जिन के अन्दर डाइवोर्स सिद्धान्त रूप में प्रचलित है । सिर्फ हरिजनों की बात कहना गलत है ।

श्री टंडन : मैं तो खुद कहता हूं कि गलत है । हरिजनों का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री जगजीवन राम : आप ने नाम लिया, और किसी ने नहीं लिया ।

श्री टंडन : आप बोलने के लिये खड़े हुए कि हरिजनों ....

श्री जगजीवन राम : मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ कि हमें पूरा मुल्क देखना है, मैं ने हरिजनों के बारे में नहीं कहा । मैं ने तो हरिजनों का नाम भी नहीं लिया । मैं तो सारे हिन्दू समाज के लिये बोल रहा हूं ।

श्री टंडन : और मैं भी बोल सकता हूं सब के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खड़े हो कर अध्यक्ष की अनुमति से ही अन्तर्बाधायें दें ।

श्री टंडन : यह अच्छा होगा कि हमारे मंत्री जी जब उन के बोलने का समय आवे तब अपनी बात कहें । और तब तक वह चुप रहें ।

जहां तक समाज का सम्बन्ध है, उस में हरिजन भी हैं, उस में पिछड़ी जातियां भी हैं । मैं इस बात को मानता हूं जो माननीय मंत्री ने यह कहा कि इस में केवल हरिजनों की बात नहीं है वह ठीक है । बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के नहीं हैं, लेकिन उन के यहां भी पति और पत्नी अलग हो जाते हैं । जो एक वास्तविक बात है उस को कोई थोड़े ही छिपा सकता है, परन्तु मैं फिर कहता हूं कि हरिजनों के यहां यह चीज अच्छी नहीं समझी जाती है । मैं कहता हूं कि आप देश में अच्छी आदर्शवादिता रक्खें, डाइवोर्स की बात हम यहां न लावें । जो लोग गलत किस्म के आदमी हैं, या गलत किस्म की स्त्रियां हैं, मैं उन की बात नहीं कहता । मैं उन लोगों की बात नहीं कहता जिन लोगों ने पतिव्रत धर्म को या एक पत्नीव्रत धर्म को जीवन में स्थान नहीं दिया । ऐसी बात जहां पर आती है, वहां पर हम उस के लिये रास्ता निकाल दें

परन्तु यह जो हमारे देश का आदर्श है, वह आदर्श केवल उच्च जातियों का नहीं है। वह सब का है—हरिजनों का भी है। हमारे सन्तों का वही आदर्श रहा है। आप रैदास की वाणी पढ़िये, पतिव्रत-धर्म के विषय में उन के विचार पढ़िये। मैं ने अभी जो दोहा पढ़ा है, वह कबीर का है, जो जुलाहे थे। हमारे देश के जो उच्च विचारक और महात्मागण हुए हैं, उन सब का यह आदर्श रहा है कि पति-पत्नी का जो सम्बन्ध है, वह अत्यन्त पवित्र है। यह कोई उच्च जातियों का प्रश्न नहीं है।

इसी नाते पाटस्कर साहब से मेरा निवेदन है कि वह इस बारे में कोई रास्ता निकालें और इस धारा को हटा दें। इस में जल्दी की कोई बात नहीं है। वह इस पर पुनः विचार करें और कोई रास्ता निकालें। ज़रा और समय ले लें, कुछ बिगड़ नहीं जायगा, और फिर वह ठीक रास्ते पर इस प्रकार के नियम लायें।

मुझे इतना ही कहना है। मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): गत तीस वर्षों से यह प्रश्न हमारे सामने है। संविधान में हम ने स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान माने हैं। श्री एन० सी० चटर्जी ने यद्यपि विवाह-विच्छेद वाले खण्ड का इतना विरोध किया है फिर भी मुझे विश्वास है कि यदि उन से पूछा जाये तो वह स्वयं इस बात को मानने को तय्यार हो जायेंगे कि कितने ही मामले स्वयं उन के सामने ऐसे आये होंगे जिन में उन्हों ने स्वयं अनुभव किया होगा कि एक हिन्दू नारी के लिये विवाह-विच्छेद के अतिरिक्त और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है।

परन्तु विवाह-विच्छेद का उपबन्ध हिन्दू विधि में पहली बार रखा जा रहा है इसलिये मैं चाहती हूं कि इस में विवाह-विच्छेद के केवल वही कारण रखे जायें जो पहले मूल भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम में थे। हिन्दू नारी अपने आत्मत्याग और धैर्य के लिये प्रसिद्ध है इसलिये रोग को विवाह-विच्छेद का एक आधार न बनाया जाये।

मैं समझती हूं कि हमें इतना भयभीत नहीं होना चाहिये कि इस विधान के पास होते ही प्रत्येक नारी न्यायालय के सामने विवाह-विच्छेद का प्रार्थना पत्र ले कर खड़ी हो जायेगी। भारतीय नारी में परिवार तथा घर के प्रति इतनी आसक्ति है कि वह स्वयं ही सहज में विवाह-विच्छेद के लिये तय्यार नहीं होगी। अतः मेरा सभा से निवेदन है कि वह इस उपबन्ध से आतंकित न हो और इसे इसी रूप में पारित कर दे।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर): मेरा यह बिल्कुल विचार नहीं था कि मैं इस सम्बन्ध में बोलूं, लेकिन दो रोज़ से जो बहस इस सिलसिले में चल रही है और जो विचार यहां पर रखे गये हैं, उन्हों ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं भी अपने कुछ विचार सदन के सामने रखूं। जहां तक डाइवोर्स का सम्बन्ध है, यहां पर जितने विचार प्रकट किये गये हैं, उन में दो तीन बातें नज़र आती हैं। कुछ सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की है कि हमारे समाज की जो बहुत पुरानी प्रथा है और उस के सामने जो आदर्श है, उस को किसी तरह से उलट पलट नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं इस विचार को मानने वाला हूं और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में हम एक ऐसा समाज देखते हैं, जो इतने ऊंचे आदर्शों पर चलता है या अमल करता है, जोकि संसार में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन, जैसा कि अभी हमारे माननीय टंडन जी ने कहा है, जहां तर्क और बुद्धि पर कोई चीज़

[श्री राधा रमण]

न उतरती हो और वह समय के अनुसार न लागू हो सकती हो, उसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है । उन्हों ने इस बात को मानते हुए यह दलील दी है कि डाइवोर्स के सम्बन्ध में अभी हम ने जो स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया है, अगर हम उस पर ही संतोष कर लें, तो वह ज्यादा अच्छा होगा । मैं इस बात को नहीं समझ सका हूं कि जो व्यक्ति आज अपनी शादी करता है, वह कैसे इस बात को जान सकता है कि किसी समय मेरे सामने कोई ऐसा मौका आयेगा कि मेरी और मेरी पत्नी की आपस में नहीं बन सकेगी और चूंकि नहीं बन सकेगी, इसलिये वह अभी अपना विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड करा ले ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : वह किसी समय भी रजिस्टर करा सकता है ।

श्री राधा रमण : जो जन-साधारण इस देश में बसते हैं, उन सब को यह ख्याल होना बड़ा मुश्किल है । जितनी जनता या समाज हमारे सामने है, उस सब को यह अधिकार मिलना चाहिये । आज एक ऐसा समय आ गया है, आज परिस्थितियां ऐसी हैं, जबकि हम देखते हैं कि हमारे शहरों में खास तौर पर और गांवों में भी विवाहित स्त्रियां घरों में बैठी रहती हैं और उन के साथ जो व्यवहार होता है, वह इतना अत्याचारपूर्ण होता है, कि हमें इस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता कि हम ऐसे आपत्ति के काल में उन को इस बात की इजाज़त दें कि वे डाइवोर्स को हासिल कर सकें ।

मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा कदम है जोकि समय के अनुकूल है । मेरा विश्वास है कि समय को देखते हुए अगर आज हम ने इसे कबूल न किया तो इस से समाज को कहीं ज्यादा हानि होगी और कहीं ज्यादा अन्याय हम समाज के साथ और विशेषकर स्त्रियों के साथ करेंगे । बहुत सारे भाई जो डाइवोर्स के खिलाफ बोलते हैं कहते हैं कि यह हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को जो पतिव्रत धर्म के हमारे आदर्शों के अनुसार नहीं है इसे स्वीकार करने से स्त्रियों का पतिव्रत धर्म खराब हो जायेगा, वे अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इस कानून के पास होने के बाद वे कौन से पुरुष होंगे या कौन सी स्त्रियां होंगी जो अपने धर्म का पालन करना चाहेंगी उन्हें इस कानून की शरण लेने के लिये बाध्य किया जायेगा । इस का फायदा पुरुष या स्त्री तभी उठा सकेंगे जब उन में से एक यह देखेगा कि उन का आपस में निर्वाह किसी भी तरह से नहीं हो सकता । क्लाज़िज़ १३ और १४ को पढ़ने के पश्चात् हर एक व्यक्ति को यह बात समझ में आनी चाहिये कि इन दो धाराओं में डाइवोर्स की शर्तों को काफी सख्त बना दिया गया है और साधारणतया हर व्यक्ति इस कानून को प्रयोग में लाने से पहले हज़ार बार सोचेगा और तब कहीं मजबूरी के दरजे फैसला करेगा । हर एक व्यक्ति इस की तरफ झुकेगा, ऐसा मैं नहीं समझता । मेरे विचार में जो व्यक्ति जीवन की पवित्रता में विश्वास रखते हैं और आदर्शवादी हैं, जो बड़े पुराने शास्त्रों के मुताबिक चलना चाहते हैं, उन के रास्ते में यह कानून कोई विघ्न नहीं डालता । आज सैंकड़ों ऐसे कानून हैं जिन कानूनों का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन समाज में एक ऐसी भावना है, एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जहां तक हो सके उन का सहारा लिये बिना नेक काम किया जाये । ऐसे पुरुषों को कोई चीज़ इस बात की प्रेरणा नहीं देती कि वे अदालतों का दरवाज़ा खटखटायें हालांकि उन के लिये

कानून मौजूद हैं और वे उन से फायदा उठा सकते हैं । जब तक समाज में ऐसे नियम हों और उस में आदर्शवादी सिद्धान्तों का पालन करने की भावना मौजूद हैं तब तक ऐसे कानून रहते हुए भी उन का उपयोग सिर्फ मजबूरी में ही किया जा सकता है । दुरुपयोग का तो कहना ही क्या ? कोई भी व्यक्ति मजबूर हो कर और जब उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आयेगा इस से फायदा उठायेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि आज यह एक नेसेसरी ईविल के तौर पर कबूल हो रहा है । आज हम ऐसा करने पर मजबूर हो रहे हैं । यदि आज हम परिस्थितियों को देखें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस कानून को रखने के इलावा और कोई चारा नहीं है । अगर आज हम ने इस को न माना तो इस का नतीजा यह होगा कि सैंकड़ों की तादाद में शहरों और गांवों में जो ऐसी स्त्रियां हैं कि जो अपने पतियों के साथ नहीं रह रही हैं और अपने पिता के पास या अपने भाई के पास रहती हैं और तरह तरह के अत्याचार सहती हैं वह अधिक दुखी होती जायेंगी । आज वे मजबूर हो कर एक ऐसा जीवन बिताने लग जाती हैं जिसे हम किसी भी हालत में मुनासिब नहीं कह सकते और जिस के अन्दर हज़ारों आफत उन को उठानी पड़ती हैं । मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस किस्म की स्त्रियां यदि इस कानून से फायदा उठाना चाहें तो हम उन के रास्ते में क्यों रुकावट डालें । आज पतिव्रत के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत सी बातें कही जाती हैं । मैं मानता हूं कि यह सब ठीक हो सकती हैं । मगर यह बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस कानून को रखने से हर एक स्त्री या हर एक पुरुष यह कैसे सोचने लगेगा कि ज़रा ज़रा से झगड़े पर वह इस कानून का सहारा लेना पसन्द करेगा । सिलैक्ट कमेटी ने इस कानून में जो बन्धन लगा दिये हैं उन बन्धनों को देखते हुए, मेरे विचार में इस तरह का भय किसी के दिल में हो, यह ठीक नहीं है । अगर स्त्री और पुरुष पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं तो यह विधेयक उन के रास्ते में रुकावट नहीं डालता है । यह तो सिर्फ उन के लिये है जो यह समझते हैं कि उन का आपस में निर्वाह होना मुश्किल है और इस के सिवा अन्य चारा नहीं ।

अभी यहां चर्चा हुई और कुछ बहस भी हुई कि देश में डाइवोर्स की प्रथा कहीं अमल में नहीं आ रही है । हम देश में देखते हैं कि अनेक स्थानों पर यह प्रथा मौजूद है तिस पर भी वहां पतिव्रता स्त्रियों की कमी नहीं । अब इस विधेयक के बारे में यह कहना कि इस से पतिव्रत धर्म नष्ट हो जायेगा सर्वथा अनुचित है । और मेरी समझ में नहीं आता । जिन लोगों का जीवन आदर्श के पीछे चलता है, अथवा जो अपने जीवन को नेक और ऊंचा रखना चाहते हैं, उन के लिये यह कानून कोई रुकावट नहीं डालता, उन का रास्ता बिल्कुल साफ है । लेकिन जो उतने ऊंचे आदर्शों पर न चलने में विवश हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो बदनियत हैं, उन से छुटकारा पाने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है । यह कानून समाज में सुधार लाने के लिये, समाज में पवित्रता लाने के लिये, समाज में स्वच्छता लाने के लिये बनाया जा रहा है । इसलिये मेरी आप को यह राय है कि यह मानते हुए कि आज हम ऐसे नियम बना रहे हैं कि जो हमारे पुराने आदर्शों के अनुकूल नहीं हैं, हम परिस्थितियों के कारण मजबूर हो गये हैं कि ऐसे नियम बनायें । आज समय की यह मांग है कि अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर हम समाज को प्रगति की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे कानून का होना परम आवश्यक है । इस बात को हमें सोचना चाहिये और हमें मानना चाहिये ।

[श्री राधा रमण]

इन शब्दों के साथ मैं यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक के अन्दर जो डाइवोर्स की शर्तें हैं उन का इस संसद् के सदस्यों को पूरा समर्थन करना चाहिये ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मैं ने विवाह के विघटन के लिये एक खंड और जोड़ने के लिये संशोधन की सूचना दी है । संशोधन इस प्रकार है कि पति और पत्नी इस आधार पर कि वे परस्पर अपने विवाह-विच्छेद के लिये सहमत हो गये हैं, विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिये याचिका उपस्थापित कर सकते हैं । मुझे ग़लत समझा जा सकता है । मैं विवाह-विघटन के अथवा किसी आधार पर विवाह-विच्छेद के विरुद्ध नहीं हूं ।

श्री पाटस्कर : संशोधन की संख्या क्या है ?

श्री केलप्पन : १६४ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन यह है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो कारण पूछने की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री केलप्पन : वास्तव में विवाह-विच्छेद विवाह की हिन्दू कल्पना के विपरीत है । हिन्दू शास्त्रों के अनुसार विवाह नैतिकता और नीतिशास्त्र के उच्चतम सिद्धान्तों द्वारा शासित एक आध्यात्मिक सम्मिलन है । हम यह समझते हैं कि गृहस्थाश्रम व्यक्तियों को मानव की उच्चतम सेवा के योग्य बनाता है । धर्मशास्त्र न केवल समाज के वरन् व्यक्ति के जीवन की भी योजना बनाता है । सर्वप्रथम ब्रह्मचर्याश्रम होता है जिस में व्यक्ति अपना सारा समय अध्ययन में लगाता है, फिर वह गृहस्थ अर्थात् परिवार वाला व्यक्ति होता है, देश के एक सच्चे नागरिक के तौर पर वह विवाह करता है और बच्चे पैदा करता है । बाद में दोनों सहयोगी सांसारिक जीवन त्याग कर पूर्णतया मानवता की सेवा में लग जाते हैं । यदि इस उच्च आदर्श के साथ लोग विवाह करें तो उस के विघटन के लिये कोई अवसर ही नहीं आयेगा । विवाह के प्रति यह एक उच्च दृष्टिकोण है ।

यदि अधिक क्रियात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये तो हमारे यहां विवाह-विच्छेद के लिये अनुमति नहीं है । दोनों पक्ष जानते हैं कि वैवाहिक बन्धन से छुटकारा नहीं है । अतः वे किसी प्रकार समझौता कर लेते हैं और परस्पर सहायतापूर्ण और शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । विवाह-विच्छेद की अनुमति दिये जाने पर हम यह देखते हैं कि पति कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है जिस से वह विवाह-विच्छेद कर सके क्योंकि पति पुरानी पत्नी से छुटकारा पा कर अधिक नौजवान और सुन्दर स्त्री से विवाह करने के लिये इच्छुक रहता है ।

इस चित्र का एक दूसरा रुख भी है । पश्चिमी देशों में ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जिन के पास अपने को सुन्दर और सुशोभित करने के सभी साधन होते हैं और जो होटलों और नृत्य-गृहों में धनी व्यक्तियों को अपने चंगुल में फंसाने की फ़िराक में रहती हैं । वे विवाह विच्छेद करने और निर्वाह-व्यय कमाने के दृष्टिकोण से ही विवाह करती हैं । यहां हम ने यह उपबन्ध बना कर कि पति भी निर्वाह-व्यय मांग सकता है, इस बुराई को और बढ़ा दिया है । इस तरह की बातें तभी हो सकती हैं जबकि विवाह का बहुत निम्न दृष्टिकोण हो और उस के ऊंचे नैतिक स्तर को बिलकुल गिरा दिया जाय । एक चरित्रवान व्यक्ति केवल इसलिये कि उस का सहभागी अपंगु हो गया है, उसे कभी नहीं छोड़ देगा । उस के लिये वह

विवाह-विच्छेद का कारण नहीं होगा वरन् वह निःस्वार्थ सेवा का एक अवसर होगा ।

यहीं पर विवाह के भौतिक और आध्यात्मिक कल्पनाओं में द्वन्द होता है । प्रश्न यह है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं । जब यह विधेयक सर्वप्रथम पुरःस्थापित किया गया था, तो पूना के एक सदस्य ने कहा था कि विवाह एक संविदायी सम्बन्ध है । यदि ऐसा हो तो विवाह के कई रूप हो सकते हैं । कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि वह साझेदारी की संस्था भी हो सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कोई संशोधन रखा है ?

श्री केलप्पन : मैं अपने संशोधन पर आ रहा हूं । मैं नहीं समझता कि कुष्ट य पागलपन विवाह-विच्छेद के कारण हो सकते हैं । मैं यह मानता हूं कि उस दशा में पति-पत्नी के लिये एक साथ जीवन व्यतीत करना कठिन हो सकता है । यदि ऐसा हो, तो परस्पर सहमति से एक दूसरे को अलग होने की अनुमति दी जानी चाहिये । मैं केवल इसी चीज़ की कल्पना कर सकता हूं । जो कारण दिये गये हैं, वे निश्चय ही विवाह-विच्छेद के कारण नहीं हैं । अतः मैं इस संशोधन की सिफारिश करता हूं । अन्य सभी संशोधन रद्द कर दिये जायें ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक–मध्य) : इस विधेयक में विवाह विच्छेद के लिये जो व्यवस्था की गई है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मेरे महासभा और रामराज्य परिषद् के दोस्तों ने बहुत कुछ इस पर कहा है, बार बार इस विधेयक के इन प्राविज़नों के खिलाफ वे बोले हैं, और मैं ने उन सब बातों को सुना है । उन के अलावा श्रद्धेय टंडन जी भी इस विषय पर बोले हैं । मेरे दिल में उन के प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उन का वक्तव्य आज मैं ने सुना तो मुझे बहुत धक्का लगा । हिन्दू समाज के सामने जो बड़े बड़े आदर्श हैं और रहते आये हैं, उन से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूं और बचपने से उन को जानता हूं, लेकिन जब समाज की तरफ़ आंखें उठाता हूं तो बिल्कुल दूसरी ही हालत पाता हूं । मैं आप को बतलाऊं कि बचपन में मेरे पड़ोस में एक बड़े शास्त्री महाराज रहते थे, उन के लिये मेरे शहर और ज़िले में बड़ा आदर का भाव था और वह मेरे पिता जी के पास आते जाते थे और हमेशा हिन्दू धर्म की बातें किया करते थे और कहते थे कि हिन्दू धर्म कितनी आदर्श चीज़ है और वे उन समाज सुधारकों को बुरा कहते थे जो सती प्रथा को हटाने के लिये प्रयत्नशील थे, उन का विचार था कि ऐसा कर के वह सती की महिमा को ही ख़त्म कर रहे हैं । सती का आदर्श कितना महान् और उच्च है । एक दफ़ा विवाह हो जाने पर स्त्री और पुरुष एक पवित्र वैवाहिक बन्धन में हमेशा हमेशा के लिये बन्ध जाते हैं, पति पत्नी एक रूप हो जाते हैं और कुछ भी हो उस विवाह बन्धन को तोड़ना नहीं चाहिये ।

ऐसा हुआ कि एक गांव में एक शास्त्री जी की पत्नी मर गई । मैं पड़ोस में रहता था इसलिये मैं भी श्मशान भमि में चला गया । मैं ने शास्त्री जी की आंख में आंसू भी नहीं देखा । उन के मित्र मेरे सामने भूमि पर बैठे थे । शास्त्री जी की पत्नी की चिता जलती थी और उन के दोस्त कह रहे थे कि अड़ोस पड़ोस में कोई १४-१५ वर्ष की लड़की है जिस के साथ १५ दिन के भीतर शास्त्री जी की शादी कर दी जाये ? बड़े आदमी हैं, उन्हें विवाह करना ही चाहिये । उन

[श्री जी० एच० देशपांडे]

के सामने कितना अच्छा अवसर था ? शादी होना बड़ा अच्छा है, लेकिन एक आदमी की पत्नी मर जाती है, उस की चिता जल रही है और उस के दोस्त कहते हैं कि क्या अड़ोस पड़ोस में कोई लड़की है १५-२० साल की जिस के साथ १५ दिन के भीतर उस का विवाह कर दिया जाय ? उन लोगों के लिये धर्म या पवित्रता की कोई बात नहीं है, वह तो बड़े धर्मवादी हैं । जब कोई स्त्री कहती है कि यह क्या बात है कि मैं सती हो जाऊं ? तो उस के लिये कहते हैं कि यह तो आदर्श की बात है । पुरुषों के लिये अलग आदर्श है और स्त्रियों के लिये अलग आदर्श है । मैं नहीं चाहता कि पुरुष और स्त्री के लिये अलग अलग आदर्श हो । जब वह दिन नहीं रहे जबकि हमारी बहनें देवी हुआ करती थीं, जबकि वह शिक्षा नहीं लेती थीं, उन को शिक्षा देना बड़ा अतर्क समझा जाता था, वह स्कूलों में नहीं जाती थीं, उन की स्थिति जानवर सरीखी थी । आप तो चाहते हैं कि वह वहीं बनी रहें, उन को समझना ही नहीं चाहिये । लेकिन अब तो ज़माना बदल गया । वह स्कूलों में जाती हैं, पढ़ती हैं, अपने भविष्य की ओर ध्यान दे सकती हैं, यह समझ सकती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और जानती हैं कि वह भी इस देश की एक महत्व-पूर्ण अंग हैं । जब पुरुष यहां आते हैं और कहते हैं कि हमारा यह आदर्श है, वह आदर्श है, तो स्त्री के मन में भी आता है कि आखिर यह क्या आदर्श है जोकि पुरुषों के लिये तो है, लेकिन हमारे लिये नहीं है । जब यहां पुनर्विवाह की बात चलती थी तो यह होता था कि ५०-६० साल का आदमी जिस के ५-६ लड़के लड़कियां होती थीं, वह भी शादी कर सकता था, और वह जो उस की बड़ी लड़की की उम्र होती थी उस से कम उम्र की लड़की से शादी कर सकता था । अगर उस के घर में कोई बाल विधवा होती थी तो उस का विवाह नहीं हो सकता था । मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, मेरे ही पड़ोस में कोई ३० वर्ष पहले की बात है, जो घर का स्वामी था, कई बच्चों का पिता था, उस का पुनर्विवाह हो गया और उन की जो बाल विधवा लड़की थी वह एक कोने में बैठी थी । अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो धर्म मार्तण्ड थे वह कहने लगे कि आप के यहां शादी का मंगल कार्य होने में यह बाधा है कि जब तक आप की बाल विधवा लड़की के जो बाल हैं वह नहीं काटे जायेंगे तब तक हम इस धर्म विवाह में भाग नहीं लेंगे कितना उच्च आदर्श है हिन्दू समाज का और कितनी पवित्रता भरी हुई है हिन्दू समाज में । स्त्री के लिये वहां कोई पवित्रता है ही नहीं । और न स्त्री के लिये कोई संस्कार ही है । यह सब जब तक हिन्दू समाज में भरा हुआ है तब तक इस प्रकार से बोलना कि हमारे सामने बड़ा भारी आदर्श है, इस में मैं नहीं समझता कि कोई अर्थ है । पुराने ज़माने में क्या हुआ, उन लोगों ने क्यों ऐसी बातें रखीं, इस में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन आज की बात क्या है ? आज स्त्रियां अनपढ़ नहीं हैं । आज स्त्रियां समझती हैं कि जो अधिकार पुरुष के हैं वही स्त्री के हैं । जब वह यहां की बातें सुनती हैं तो कहती हैं आखिर यह सब क्या है ? मोनोगामी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप देखिये कि जब बहुत उम्र आदमी की हो जाती थी और कोई पुत्र नहीं होता था तो पुत्र होने के लिये एक क़ायदा रखा गया कि ऐसा आदमी पुत्र के लिये दूसरी शादी कर सकता है । बड़े बड़े हिन्दू शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है । तो जैसे एक पुरुष लड़का न होने पर दूसरी शादी कर सकता है उसी तरह एक स्त्री को भी क्यों नहीं हक़ होना चाहिये ? मैं नहीं चाहता कि पुरुष दूसरी

शादी इसलिये कर सके कि उस के लड़का हो। मर्द पर औरत की ज़िम्मेदारी भगवान ने डाली है, स्त्रियों को वैसे ही रहना चाहिये जैसे भगवान ने उन को कर दिया, उन को गुलाम ही रहना चाहिये, यह मैं नहीं समझ सकता। इस समाज में आज से १०० वर्ष पहले यह बात ठीक हो सकती थी, लेकिन आज अगर कोई आ कर यह बात कहे, तो मैं उस से पूछना चाहता हूं कि यह कैसे समझ में आ सकता है। क्या आप चाहते हैं कि एक आदमी अगर अपनी स्त्री के साथ बुरा बर्ताव करता है, शराब पीता है और शाम को घर आ कर स्त्री को पीटने को उठता है, जो बच्चे उसने पैदा किये हैं, उन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, तो भी उस की स्त्री उसी की गुलामी करती रहे? आखिर उस स्त्री को क्या करना चाहिये? वह पढ़ी लिखी है, वह चाहती है कि उस के ऊपर से उस आदमी का बोझ हट जाय, वह अपने बच्चों की अच्छी तरह से सम्भाल करे, तो क्या उस को इस का हक़ नहीं होना चाहिये? आख़िर यह क्या धर्म है, क्या आदर्श है? अभी टंडन जी बोल रहे थे तो मुझे उन के शब्दों को सुन कर बड़ा दुःख हुआ। वह कहते हैं कि ऐसे आदर्शों को इस कानून में नहीं रखना चाहिये। कोई दूसरा कानून होना चाहिय इस के लिये। मैं आज पूछता हूं कि जिस समाज में, जिन जातियों में यह रिवाज है और आज तक चालू हैं, जिन के यहां डाइवोर्स होता है, वह क्या इन्फ़ीरियर हिन्दूज़ हैं?

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला): नहीं. वह बहुत सुपीरियर हैं।

श्री जी० एच० देशपांडे: और वह हिन्दू जोकि आदर्श तो इतने बड़े बड़े रखते हैं, लेकिन जिन को जीवन में अमल में नहीं लाते हैं. वह बड़े पवित्र हैं? मेरी समझ में ही नहीं आता कि आख़िर यह बात कैसी है?

श्री टंडन: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी बात को समझा नहीं, मैं ने तो इस तरह की कोई बात नहीं कही। मैं कोई दो विभाग चाहता हूं हिन्दू समाज में ऐसी बात नहीं है। मैं ने तो यह कहा था कि जो कानून पहले से ही बना हुआ है, उस में ऐसा रास्ता निकाल दीजिये जिस में विशेष दशा में विवाह विच्छेद सम्भव हो जाय। मैं ने कोई ऐसी बात नहीं कही जैसी कि आप कह रहे हैं।

श्री जी० एच० देशपांडे: मैं ने जो सुना वह ऐसा ही सुना था कि जो ऐसा आदर्श नहीं रखते हैं उन के लिये यह रास्ता है कि अलग क़ानून हो जाये।

श्री टंडन: जो स्पैशल मैरिज ऐक्ट बना है, मैं ने उस के हवाले से कहा था कि ऐसे आदमियों के विवाह का प्रबन्ध उस ऐक्ट में कर दिया जाय। मैं ने पाटस्कर जी को यह बात सुझाई थी जिस में कि विवाह की पवित्रता भी बनी रहे और जो व्यक्ति उस ऐक्ट में रजिस्ट्रेशन करा ले, चाहे वह हिन्दू हो या और कोई हो, उस का विवाह उस ऐक्ट के अन्दर माना जाये।

श्री जी० एच० देशपांडे: मैं तो समझता हूं कि ऐसा करने से हिन्दू समाज के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक डाइवोर्स न करने वाला और दूसरा डाइवोर्स करने वाला। अगर यह दो श्रेणियां बनाई गईं तो हिन्दू समाज में बग़ावत हो जायेगी। यह चीज़ मुझे किसी तरह से भी अच्छी नहीं लगती। मैं मानता हूं कि यह आदर्श एक पत्नीव्रत का रहना चाहिये, डाइवोर्स का आदर्श समाज के सामने रखा जाय, ऐसा कोई नहीं कहता। मोनोगैमी ठीक है, एक पत्नीव्रत अच्छी

[श्री जी० एच० देशपांडे]

बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि हमारे लिये थोड़ा सा कंसिडरेशन रखो, अगर कोई दिक्कत आ जाय तो दूसरी पत्नी के लिये कोई रास्ता रखो। वैसे यह ठीक है, मैं भी मानता हूं कि विवाह हिन्दुओं की पवित्र चीज़ है। विवाह कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे कि हम कपड़ा बदलते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि इस प्रकार की खराब प्रणाली को चलाया जाय, लेकिन अगर कोई बुरा पति हो, कोई अपनी स्त्री के साथ बुरा बर्ताव करता है, तो उस स्त्री को डाइवोर्स मिलना चाहिये। उन को ऐसी किसी भी आफ़त में खुला हक़ होना चाहिये। यदि किसी का पति ठीक से रहता है और पति और पत्नी ठीक तरह से रहते हैं तो उन का डाइवोर्स नहीं होना चाहिये, इस में कोई ग़लत बात नहीं है, इस से समाज की कोई बुराई होने वाली नहीं है, और हिन्दू समाज इस के खिलाफ होगा, ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन डाइवोर्स से भी हिन्दू समाज की कोई बुराई होगी यह भी मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि बम्बई सूबे में भी बहुत जमातें ऐसी हैं जहां यह रिवाज चालू है, लेकिन उस का कोई बुरा असर अब तक नहीं हुआ है। लेकिन आदमियों के ऊपर इस का असर अच्छा हुआ है, यह बात ठीक है। इसलिये मैं बहुत ज़ोर के साथ यह जो डाइवोर्स का प्राविज़न है, उस का समर्थन करता हूं।

श्री नन्द लाल शर्मा :

तद्दिव्यमव्यर्थं धाम सारस्वतमुपास्महे ।
यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते मोहान्ध तमसश्छठाः ।।

उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि :

भूताविष्ट उन्मत्त प्रमत्त प्राणी

जो भी निरर्थक प्रलाप कर जाय, उस का बुरा नहीं मानना चाहिये। मैं तो एक बात समझता हूं। एक दिन महाराज नहुष जो कि परम तपस्वी माने गये हैं और जिन को सशरीर स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ, उन महाराज नहुष की दृष्टि इन्द्राणी पर पड़ गई। इस सारे कुकर्म का फल उन को अन्त में सर्प बन कर भोगना पड़ा। मुझे इस बात का खेद है कि इस सभा के अन्दर जो कांग्रेसी महानुभाव बैठे हैं, मैं नहीं कहता कि उन में कुछ खराबियां हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि क्या सत्य और धर्म की बात है उस को वह सुनना नहीं चाहते।

मैं श्री टंडन को और स्वयं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं और मैं उन के लिये आभार प्रदर्शित करता हूं। मैं जानता हूं कि वे कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में काम कर रहे हैं, परन्तु हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति के सम्बन्ध में बात-चीत करने में मुझे किसी पार्टी का पक्ष ले कर किसी पार्टी को कन्डेम नहीं करना है। मैं समझता हूं कि वे भी हिन्दू हैं और इधर मेरे जो कम्युनिस्ट भाई बैठे हुए हैं, वे भी हिन्दू हैं। वे सब लोग, जो कि दूसरों के आदर्श को नहीं अपना चुके हैं, जो दूसरे देशों म अपना आश्रय नहीं रखते हैं और जो दूसरों की संस्कृति को अपनी संस्कृति नहीं बना चुके हैं, वे चाहे कहीं भी बैठे हों, मेरे भाई हैं। मेरे भाई का लक्षण क्या है? मेरा भाई कौन है? यहां पर जो कोई उठता है, वह कहता है कि "मैं सनातनी हूं, मैं हिन्दू हूं।" मेरा भाई तो वह है जोकि मेरी माता को अपनी माता समझे और मेरे पिता को अपना पिता कहे और उन की आज्ञा को माने। यहां पर कुछ लोग श्रुति रूपी मेरी माता को तो ठोकर मारते हैं, धर्म रूपी मेरे पिता को गाली देते हैं और फिर कहते हैं कि "चूंकि मैं हिन्दू हूं, इसलिये मुझे हिन्दू धर्म के बारे

में कानून बनाने का अधिकार है ।" ऐसे ही लोगों के लिये मनु ने कहा है :

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वन्नविद्यते ।।

अर्थात् ऐसे हज़ार व्यक्ति भी इकट्ठे हो जायें, तो भी उन से सभा नहीं बनती ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में सब से अधिक कलंकित अंश "डाइवोर्स क्लाज़" है, जिस के सम्बन्ध में पिछले सत्र में आप को भी कहना पड़ा था कि वह उचित नहीं है । आप मोनोगैमी का आदर्श हमारे सामने रखते हैं और एकपत्नीत्व की दुहाई देते हैं । हम एकपत्नीत्व का स्वागत करेंगे, यदि, जैसा कि श्री टंडन ने कहा है, उस के साथ यह दूसरा पाप न हो । आप जो दायें हाथ से देते हैं, वह बायें हाथ से लौटा लेते हैं और "वन एट ए टाइम" की व्यवस्था को आप एकपत्नीत्व का नाम देते हैं और हमारे सामने राम और राम-राज्य का आदर्श रखते हैं । यह जनता की आंखों में धूल झोंकना है । हिन्दू शास्त्र इस के सर्वथा विरुद्ध है । श्री जगजीवन राम जी ने जो टंडन जी का विरोध किया इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह बिल उन पर लागू ही नहीं होता ।

इस बिल की क्लाज़ २९ में यह देखता हूं :—

> "इस अधिनियम की कोई बात रूढ़ि द्वारा मान्य हिन्दू विवाह के विघटन के लिये किसी विशेष विधान द्वारा दिये गये किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।"

उन बन्धुओं के लिये यह सेविंग क्लाज़ रख दिया गया है । उन लोगों के ऊपर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । यह ऐक्ट उन को वैसे ही छोड़ देता है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि डाइवोर्स क्लाज़ को दूसरे हिन्दुओं के लिये हटा दिया जाये ।

दूसरी बात यह है कि डिज़र्शन, रोग, मस्तिष्क का विकार और क्रुएल्टी इत्यादि डाइवोर्स के कारणों को बतलाते हुए कई महानुभावों ने उन में "सन्यास" को भी सम्मिलित कर लिया । मुझे इस से बड़ा आश्चर्य हुआ । जो लोग हिन्दू शास्त्र को जानते हैं, उन को मालूम है कि कोई गृहस्थ अथवा कोई पुरुष, जिस के माता-पिता जीवित हैं, या जिस की पत्नी है, बिना उन की आज्ञा लिये सन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता है । उस को पत्नी की आज्ञा ले कर ही सन्यास लेने का अधिकार है । ऐसी परिस्थिति में क्या कोई कह सकता है कि "हम तो भागवत-भजन करने जाते हैं और तुम यहां पर मौज करो" ? ये बातें हिन्दू आदर्शवाद का ह्रास करेंगी, उस को नीचे गिरायेंगी जैसा कि अभी श्री टंडन ने कहा है । कानून जाति को आदर्श की ओर ले जाने के लिये बनाये जाते हैं, उस को ऊंचा उठाने के लिये बनाये जाते हैं । यहां पर बार बार यह तर्क दिया जाता है कि पुरुष यह पाप करता है, वह पाप करता है, इसलिये स्त्री को भी वह करने का अधिकार क्यों न हो ? आप स्वयं यह सिद्धान्त मानते हैं कि दो पाप मिलने से एक पुण्य बन जायगा, यह बात ठीक नहीं है । Two wrongs do not make a right. इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप जितना परिश्रम हमारी माताओं को कुपन्थ पर लगाने के लिये दिखा रहे हैं, उतना आप पुरुषों का सुधार करने में लगायें । आप क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करें और दूसरे पग उठायें । शास्त्रों बतलाया है कि "न द्विषन्त्याः परित्यागः याज्ञवल्क्य का भी कहना है :—

आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरूसं प्रियवादिनीम्
त्यजन्दाप्यस्तृतीयां शमशक्तो भरणं स्त्रियः ।।

द्वेष करने वाली स्त्री का परित्याग करने का भी अधिकार पुरुष को नहीं है,

[श्री नन्द लाल शर्मा]

शत्रुता रखने वाली स्त्री को भी छोड़ने का अधिकार नहीं है, और आज्ञा मानने वाली, योग्य, पुत्र जनने वाली और प्रियवादिनी स्त्री .....

श्रीमती गंगा देवी (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस क़ानून के न होते हुए कितने पुरुष इस बात को मानते हैं कि स्त्री की इज्ज़त की जाय और करते हैं ? जब कोई चाहे स्त्री को निकाल देता है और जब वह बात कानून से होने वाली है, तो आप उस को अधर्म कहते हैं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : यदि इस बात को स्वीकार भी कर लिया जाय कि चूंकि कानून नहीं है, इसलिये पुरुष अत्याचार करते हैं, तो हमारी बहिन इस बात को भी स्वीकार कर लें कि यदि क़ानून के द्वारा पुरुष को अत्याचार करने का अधिकार दे दिया गया, तो अत्याचार अवश्य बढ़ जायगा। और फिर हम तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं । इस सदन में कम से कम ५०० सदस्य हैं । अगर उन सदस्यों में से एक भी यहां पर खड़ा हो कर यह कह सके कि मैं अपनी स्त्री के साथ खुल्लम-खुल्ला अत्याचार कर रहा हूं या मेरे घर में झगड़ा होता है, तो मैं इस बात को मान सकूंगा । पांच सौ में से एक तो होगा । किन्तु मेरा निवेदन यह है कि ऐसा होने पर भी इस बात का तर्क कहीं भी नहीं मिलता है कि हिन्दू देवियों को कुमार्ग पर लगाना चाहियें ।

अभी टंडन जी ने सीता और सावित्री की कथा की ओर संकेत किया । आप के कथनानुसार वे तो पुरानी बातें हैं । मैं आप को बताऊं कि अभी राजस्थान में कितनी ही सतियां हो चुकी हैं, जिन को पुलिस इंस्पैक्टर और कमिश्नर ने रोकने की चेष्टा की और जिन के शरीर में अग्नि स्वयं प्रकट हुई । अभी पाकिस्तान बनते समय, भारतवर्ष के टुकड़े होते समय हिन्दू स्त्रियां अपने पातिव्रत्य को बचाने के लिये आग में कूदीं और रावी नदी में कूदीं । उन्होंने अपने प्राण दे दिये, परन्तु पर पुरुष को अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दिया ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

जिस जाति में यह पातिव्रत्य जीवित है, उस के विषय में यह कहना कि वह तो शरीर की भूख है, बायालोजिकल अर्ज है, जिस प्रकार खाना-पीना होता है, उसी प्रकार वह भी होता है, सर्वथा अनुचित है । कुछ पढ़ी-लिखी स्त्रियां उस को खाने-पीने की तरह मानती हैं, इसलिये क्या उन को पतन का अधिकार दे दिया जाय ? मैं निवेदन करूंगा कि आत्म-हत्या का अधिकार अधिकार नहीं कहलाता, वह तो सर्वनाश का मार्ग है ।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर-झुंझनूं--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि अमुक स्त्री सती हो गई, परन्तु क्या कोई पुरुष भी अपनी स्त्री के लिये "सता" हुआ है ?

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं इस का कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं । (**अन्तर्बाधा**)

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति, उन को बोलने दिया जाये ।

श्री नन्द लाल शर्मा : आप उस अहंकार की भावना का परित्याग कर दीजिये । इस में श्री पाटस्कर का कोई दोष नहीं है । हम तो इतनी बात जानते हैं कि उन को जैसे ऊपर से संकेत हो रहा है, वैसे ही वह कर रहे हैं । सदीनो राजसेवकः वे बेचारे तो राज-सेवक हैं । अभी यह संकेत किया गया था कि हम इस में एक कामा भी नहीं बदल

सकते, नहीं तो यह क़ानून फिर राज्य सभा को जायगा और फिर से यह प्रपंच होगा। किन्तु हम केवल यह कहते हैं कि आप को धर्म की बात कहना बड़े व्यक्तियों का कर्तव्य है। सब जानते हैं कि पांडवों की सूची—सूई—की नोक जितनी पृथ्वी की मांग के लिये जब दुर्योधन ने ना कर दी, तो उस का क्या परिणाम हुआ। हम ने आप से केवल यह कहा कि इस बिल में से डाइवोर्स के क्लाज़ को निकाल दीजिये, हिन्दू शास्त्र के साथ हिन्दू का सम्बन्ध मत काटिये, किन्तु आप ने वह नहीं किया। उस के बदले में हम एक शब्द कह देते हैं। हो सकता है कि आज आप का बल सोने की लंका जितना दीखता हो। किन्तु एक बात है :

अधर्मेनैधतेतावत्ततो भद्राणिपश्यति ।
ततः समत्नान् जयति समूलचं विवश्यति ।।

हम को यह डर लगता है, हिन्दुओं के लिये और कोई घर नहीं है, हिन्दू और कहीं नहीं जायेंगे, उन का भारत ही घर है, यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर जियेंगे, यहीं पर मरेंगे। इसलिये उनके धर्म और उनकी संस्कृति का सर्वनाश करना आप के लिये उचित नहीं है। यदि आप फिर भी यह करेंगे तो हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आप एक दिन .....

श्री धुलेकर : कहीं कोई शाप न दे देना।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं शाप नहीं देता। वे शब्द जो भगवान् कृष्ण ने दुर्योधन को कहे थे दोहरा देना चाहता हूं।

एकाकी पादचारेण नोचे द्यास्यसि कौरव ।
मन्वाद्यो धर्मवक्तारस्तदास्युर्मद्यपायिनः ।।

और कौरव अगर तुम्हें अकेले बिना सहायता के पैदल भागते हुए पृथ्वी पर मैं न देखूंगा तो मनु आदि धर्म शास्त्रकारों ने मदिरा पी कर धर्म शास्त्र बना दिया ऐसा मेरा निश्चय होगा।

मैं आप से निश्चय के साथ कहता हूं कि आज आप धर्म को कमज़ोर न समझें। धर्म और ईश्वर ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर दबाना चाहेंगे तो भी नहीं दबेंगी। ईश्वर प्रतिक्षण मच्छर पर तोप नहीं दागता। समय आने पर जो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इस से दूर जा रहे हैं उस का फल भुगतना पड़ेगा। आप यह जो हिन्दू धर्म का सर्वनाश करने के प्रयत्न कर रहे हैं मैं निश्चय से कह सकता हूं कि आप इस में सफल नहीं होंगे और वक्त आयेगा जब आप अपने किये पर पछतायेंगे। हिन्दू माता आप के ऐसे प्रयत्न करने पर भी अपने आदर्श से नहीं गिरेंगी। आप उस का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हो सकता है कि कुछ 'शूपनखायें अभी भी हिन्दुस्तान में हों लेकिन उन की संख्या बहुत कम है। फिर भी मैं यह निवेदन करता हूं कि आप समझ लें कि लोग इस चीज़ को नहीं चाहते और हिन्दू विवाह एक सैक्रामेंटल चीज़ है, एक पवित्र चीज़ है, इस को किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। मैं निश्चय से कहता हूं कि मुसलमानों ने आप का साथ नहीं दिया, ईसाइयों ने आप का साथ नहीं दिया, आप के साथ अगर कोई जिया है या मरा है तो वह हिन्दू ही है ....

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : आप ने भी तो साथ नहीं दिया।

श्री नन्द लाल शर्मा : आप भूल कर रहे हैं। अगर मैं ने साथ न दिया होता मैं आज यहां पर बैठा न होता। मैं पेशावर और फ्रंटियर से यहां आया हूं। अगर मैं अपने धर्म को छोड़ कर वहां रहना चाहता तो बड़े आनन्द से रह सकता था। लेकिन मैं ने अपने धर्म को त्यागना पसन्द नहीं किया। मैं ने वहां पर राम रहीम और कृष्ण करीम

[श्री नन्द लाल शर्मा]

बन कर नहीं रहना चाहा । परन्तु मुझे अफ़सोस है कि जिस धर्म को मैं ने मुसीबत पड़ने पर भी नहीं छोड़ा आज आप मेरे उस धर्म को मुझ से छीन रहे हैं और मुझे उस धर्म के अनुसार चलने नहीं देते ।

इसलिये में आप से निवेदन करता हूं कि यह बरसात के दिन बीत जायेंगे ।

यास्यति जल घर समयः तवचसमृद्धिलेघीयसी भविता ।
तटिनि तटद्रुमपातन पात कमेंकं चिरस्थायी ।।

बरसात के दिन बीत जायेंगे और बरसाती नदी तेरी उछल कूद भी समाप्त हो जायेगी । किन्तु अपने तट पर उगने वाले पेड़ों को गिराने का कलंक सदा के लिये तेरे मस्तक पर लगा रह जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप यह कलंक का टीका अपने माथे पर न लगायें । अपने भाइयों को कमज़ोर न समझें । आप को ईसाई मुसलमान ने बल नहीं दिया हिन्दू ने ही बलवान बनाया है ।

तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुला :

एक चावल के ऊपर जो छिलका होता है अगर उस को उतार दिया जाये तो वह एक चावल खाने मात्र के लिये ही रह जाता है और उगने योग्य नहीं रहता । आप इन्टर-नेशनल जगत में कितनी ही प्रतिष्ठा पा लें, कितना ही बांडुंग कान्फ्रेन्स इत्यादि में आप का नाम हो जाये लेकिन यदि आप ने अपने घर में ही धर्म को मिटाने की कोशिश की, लोगों की मर्जी के विरुद्ध आप गये तो आप की परिस्थिति केवल उस चावल के दाने की तरह हो जायेगी जोकि खाने के योग्य रह जाता है उगाने योग्य नहीं रहता ।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर–दक्षिण) : यह डाइवोर्स का विषय काफी विवाद ग्रस्त विषय है और इस पर इस भवन का वातावरण भी काफी गर्मागर्म हो गया था । जब राजऋषि टंडन जी अपना भाषण दे रहे थे तो काफी गर्मागर्मी देखने में आई । अगर हम इस डाइवोर्स की क्लाज़ को रखना चाहते हैं तो मेरा विचार है इस के लिये इस बिल के सिवाय और कहीं भी कोई उचित स्थान नहीं है । अगर आप इस को रखना चाहते हैं तो रखिये और अगर नहीं रखना चाहते तो न रखिये लेकिन इस के लिये किसी और ऐक्ट में स्थान हो यह मैं नहीं चाहता । अभी यहां पर कहा गया कि इस का स्पेशल मैरिज ऐक्ट में स्थान हो, यह मैं नहीं मानता । स्पेशल मैरिज ऐक्ट का एक अलग ही रूप है और यदि हम इस को उस में स्थान देते हैं तो हिन्दू समाज की श्रृखंला टूटती है, समन्वय नहीं रहता और इन कारणों से उस में यह प्रावीज़न नहीं होना चाहिये । मेरे एक भाई जो मेरी बगल में बैठे हुए हैं कह रहे थे कि कानून हमेशा उत्तम श्रेणी के पुरुषों व स्त्रियों के लिये नहीं बनाया जाता वह तो कुछ मध्य श्रेणी के लोगों के लिये बना करता है । हम ने पीनल कोड बना रखा है । उस का इस्तेमाल चोर और डाकुओं के खिलाफ ही किया जाता है और भले आदमी भी उस का इस्तेमाल कभी कभी मजबूरी से करते हैं । तो इस वास्ते यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि उत्तम श्रेणी वाले या आदर्श रखने वाले को यह विधेयक किसी प्रकार हानि पहुंचा सकता है । चाहे कोई स्त्री हो और चाहे पुरुष उन में किसी प्रकार का भी झगड़ा हो, किसी प्रकार का झंझट हो, एक दूसरे पर विश्वास न हो, एक दूसरे के साथ रहना बरदाश्त न करते हों तो वे उस से फ़ायदा उठा सकते हैं । इन सूरतों में मैं समझता हूं कि अगर इस प्रोविज़न को रहना है तो एक बात पर विचार किया जाना चाहिये । अभी रेणु जी ने कहा था कि इस में एक डिज़र्शन का क्लाज़ भी होना चाहिये ।

यदि किसी का पति अपनी पत्नी को छोड़ दे, दो बरस तक, तीन बरस तक या एक बरस तक तो उस डिज़र्शन की बिना पर भी तलाक् देने का स्त्री को हक होना चाहिये। यह इस बिल में एक कमी रह गई है और मैं पाटस्कर जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस कमी को दूर कर दें क्योंकि अगर डाइवोर्म रखना है तो इस में इस चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। एक स्त्री को छोड़ना, उस का त्याग करना एक बहुत भारी अपराध है और इस बिना पर तलाक लेने का हक़ स्त्री को या पुरुष को ज़रूर होना चाहिये। आप देखेंगे कि क्लाज़ १० के अन्दर जोकि ज्यूडिशल सेपेरेशन के बारे में है यह लिखा है कि अगर एक ने दूसरे को दो वर्ष तक के लिये डिज़र्ट कर दिया है, छोड़ दिया है तो ज्यूडिशल सेपेरेशन हो सकता है। इस में यह भी लिखा है कि ज्यूडिशल सेपेरेशन होने की बिना पर अगर दो बरस तक दोनों में फिर से कोहिबिशन न हो तो तलाक हो सकता है। अगर इस दफ़ा को दफ़ा १३ (८) के साथ मिला कर पढ़ा जाये तो पता लगेगा कि ज्यूडिशल सेपेरेशन की डिक्री हो जाने के बाद दो साल तक उन दोनों में कोहिबिशन न हो तब तलाक का अधिकार मिलता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। पहले तो दो वर्ष तक ज्यूडिशल सेपेरेशन के लिये वेट करें और उस के बाद फिर ज्यूडिशल सेपेरेशन की डिक्री के बाद भी दो साल तक इन्तज़ार करें। अगर आप को डाईवोर्स के प्राविज़न को रखना है तो आप को इस पर अच्छी तरह विचार करना होगा। इस के बाद आप क्लाज़ १५ के अनुसार चाहते हैं कि तीन बरस तक तलाक का दावा न हो। वह मैं आप को धर्म के नाम पर नहीं कह रहा हूं, कानून की हैसियत से कह रहा हूं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं इस पर विचार किया जाय और इस पीरियड को कम किया जाये। अभी किसी ने यहां पर कहा कि अब इस में कोई तबदीली पाटस्कर साहब नहीं करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई सही बात और सच्ची बात कही जाती है तो उस पर विचार किया जाना चाहिये और उसे मंजूर किया जाना चाहिये अगर आप को ज्यूडिशल सेपेरेशन व डाइवोर्स रखना है तो मैं चाहता हूं कि जिन केसेज़ में डिज़र्शन होता है अगर आप उन को छोड़ देंगे तो यह ठीक बात नहीं होगी। एक के द्वारा दूसरे का त्याग करना डाइवोर्स के लिये एक प्रधान कारण होना चाहिये। यह जो कनवर्शन, एडलट्री इत्यादि के बारे में सब-क्लाज़ेज़ रखे हैं, इस में एक डिज़र्शन के बारे में भी सबक्लाज़ होनी चाहिये। अगर इस डाइवोर्स के प्रोविज़न को आप को रखना है तो जैसाकि रेणु जी ने कहा डाईवोर्स लेने के लिये क्लाज़ १३ में डिज़र्शन एक प्रधान कारण होना चाहिये।

मैं ने अभी इस दफ़ा १३ का मुक़ाबला दफा १० से किया। दफ़ा १३ में हम देखते हैं कि डाइवोर्स के लिये तीन वर्ष की मियाद रखी गई है जबकि दफ़ा १० में ज्यूडिशल सेपेरेशन के लिये दो वर्ष की मियाद रखी हुई है। एक ही कारण पर यानी वेनरल डिसीज़ की बिना पर १३ क्लाज़ में तीन वर्ष की मियाद रखी है जबकि दफ़ा १० में उसी के लिये दो वर्ष की मियाद रखी है। अब दफ़ा १३ के मुताबिक वेनरल डिसीज़ होने पर पति पत्नी सम्बन्ध विच्छेद कराने के लिये तीन वर्ष तक इतज़ार करें और एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते भले ही इस बीच में एक की बीमारी दूसरे को लग जावे तीन वर्ष बीत जाने पर सेपेरेशन के लिये दरख्वास्त देवें। मैं चाहता हूं कि दोनों धाराओं में एक ही मियाद होनी चाहिये और जो चीज़ एक जगह लागू हो, वही दूसरी जगह भी लागू होनी चाहिये।

इसी प्रकार कोढ़ी होने की अवस्था में भी इस धारा के मुताबिक तीन वर्ष तक

[श्री सिंहासन सिंह]

पार्टीज़ को इन्तज़ार करना पड़ेगा अगर वे एक दूसरे को तलाक देना चाहें। वैसे तो हमारी हिन्दू पद्धति के अनुसार तलाक दिया ही नहीं जा सकता, लेकिन जब हम इस विधेयक में तलाक की व्यवस्था इस कारण से देने जा रहे हैं तो हम को देखना चाहिये कि तीन वर्ष में तो कोढ़ की बीमारी दूसरे को भी लग जायेगी और तीन वर्ष तक इस कानून के अनुसार पति पत्नी को साथ साथ रहना पड़ेगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम अधिकार दे रहे हैं या ले रहे हैं और इस तरह तो मैं समझता हूं कि आप तलाक का अधिकार नहीं दे रहे हैं बल्कि इस कानून के उद्देश्य को ही विफल कर रहे हैं।

इसी तरह दफ़ा १२ जो हम पास कर चुके हैं और जिस के कारण औरतों पर काफ़ी आपत्ति आयेगी। दफ़ा १२ जो हम ने पास की है उस के अन्दर यह दिया हुआ है :—

"कि प्रतिवादी विवाह के समय आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी।"

अब आप इस से समझ सकते हैं कि वायड एंड वायडेबुल मेरिजेज़ को ले कर कितनी कठिनाइयां हमारे सामने आयेंगी और मेरी आशंका यह है कि अगर दोनों में नहीं पटी और शादी होने के साथ गर्भादान हो गया और वह लड़का या पुरुष उस स्त्री के साथ नहीं रहना चाहता और उस से छुटकारा पाना चाहता है तो वह इस तरह की दरख्वास्त दे सकता है कि मेरी स्त्री किसी परपुरुष से गर्भवती है, यह मुझे पहले मालूम नहीं था, और विवाह विच्छेद कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि जैसा श्रीमती राय जी ने कहा कि शादी जब रजिस्टर होने जा रही हो तब उस के अन्दर सब चीज़ लिख दी जाय जिस से बाद में इस तरह की बेजा हरकतें न की जा सकें। यह ख़ामी मैं इस बिल में देख रहा हूं और मुझे आशंका है कि इस से समाज में बड़ी विशृंखलता उत्पन्न होगी और इसलिये मेरा निवेदन है कि हम इस क़ानून को और इस की धाराओं को खूब सोच समझ कर पास करें ताकि इन का दुरुपयोग न हो सके और जो स्त्री जाति को राहत पहुंचाना हमारा उद्देश्य है वह डिफीट न हो जाय।

जहां तक दफ़ा १६ का सम्बन्ध है और जो शून्य तथा शून्यकरणी विवाहों से उत्पन्न सन्तान की औरसता से ताल्लुक़ रखती है। मैं ने कल भी इस सवाल को उठाया था कि दफ़ा ११ के अन्दर क़ानून में दी गई किन्हीं आपत्तियों के कारण अगर मैरिज वायड हो जाती है तो उस व्याइड मैरेज का जो कोई लड़का होगा वह शुरू से ही ग़ैर कानूनी और इल्लिजिटिमेट होगा। अब इस में ऐसी घटना घट सकती है कि अगर कोई शादी दफ़ा १२ और ५ के विरुद्ध हुई, कुछ दिन के बाद उन दोनों के संयोग से गर्भादान हुआ और गर्भादान के बाद पुरुष मर जाता है और दफ़ा १६ के अन्दर विवाह विच्छेद का मौक़ा नहीं आता और वह लड़का पैदा होता है तो मौजूदा प्राविज़न की रू से वह लड़का उस सम्पत्ति का वारिस नहीं होगा, लेकिन अगर किसी कारण से विवाह विच्छेद होता है तो वह लड़का पार्टीज़ का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जायेगा और सम्पत्ति का वारिस होगा, इस तरह के दो तरह के क़ानून होना उचित नहीं है।

इस से तो यह मतलब होगा कि हम चाहते हैं कि दफ़ा ५ के विरुद्ध शादियां हों। हम चाहते हैं कि समाज में दोनों क्रम जारी रहें। जो एक मर्तबा शादी हो जाय वह हमेशा

के लिये लेजिटिमेट हो । अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इस प्रकार की शादियां रुकें जोकि दफ़ा ५ के विरुद्ध जाती हैं तो दफ़ा १६ को आप को निकाल देना चाहिये ।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर) : मेरे संशोधन खंड १३, १४ और १७ से सम्बन्धित हैं और मैं उन में उल्लिखित विषयों तक ही सीमित रहूंगा । वैसे सम्पूर्ण विधेयक के लिये मेरा समर्थन है । मेरा प्रथम संशोधन खंड १३ (२) (ii) के सम्बन्ध में है जो इस प्रकार है :

"कि पति विवाह सम्पन्न होने के बाद, बलात्कार, पुंमैथुन अथवा पशु-मैथुन का दोषी हो ।"

मैं चाहता हूं कि दो शब्द "अथवा पशुमैथुन" निकाल दिये जायें क्योंकि "पशु मैथुन" का अर्थ पाशविकता से है और वह एक बहुत सामान्य शब्द है ।

मेरा दूसरा संशोधन खंड १४ के सम्बन्ध में है और उस में कहा गया है कि पंक्ति १३ से १५ में यह भाग निकाल दिया जाय :

"यदि डिग्री दी जाय, तो वह इस शर्त के अधीन दी जाये कि वह डिग्री विवाह की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने के बाद तक वह लागू नहीं होगी अथवा . . . ."

विधेयक में यह उपबन्ध रखा गया है कि विवाह की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व कोई याचिका स्वीकार नहीं की जा सकेगी किन्तु कुछ अपवाद के मामलों में, तीन वर्ष के पूर्व याचिका प्रस्तुत करने के लिये अनुमति प्राप्त की जा सकती है । यदि अनुमति गलत अभ्यावेदन या मामले की प्रकृति को छिपा कर प्राप्त की जाये तो यह डिक्री तीन वर्ष के पश्चात् कार्यान्वित होगी । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार आप उन व्यक्तियों को सहायता दे रहे जो गलत अभ्यावेदन या मामले के प्रकृति को छिपा कर याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों को विधि-न्यायालय में जाने और याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । अतः यह भाग हटा दिया जाये ।

खंड १७ के रखे जाने की कोई सुसंगति मैं नहीं देखता । मेरी राय में वह निरर्थक है । खंड ११ और खंड ५ के उपखंड (१) में उस का पहले ही उपबन्ध किया गया है और उन खंडों के सन्दर्भ में, खंड १७ निरर्थक है । अतः मेरा निवेदन है कि खंड १७ निकाल दिया जाय ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : खंड १३ में विवाह विच्छेद के आधारों का उपबन्ध किया गया है और उस में परित्याग सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं है । इस प्रकार उस खंड का महत्व बहुत सीमित कर दिया गया है । यदि परित्याग दो या तीन वर्षों की अवधि के लिये रहा हो, तो विवाह-विच्छेद के आधारों के लिये उपबन्ध करने वाले अन्य संशोधन भी हैं । किन्तु मेरा संशोधन पांच वर्षों के लिये है । यदि सरकार ऐसा कोई संशोधन स्वीकार करने को प्रस्तुत हो जिस में केवल तीन वर्ष की अवधि रखी गई हो, तो मेरे विचार से मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये जिस में पांच वर्ष तक परित्याग की दशा में विवाह-विच्छेद के लिये उपबन्ध किया गया है । अन्यथा पक्षों को न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद के लिये आवेदन करना होगा और उस का अर्थ चार या पांच वर्ष की अग्रेतर अवधि होगा । अतः दोनों पक्ष इस अधिनियम से लाभ नहीं उठा सकेंगे । हम जानते हैं कि इस प्रकार का कोई उपबन्ध न रहने से लोगों को तकलीफ हो रही है । इस खंड के अधीन ऐसा कोई उपबन्ध नहीं बनाया गया है जिस से इन

[श्री एन० बी० चौधरी]

दशाओं में ऐसे व्यक्ति विवाह-विच्छेद करा सकें। अतः मेरी सिफारिश है कि सभा मेरा संशोधन स्वीकार करे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने चन्द ऐमेन्डमेन्ट्स के नोटिस दिये हैं जिन के बारे में मैं श्री पाटस्कर साहब से, जोकि अपनी सीट पर मौजूद नहीं हैं और जो मेरी बात को सुन भी नहीं रहे हैं, कुछ कहना चाहता था। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं किस को उन की तरफ तवज्जह दिलाऊं।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं सुन रहा हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप सुन तो रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। मुझे आप माफ करेंगे ऐसा कहने के लिये क्योंकि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह एक काम्प्लिकेटेड लीगल प्राब्लेम है।

श्री त्यागी : यह तो शादी की प्राब्लेम है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं शादी की प्राब्लेम पर नहीं बोलूंगा, मैं कानून के बारे में बोलना चाहता हूं। जिन की शादी शुदा जिन्दगी आज नहीं है उन के सामने शादी की बात करना बेकार है। मैं तो सिर्फ थोड़ी कानूनी बातें करना चाहता हूं। मैं एम्प्टी बेन्चेज से अर्ज कर रहा हूं। लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि हमारे डिप्टी स्पीकर साहब और स्पीकर साहब ने कई मर्तबा ट्रेजरी बेन्चेज के लिये कहा कि वह मौजूद रहा करें और अगर वह नहीं मौजूद रह सकते तो कम से कम उन के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहा करें। एक एक मिनिस्ट्री में कई कई मिनिस्टर हैं, लेकिन अफसोस है कि जब ऐसे कानूनी और दकीक मसले पेश होते हैं तो न कोई मिनिस्टर हमारे सामने रहता है न कोई उन का प्रतिनिधि रहता है। अव्वल तो मैं यही शुबहा करता हूं कि जो कुछ हम कहते हैं उस पर गौर भी होता है या नहीं, लेकिन कम से कम जो कानूनी मसले हैं ....

श्री सिंहासन सिंह : यह तो लंच टाइम है इसलिये कोई नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं एम्प्टी बेन्चेज से अर्ज करना चाहता हूं। मैं अपने मतलब की तरफ आता हूं। सब से पहले मैं क्लाज १८ की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। क्लाज १८ के अन्दर जिन् जरायम का जिक्र है, उन में से कुछ तो वही जरायम हैं जोकि चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट, १९२९ में हैं। मेरे खयाल में श्री त्यागी को इस का इल्म होगा। वह हां नहीं कहते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि उन को इस का इल्म नहीं है। मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उस के अन्दर एक दफा ३ है, जिस के अन्दर उस लड़के के लिये जिस की उम्र १८ बरस से ज्यादा हो और २१ बरस से कम हो, अगर वह छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ले, तो उस के लिये चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट के मुताबिक थोड़ा सा पनिशमेन्ट है। इसी तरह से उस में दफा ४ है कि अगर लड़के की उम्र बड़ी है और वह १४ साल से कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है तो उस के लिये ३ महीने की सजा रक्खी गई है। लेकिन आज जो कानून बन रहा है इस में हम ने जो सजा रक्खी है वह १५ दिन। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप कौन सा कानून लागू करना चाहते हैं? इसी तरह से वहां एक दफा ५ है और एक दफा ६ है। इन दोनों में जो सजायें हैं वह तीन तीन महीने की हैं। इस में जो सजायें मुकर्रर की गई हैं वह एक महीने की हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन साहब

ने यह कानून बनाया है उन को तो चाइल्ड मैरेज ऐक्ट रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट को देख लेना चाहिये था । आप ने इस ऐक्ट के अन्दर कितना गजब किया है जब आप यह लिखते हैं कि जो कोई व्यक्ति धारा ५ के खंड ३ की शर्तों का उल्लंघन कर के इस अधिनियम के अन्तर्गत अपनी शादी करता है, तो उसे पन्द्रह दिन तक की साधारण कैद तक का दंड दिया जा सकेगा ।

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक १४ बरस की लड़की, १५ बरस की लड़की या १६ बरस की लड़की अपनी शादी किसी तरह से करा लेती है तो क्या आप उस को कैद करेंगे ? यह कानून आप बनाना चाहते हैं ? लड़की १८ बरस की भी नहीं है इस कानून में, अगर लड़की १८ बरस से कम है तो चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ला के मुताबिक उस को सजा नहीं हो सकती । यहां पर आप १५ बरस की लड़की को भी सजा देना चाहते हैं और १५ बरस के लड़के को भी सजा देना चाहते हैं । सरकार ने १५ बरस की बात रख दी, लेकिन वह लड़की चाहे १५ बरस की हो चाहे १३ बरस की हो, पेनल कोड के हुक्म के मुताबिक ७ बरस तक किसी को सजा नहीं हो सकती । ७ से ले कर १३, १४ बरस तक का सवाल यह है कि इस उम्र की लड़की में यह काबिलियत ही नहीं है कि वह कानून की नवैयत को समझ सके । मैं यहां पर एव्री पर्सन में नहीं जाना चाहता मैं तो नाबालिगों पर ही बोलना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : पर्सन के माने होते हैं १८ बरस के ऊपर ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो साहब यह कहते हैं, मैं उन से वह कानून सीखना चाहता हूं, कि कौन सा कानून है जिस में यह दर्ज है । मैं श्री त्यागी जी से समझना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है जोकि मेरे एक दोस्त कह रहे हैं कि पर्सन के माने १८ बरस के ऊपर के आदमी से होता है ।

श्री त्यागी : पर्सन में कोई कैद बरस की नहीं होती ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं क्या यह मान लूं कि जो त्यागी साहब कह रहे हैं वह दुरुस्त है ? इस वक्त वह ला मिनिस्टर बन गये हैं । क्या वह मानते हैं कि यह जो कानून दफा १८ में बन रहा है, वह बिल्कुल गलत है ? जब तक चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट की दफा ३ मौजूद है तब तक इस को नहीं माना जा सकता । हम ने उस दिन जो कानून रक्खा था वह यह था कि अगर लड़के की उम्र १८ बरस से ज्यादा हो और २१ बरस से कम हो और मां बाप उस की शादी कर दें तो उन को यह सजा हो जायेगी । हम ने यह कानून जिस दिन बनाया था उस वक्त यह तय किया था कि लड़की को किसी सूरत में भी सजा नहीं होगी, उस में ऐसा प्राविजन है कि वोमन को कैद की सजा नहीं होगी, लेकिन यहां आप ने सारी औरतों को कैद करने की जिम्मेदारी ले ली है । मैं समझता हूं कि यह जो दफा १८ है वह ड्रास्टिकली चेन्ज होनी चाहिये । जब तक चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट की दफा ३, ४ और ६ मौजूद हैं तब तक सजा भी कम नहीं हो सकती है । इसलिये उम्र २१ और १८ के बीच में होनी चाहिये ।

श्री त्यागी : मेरे खयाल में इस मसले पर गौर किया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : शुक्र है कि आप ला मिनिस्टर नहीं हैं, तभी ऐसा कहते हैं, ला मिनिस्टर तो इस में एक कामा भी तबदील नहीं करना चाहते हैं ।

अब मैं पनिशमेन्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट में है कि "जो कोई भी बाल विवाह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सम्पन्न करता या कराता है," जो ऐबेटर हैं वह भी सारे के सारे इस दफा ५ में आ जाते हैं और उन के लिये जो सजा है वह तीन महीने तक की है । मैं जनाब वाला को भी याद दिलाना चाहता हूं । जनाब वाला उस वक्त इस हाउस के मेम्बर थे । मैं ने यह मोशन रक्खा था कि इस वास्ते कि चाइल्ड मैरेज बन्द हो जायें, कैद की सजा लाजिमी करार दे दी जाय । मैं यह बिल हाउस में लाया था और हाउस में उस को कबूल किया गया था । हम ने कैद की सजा लाजिमी कर दी थी कि छोटी उम्र की शादियां करने वालों को कैद की सजा दी जाय । लेकिन इस बिल में फिर खुली छूट हो गई है, महज जुर्माने की सजा हो सकती है ।

आप देखेंगे कि जो दफा १८ में दूसरा क्लाज है उस में लिखा है कि धारा ५ के खंड (४) और (५) का उल्लंघन करने पर एक महीने तक की साधारण कैद या जुर्माने की सजा दी जायेगी ।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब आप छोटी उम्र की शादी के वास्ते यह सजा देते हैं तो जो लोग अपने धर्म को जानते हैं, हैरिडिटी और जेनेटिक्स और यूजेनिक्स को भी जानते हैं, जब वह लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन को भी सजा देनी चाहिये । हमारे यहां जो प्रथायें चली आ रही हैं कि हमें प्राहिबिटेड डिगरीज के साथ और सपिन्डा के साथ शादी नहीं करनी चाहिये तो ऐसे लोगों को जोकि इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उन के साथ क्यों रियायत करना चाहते हैं ? आप उन को एक महीने का सिम्पुल इम्प्रिजनमेन्ट या जुर्माना या दोनों ही क्यों रखना चाहते हैं ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप दरअस्ल इस के कायल हैं कि यह चोज नाजायज है कि इस तरह की शादियां की जायें, भाई बहन आपस में शादी करें, मां बेटे से शादी कर ले या बाप बेटी से शादी कर ले, कम से कम मैं इस से ज्यादा गुनाह किसी दूसरी चीज को नहीं मानता हूं, पेनल कोड में इस के लिये दफायें नहीं रक्खीं, यहां एक दफा रखते हैं, वह क्या कहती है, इन लोगों से अगर कोई नाजायज ताल्लुक हो जाये तो उसके लिये कोई सजा मुकर्रर नहीं है, लेकिन अगर कोई बाकायदा शादी कर ले तो उस के लिये आप ने कह दिया कि एक महीने की सिम्पुल सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों होंगे । मेरे ख्याल में कानून बनाने वालों ने जो कुछ बना कर हमारे सामने रखा है, कम से कम लोगों की भावनायें उस के सख्त बरखिलाफ़ हैं ।

इसी तरह आगे चल कर (सी) में सज़ा सिर्फ़ एक हज़ार रुपया जुर्माना रखी गई है । मैंने इस के बारे में एक अमेंडमेंट रखी है, जिस के मुताबिक मैं ने चाहा है कि जब तक मौजूदा कानून को हटाया न जाये, जब तक वह आपरेशन में है, तब तक उस के बरखिलाफ कानून नहीं बनाया जा सकता है । आप एक बात पर दो कानून नहीं बना सकते हैं । मैं ने तजवीज किया है कि जो शख्स खिलाफ-वर्जी करे, उस को सख्त सजा दी जाये । इस सिलसिले में मैं ने एक दफा बना कर लिख दी है कि जिस तरह उन लोगों के लिये सज़ा मुकर्रर है, जो छोटी उम्र की शादी के लिये जिम्मेदार होते हैं, रुपया लेते हैं, देते हैं और शादी कराते हैं, उसी तरह जो लोग ऐसी शादी के लिये जिम्मेदार हों, उस में हिस्सा लें और उस को अरेंज करें, जोकि इनसस्चुअस हो, उन को सख्त सजा होनी चाहिये और ऐसा करना जुर्म करार दिया जाना चाहिये । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन लोगों को,

जिन की मिसाल कल हुक्म सिंह साहब ने दी थी, ...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अ ा अपना भाषण समाप्त करें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे खेद है कि मैं इतने समय में समाप्त नहीं कर सकूंगा । मैं केवल पहले संशोधन पर बोल रहा हूं और मेरे संशोधन हैं ।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस खंड समूह के लिये चार घंटे आवंटित किये हैं । माननीय मंत्री आध घंटे से अधिक समय चाहते हैं । फिर अभी अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह जानता हूं । मैं देखता हूं कि जिन सदस्यों ने कोई संशोधन नहीं रखे हैं उन्हें बोलने के लिये अवसर दिया गया है जैसे कि यह सामान्य चर्चा हो । यदि आप प्रत्येक प्रश्न पर सामान्य चर्चा की अनुमति दें, तो समय पर्याप्त नहीं होगा । यही क्रम यहां रहा है । अन्यथा जिन सदस्यों ने सामान्य चर्चा में भाग नहीं लिया है और जिन्हों ने कोई संशोधन नहीं दिये हैं उन्हें साधारण रूप से चर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं फिर भी मैं पांच मिनट में समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

अब मैं खंड १६ के बारे में कहूंगा मैं ने अनेक आश्चर्य देखे हैं किन्तु ऐसा मामला कभी नहीं देखा है जहां एक व्यक्ति न्यायालय में आ कर यह शिकायत करे कि विवाह के समय उस की स्त्री गर्भवती थी और वह इस ात को नहीं जानता था और इस आधार पर वह अपना विवाह रद्द कराना चाहता हो । न्यायालय भी उस विवाह को रद्द ही घोषित करता है । किन्तु इस पर भी वह उस बालक का पिता रहता ही है । मेरे विचार से यह एक बहुत अजीब बात है । अतः मेरा निवेदन है कि यहां खंड १६ को रखना बिलकुल पागलपन है ।

एक और मामला है । मान लिया जाये कि कोई व्यक्ति धारा ११२ के अधीन नपुंसक सिद्ध किया गया हो तो कोई यह नहीं कह सकता कि वह एक बालक का पिता हो सकता है । किन्तु यहां ऐसी कल्पना है कि नपुंसक पिता का पुत्र उसी व्यक्ति का पुत्र हो जाता है । मैं यह सहन नहीं कर सकता। यह विधि के विरुद्ध है।

खंड १३ के सम्बन्ध में भी मैंने कुछ संशोधन दिये हैं जिन्हें प्रस्तावित समझा जाये । श्री देश पांडे और अन्य कुछ मित्र श्री टंडन जी पर बहुत रुष्ट हुए जबकि उन्हों ने यह प्रस्थापित किया कि विशेष विवाह विधि नामक एक दूसरी विधि भी है और उस में भी विवाह-विच्छेद सम्बन्धी उपबन्ध हैं और विवाह-विच्छेद के इच्छुक व्यक्ति उस उपबन्ध से भी लाभ उठा सकते हैं । मैं स्वतः इस कल्पना को नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि हिन्दू विवाह विधि स्वतः ही पूर्ण हो । मैं माननीय विधि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि श्री टंडन जी के सुझाव के विरुद्ध वह किस प्रकार का विवाह-विच्छेद इस विधेयक में लाना चाहते हैं । श्री टंडन जी का कथन है कि "जो विवाह-विच्छेद में विश्वास करते हैं और जो विवाह-विच्छेद में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें अलग अलग कर दिया जाये । आप विशेष विवाह अधिनियम रखें किन्तु इसे शुद्ध रखें ।" कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाह-विच्छेद में विश्वास नहीं करते । वे धारा १३ के अधीन आते हैं । उन के लिय माननीय विधि मंत्री दूसरी विधि बनाने जा रहे हैं । उन का कहना है कि कुछ जातियों में ऐसा रिवाज है और उन में विवाह-विच्छेद प्रचलित है और उन के लिये एक दूसरी विधि होगी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वे संविधान के अनुच्छेद १४ के उप न्धों के विरुद्ध जाना चाहते हैं । वे हिन्दू-हिन्दू में भेदभाव करना चाहते हैं । कुछ लोगों के लिये खंड १३ लागू होगा और अन्य लोगों के लिये प्रथा । मैं यह नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि सभी भारतीयों के लिये एक सी संहिता हो । बिना विधि के प्राधिकार के कोई विवाह विघटित नहीं किया जाना चाहिये । मैं प्राचीन हिन्दू-कोड की धारा ३० की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं और डा० अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि कोई विवाह उपयुक्त न्यायालय की डिक्री के बगैर विधिपूर्वक रद्द नहीं समझा जायेगा ।

मैं चाहता हूं कि कोई विवाह-विच्छेद, चाहे वह किसी जाति में प्रचलित हो, किसी न्यायालय की डिक्री के बिना वैध नहीं समझा जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि विवाह-विच्छेद के सभी आधार सब वर्गों के लिये एक समान हों । मैं विवाह-विच्छेद और इस विधेयक के पक्ष में हूं किन्तु मुझे खेद है कि मैं ने ऐसे विधेयक का समर्थन किया है जो हिन्दू-हिन्दू में भेदभाव करता है और जो प्रथाओं को एकमात्र संचालक मानता है । सारा अधिनियम इस प्रकार बनाया गया है कि उस से हिन्दुओं के विभिन्न वर्गों में भेदभाव उत्पन्न करने का उद्देश्य दिखाई पड़ता है । यदि आप सारे भारतीयों के लिये एक सी विधि नहीं बना सकते तो कम से कम सभी हिन्दुओं के लिये आप को एक सी विधि बनानी चाहिये । इस से तो वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है जिस के लिये आप संहिता-करण चाहते हैं ।

मुझे खेद है कि अन्य संशोधनों पर बोलने के लिये मेरे पास समय नहीं है ।

पटल पर रखे गये पत्र

समवाय विधेयक पर साक्ष्य

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं समवाय विधेयक, १९५३ की संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१९०/५५**].

हिन्दू विवाह विधेयक—जारी

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : मेरा यह निवेदन है कि सभा में रखे गये संशोधन सभा की सम्पत्ति है और प्रत्येक सदस्य को चाहे उसने संशोधन रखा हो या न रखा हो, बोलने का अधिकार है और मुझे हर्ष है कि आप ने मुझे अवसर दिया है ।

मैं ने इन दिनों विशेष कर विवाह-विच्छेद सम्बन्धी वाद-विवाद को सुना है और मुझे प्रसन्नता है कि कुछ धार्मिक हिन्दू सदस्यों ने, चाहे वे महासभा, रामराज्य परिषद् या कांग्रेस के हों एक साथ विवाह-विच्छेद के खंड का अधिकतम विरोध किया है । मैं उन्हें दोष नहीं देता किन्तु मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि आदर्श विवाह, अधिकारों आदि के सम्बन्ध में बातें करने में कोई लाभ नहीं । हमारे समाज में सभी प्रकार के आदर्श हैं जिन्हें हम प्रतिदिन दोहराते हैं किन्तु उस के ठीक विपरीत काम करते हैं ।

विवाह-विच्छेद के विषय में, धार्मिक वर्ग की ओर से बहुत अधिक विरोध हुआ है क्योंकि स्त्रियों के मामलों में पुरुषों ने कई निषेध बना रखे हैं । पुरुष को चाहे जितनी बार विवाह करने का अधिकार है । हमारे हिन्दु समाज में एक ही समय चार या पांच पत्नियां भी होती है जबकि अन्य समाजों में जहां एक विवाह होता है, वहां एक के बाद दूसरी

से विवाह किया जाता है। किन्तु जब स्त्रियों के एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने का प्रश्न आता है, तब आपत्ति की जाती ह। इसी कारण मेरा यह कथन है कि सम्पूर्ण मानव समाज में इस विषय में निषेध है और हिन्दू समाज में तो बहुत अधिक है।

जब स्त्रियों के अधिकारों का उल्लेख किया जाता है तब रामचन्द्र और उन की पत्नी सीता का उदाहरण दिया जाता है। किन्तु ऐसा अपवाद तो प्रत्येक समाज में हो सकता है। हमें स्थिति की वास्तविकता की ओर ध्यान देना है। इस में संदेह नहीं कि हिन्दू समाज में पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया जाता है किन्तु इसके लिए कोई उपाय नहीं है क्योंकि विवाह विच्छेद की कोई विधि नहीं है। इसीलिये ऐसी विधि बनाना आवश्यक हो गया है जिस से पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आवश्यकता पड़ने पर यहां उल्लिखित आधारों पर विवाह-विच्छेद का आश्रय ले सकें।

उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य ने हिन्दू समाज के जिन आदर्शों के बारे में बताया है वे केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों तथा उन की उपजातियों तक सीमित हैं। शेष अनेक जातियों में विवाह विच्छेद हो सकता है। अतः जब हम सब के लिये यह उपबन्ध कर रहे हैं तो इस से हिन्दू समाज में कोई बड़ी उथल पुथल नहीं होगी। यदि पति-पत्नी विवाह विच्छेद चाहते हैं तो उन्हें आज्ञा मिलनी चाहिये।

अनेक सदस्यों ने पाश्चात्य समाज के उदाहरण दिये हैं अमरीका के लिये कहा गया है कि वहां बहुत अधिक विवाह विच्छेद होते हैं। वास्तव में वहां विवाह-विच्छेद, विवाहों की संख्या के अनुपात में दस प्रतिशत होते हैं। वहां भी सहस्रों दम्पत्ति सुखमय विवाहित जीवन व्यतीत करते हैं और उन में विवाह विच्छेद नहीं होता है कुछ भी सही, हमें अपने देश का हित देख कर ही यह काम करना है। अमरीका और ब्रिटेन के उदाहरणों का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

जब स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार दिये गये हैं तो उन्हें आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी दिये जाने चाहियें। यह विवाह विधेयक देश की आवश्यकता को समझ कर ही प्रस्तुत किया गया है।

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर) : प्रस्तुत विधेयक के खण्ड १३ के सम्बन्ध में मैं ने संशोधन संख्या ३७९ और ३८९ तथा खण्ड १५ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ३९८ प्रस्तुत किये हैं। हम समाज के लिये जो भी नियम बनायें, उन का परीक्षण हमें आवश्यकता, उपयोगिता और उस के प्रभाव से करना चाहियं और वे युक्तियुक्त होने चाहियें।

संशोधन संख्या ३७९ के अनुसार मैं खण्ड १३ के उपखण्ड (४) को हटा देना चाहता हूं। यह प्राचीन धारणाओं पर आधारित है। मैं नहीं चाहता कि कुष्ट रोग को विवाह विच्छेद का एक कारण माना जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कल स्वास्थ्य-महानिदेशक की राय बताते हुए कहा था कि कुष्ट रोग की चिकित्सा हो सकती है भारतीय कुष्ट-चिकित्सक-संस्था का भी यही मत है। अनुमानतः भारत के बारह लाख कोढ़ियों में से अस्सी प्रतिशत मामलों में यह रोग संक्रामक नहीं है। न तो यह बीमारी वंशानुगत है और न गर्भ पर इस का कोई कुप्रभाव पड़ता है। इस से नपुंसकता भी उत्पन्न नहीं होती है और बहुत कम मामलों में यह मनुष्य को पंगु बनाती है। इस को यदि घृणित रोग बताया जाता है तो चेचक आदि अनेक बीमारियां भी ऐसी हैं जो इसी प्रकार

[श्री आर० एन० एस० देव]

की हैं । यदि कुरूपता इस का कारण हो तो फुंसी-फोड़े भी तो कुरूपता उत्पन्न करते हैं । जब उन्हें विवाह-विच्छेद का कारण नहीं माना गया है तो फिर कुष्ट रोग को क्यों मान्यता दी गई है ?

पंडित के० सी० शर्मा (मेरठ जिला दक्षिण) : विवाह विधि की समस्त संहिताओं में इसे विवाह विच्छेद का कारण माना गया है ।

श्री आर० एन० एस० देव : यह सच नहीं है । ऐसा कहीं नहीं है । केवल स्वीडन और डेनमार्क में यदि विवाह से पूर्व इस रोग को छिपाया गया हो तभी इसे विवाह-विच्छेद का कारण समझा जाता है ।

ऐसे उपबन्ध का यह परिणाम होगा कि कुष्ट रोग से पीड़ित विवाहित रोगियों का जीवन संकटपूर्ण हो जायेगा और जो अविवाहित रोगी हैं वे इसे छिपाने का प्रयत्न करेंगे । यदि प्रारम्भ में इस की चिकित्सा की जाये तो यह जल्दी ठीक हो जाता है किन्तु जब लोग इसे छिपायेंगे तो इस का परिणाम और भी भयंकर होगा । इसलिये मैं वैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय आधार पर ऐसे उपबन्ध का विरोध करता हूं ।

अब मैं संशोधन संख्या ३८९ के सम्बन्ध में कहता हूं । मैं चाहता हूं कि पृष्ठ ८ की पक्तियां ४० और ४१ निकाल दी जायें जो बलात्कार पुंमैथुन और पाशविकता आदि के सम्बन्ध में हैं ।

अमरीका में भी ऐसी बातों को विवाह विच्छेद का कारण नहीं माना जाता है । यदि हम ऐसा उपबन्ध स्वीकार कर लेंगे तो स्त्री को अदालत में उन बातों को सिद्ध करना पड़ेगा और जब वे सिद्ध हो जायेंगी तब विवाह विच्छेद तो एक ओर रह जायगा और अपराधी को जेल भेज दिया जायेगा । इन में से पशुमैथुन आदि कुछ अपराध स्त्रियां भी करती हैं । उन की बहुत दुर्दशा होगी । अतः ऐसे अनुचित उपबन्ध को निकाल दिया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार खण्ड १५ का परन्तुक भी निकाल दिया जाना चाहिये । उस में लिखा है कि विवाह विच्छेद हुए स्त्री और पुरुष एक वर्ष तक विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते ताकि वे पुनः विवाह करने में जल्दी न करें । मैं नहीं समझता कि ऐसा नियंत्रण आवश्यक है । विवाह-विच्छेद के लिये ही अनेक उपबन्धों के अनुसार सात वर्ष से ले कर दो वर्ष तक की अवधियां हैं । उस के बाद निर्णय दिये जाने में भी काफी समय लगता है । अतः पुर्नविवाह के समय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिये प्रत्येक पुरुष साधु नहीं हैं जो इतने समय तक प्रतीक्षा कर सके । ऐसे उपबन्ध से तो मनुष्य गुप्त रूप से वासना की तृप्ति करेंगे । इस उपबन्ध को निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री टेक चन्द : जिन खण्डों पर सभा में चर्चा हो रही है उन्हें मैं अनर्थकारी समझता हूं । इस विधेयक से हमारा हिन्दू समाज छिन्न भिन्न हो जायेगा । पिछले पांच हजार वर्षों से हमारे जो आदर्श चले आ रहे हैं उन पर कुठाराघात किया जा रहा है । हमारे आदर्शों के उस विशाल वृक्ष की जड़ें काटने का प्रयत्न किया जा रहा है जिस ने बड़े बड़े तूफानों से टक्कर ली है ।

कहीं हमारे नियामकों पर रेडियो सक्रियता का प्रभाव तो नहीं पड़ गया है जिस से कि उन की बद्धि कुंठित हो गई है । यहां पर गुणों को दबा कर अवगुणों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जब मैं अनेक वृद्ध पुरुषों को यहां पर विवाह-विच्छेद की दुहाई देते हुए सुनता हूं तो मेरा सिर घूमने

लगता है । यदि ये उपबन्ध किसी वकील को बताये जायें, तो वह भी इन्हें पापपूर्ण। बतायगा ।

पंडित के० सी० शर्मा : वकीलों के लिये कुछ भी पाप नहीं है ।

श्री टेक चन्द : विवाह विच्छद के खण्ड में ये शब्द दिये गये हैं कि यदि व्यक्ति पर-स्त्रीगमन कर रहा हो तो विवाह-विच्छेद हो सकता है । ये शब्द स्पष्ट नहीं है । इनसे तो अदालत यह कह सकतीं है कि ठीक है अमुक व्यक्ति ने परस्त्रीगमन किया होगा किन्तु वह अब तो नहीं कर रहा है । पर-स्त्रीगमन कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसे मनुष्य निरन्तर करता रहे । फिर उसे सिद्ध करना होगा । सिद्ध करना और भी कठिन है क्योंकि यह गुप्त रूप से कभी कभी किया जाता है । अतः इस विषय में मेरा संशोधन संख्या १९१ स्वीकार किया जाना चाहिय

इसी प्रकार खंड १३ (९) के लिये भी मैं ने एक उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं ने "असफल रहा है" शब्दों के साथ शब्द "अकारण" जोड़ देने का सुझाव दिया है । मेरा निवेदन है कि उसे स्वीकार किया जाये ।

मुझे सब से अधिक आश्चर्य खंड १६ पर होता है जिस में औरस सन्तान का उल्लेख है । जब पुरुष स्त्री के सम्पर्क में ही नहीं आता है और दो तीन वर्ष तक बाहर रहता है, तब उस की स्त्री से उत्पन्न सन्तान औरस कैसे कही जा सकती है ? समझ में नहीं आता कि ऐसा उपबन्ध क्यों किया गया है ?

खंड १३ (२) उपकण्डिका (२) की भाषा भी स्पष्ट ही है । यह बताया जाना चाहिये कि बलात्कार किस पर किया गया हो, क्योंकि भारतीय दंडविधान की धारा ३७६ के अनुसार भी पत्नी पर बलात्कार करना अपराध नहीं है जब तक वह बारह वर्ष से कम आयू की न हो ।

इस के अतिरिक्त पुंमैथुन, पाशविकता जैसे अन्य अपराध स्त्री भी कर सकती है । जैसाकि मेरे पूर्ववक्ता ने बताया है, ये विवाह-विच्छेद के कारण नहीं समझे जाने चाहियें ।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जब श्री टंडन जी बोल रहे थे तब कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी कि उन्हों ने कुछ जातियों पर कटाक्ष किया है, किन्तु खंड २९२ और खण्ड २ उपखण्ड (२) के अन्तर्गत अनेक जातियों विशेषतः अनसूचित आदिम जातियों को इस विधेयक के उपबन्धों से पृथक रखा गया है । मैं नहीं समझता कि जब हम हिन्दू समाज की बात करते है तब यह अन्तर क्यों रखा गया है ? मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सब पर लागू किया जाये ।

श्री एस० एल० सक्सेना (गोरखपुर जिला—उत्तर) : मैं केवल दो मिनट बोलना चाहता हूं । मैं निवेदन करता हूं कि संशोधन संख्या ३२८ पर ध्यान दिया जाये । आचार्य कृपलानी और श्री टंडन जी ने कहा है कि विवाह विच्छेद के उपबन्ध से स्त्रीयों की रक्षा की जाये क्योंकि उन की आर्थिक दशा पुरुषों जैसी नहीं है । मैं चाहता हूं कि पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार ही न दिया जाय अन्यथा वे नये नये विवाह करते जायेंगे और दहेज लेते जायेंगे ।

यह विधेयक केवल बीस प्रतिशत लोगों के लिये है क्योंकि अस्सी प्रतिशत लोग तो अपने रीति रिवाजों के शासित होते है । वे बीस प्रतिशत लोग भी इसे पसन्द नहीं करेंगे ।

कल श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने अमरीका और इंगलैण्ड की दशा बताते हुए कहा था कि वहां भी विवाह विच्छेद को रोकने का

[श्री एस० एल० सक्सेना]

प्रयत्न किया जा रहा है। अतः मैं एक बार पुनः यह निवेदन करता हूं कि विवाह-विच्छेद का अधिकार पुरुषों को न दिया जाकर केवल स्त्रियों को दिया जाये और मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री पाटस्कर : खंड १३ मे १८ तक के लिये और विशेषतः खण्ड १३ के लिये जो कुछ कहा गया है उन बातों का मैं आदर करता हूं और श्री टंडन जी तथा अन्य सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सीता और सावित्री के आदर्शों के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं स्वयं भी यह नहीं चाहता कि इनके बजाय कोई और आदर्श रखा जाय ।

किन्तु प्रश्न यह है कि आज की परिस्थितियां जैसी हैं उन के अनुसार इस प्रकार का उपबन्ध आवश्यक है या नहीं । यदि सीता ने अपना आदर्श उपस्थित किया था तो राम ने भी एक पत्नीव्रत को निभाया था राम के बिना सीता नहीं हो सकती थी हमारा इतिहास क्या बताता है? दशरथ ने ऐसे किसी आदर्श का पालन नहीं किया। इस विधेयक के द्वारा हमारा आदर्श बिगड़ता नहीं, बल्कि राम के अनकूल बनता है । जब लोगों ने एक से अधिक विवाह करने प्रारम्भ किये तो उन्हों ने राम के आदर्श को बिल्कुल भुला दिया और उन्हें बस सीता की ही याद रह गई।

ये बातें सैकड़ों वर्ष पूर्व हुई थीं, तथा जिन कारणों से हुई थीं उन के लिये मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं । सीता का अस्तित्व राम से ही है तथा मैं राम अथवा सीता का पूर्ण भक्त हूं । परन्तु झ इस का बड़ा ही आश्चर्य है कि जिन व्यक्तियों ने सावित्री तथा सीता के आदर्श को स्थापित करने की चेष्टा की उन में से एक ने भी यह नहीं बताया कि राम के आदर्शों का विकास किस प्रकार किया जाये । मैं अथवा सरकार अथवा वे व्यक्ति जो स्त्रियों की वर्तमान अवस्था में कुछ सुधार करना चाहते हैं, उन का यह विचार नहीं कि स्त्रीत्व के उच्च आदर्शों को समाप्त कर दिया जाये । जिन सदस्यों ने इन आदर्शों का प्रतिपादन किया है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जबकि हम ने राम को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर के उन प्राचीन आदर्शों को तोड़ दिया है तब केवल स्त्रियों से सीता के आदर्शों पर चलने को क्यों कहा जाता है । इस से मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि मैं यह नहीं चाहता कि सीता के आदर्शों का पालन न हो परन्तु मैं चाहता हूं कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिये । इसीलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर विचार करें ।

हमें केवल परम्पराओं पर ही नहीं चलना चाहिये । ये परम्परागें बहुत अच्छी हैं, तथा उन जातियों में, जिन में विवाह-विच्छेद की अनुमति है, सीता तथा सावित्री का आदर्श माना जाता है । प्रश्न केवल यह है कि हमें दुखपूर्ण मामलों में विवाह-विच्छेद की अनुमति देनी पड़ रही है तथा तब भी कहा जाता है कि हम सीता तथा सावित्री के आदर्शों को तोड़ना चाहते हैं । मैं इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहना चाहता कि कौन से वर्ग उच्च हैं और कौन सा निम्न है । ऐसा सोचना मात्र ही समाज के लिये घातक है ।

सत्य तो यह है कि पिछड़े अथवा अशिक्षित अथवा मूर्ख वर्गों में भी ८० प्रतिशत व्यक्ति वट पूर्णिमा के दिन सावित्री की पूजा करते हैं । यद्यपि उन के यहां विवाह-विच्छेद किया जाता है परन्तु फिर भी सावित्री की पूजा होती है । मैं इंगलैंड का निवासी नहीं हूं तथा मैं भी इस देश की उन सभी परम्पराओं को जानता हूं जिन को मेरे रूढ़िवादी मित्र

बानते हैं, परन्तु उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग की सभी स्त्रियां इन परम्पराओं का विरोध करने का साहस नहीं कर पाती हैं

श्री वी० जी० देशपांडे : आप यह कैसे जानते हैं, आप महिला वर्ग का अपमान करते हैं।

श्री पाटस्कर : आप को यह बताना चाहिये था कि उन के सामने यह आदर्श है। क्या आप ने यह बताया था कि पिछड़ी हुई जातियों में विवाह-विच्छेद की अनुमति होने पर भी वे सभी सीता तथा सावित्री के भक्त हैं तथा परम्पराओं को बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं, मेरे विद्वान मित्र श्री टंडन ने इस सम्बन्ध में कुछ कहा है। मैं उन के विचारों से सहमत हूं। जहां तक आदर्शों का सम्बन्ध है वह इस से पृथक् हैं। यह प्रश्न केवल यही है कि आप का रहन सहन किस प्रकार का है। हमें इस प्रश्न पर इस बात को ध्यान में रख कर विचार नहीं करना चाहिये कि हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो ८० प्रतिशत व्यक्तियों की भावुक परम्पराओं पर आघात करेगा। केवल विवाह विच्छेद का उपबन्ध रहने से ही यह नहीं समझा जाना चाहिये कि हम आदर्शों को रखना नहीं चाहते हैं हिन्दु शब्द थोड़े समय से प्रचलित हुआ हो सकता है। एक माननीय सदस्य ने बताया था कि भारतीय सभ्यता ५००० वर्ष पुरानी है। मझे भी इस का बहुत गर्व है तथा मेरा विचार है कि हमारी सभ्यता को नष्ट नहीं होने देना चाहिये। मैं नहीं समझ सकता कि जबकि ८० प्रतिशत व्यक्तियों में प्रचलित विवाह-विच्छेद की प्रथा के कारण भारतीय सभ्यता नष्ट नहीं हो सकी तो यदि शेष व्यक्तियों के लिये भी विवाह-विच्छेद को लागू कर दिये जाने से किस प्रकार नष्ट हो जायेगी।

जो व्यक्ति केवल शास्त्रों से ही सन्तुष्ट हैं मैं उन का आदर करता हूं परन्तु उनसे सहमत नहीं हूं। वे इन बातों को ठीक दृष्टिकोण से देखना पसन्द नहीं करते हैं। उन का विचार है कि केवल खण्ड १३ के कारण समस्त भारतीय सभ्यता तथा सीता और सावित्री के समस्त आदर्श नष्ट हो जाते हैं यह ठीक दृष्टिकोण नहीं है। हमें इस प्रश्न पर भारतीय जनता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। जैसाकि मैं ने बताया कि मैं उन के विचारों का भी आदर करता हूं परन्तु जब वह यह कहते हैं कि इस के द्वारा भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो केवल विवाद तथा उलझन ही पैदा होती है यही बात जनता की भावनाओं के सम्बन्ध में भी कही जा सकती ह।

बात केवल इतनी ही है कि हम इस प्रकार के सभी व्यक्तियों के लिये एक समान विधि बना देना चाहते हैं। केवल पुराने आदर्शों से ही काम नहीं चल सकता है हमें वर्तमान अवस्था का ध्यान रख कर ही सोचना है कि क्या करना चाहिये।

इसी दृष्टिकोण से मैं माननीय सदस्यों से इसके उपबन्धों की जांच करने की प्रार्थना करूंगा कि खंड १३ में दिया हुआ है कि:

"इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अथवा पश्चात्, सम्पन्न हुआ कोई विवाह पति अथवा पत्नी द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर, विवाह-विच्छेद की डिग्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकता है कि अन्य पक्ष ने......"।

(१) व्यभिचार करता हो

क्या हमें इस की अनुमति देनी चाहिये। यदि पति अथवा पत्नी व्यभिचारी हो तो हमें विवाह-विच्छेद कर देना चाहिये। मुझ से कहा गया कि इस प्रकार का उपबन्ध क्यों नहीं बना दिया जाता कि यदि एक बार भी व्यभिचार किया गया हो तो वह

[श्री पाटस्कर]

विवाह-विच्छेद का कारण हो सकता है। मैं बता देना चाहता हूं कि हम बहुत सावधानी से कार्य करना चाहते हैं। न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद के सम्बन्ध में इस प्रकार का उपबन्ध है कि यदि एक बार व्यभिचार किया जाये तो वह न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद का कारण हो सकता है। हम ने यह उपबन्ध क्यों रखा है? क्योंकि न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद के पश्चात् उन्हें कुछ समय मिलेगा तथा हम यह देखना चाहते हैं कि उतने समय में पुर्नमिलन हो सकता है कि नहीं। यदि पुर्नमिलन हो सकता है तो हम विवाह-विच्छेद कराना नहीं चाहते। व्यभिचार सम्बन्धी उपबन्ध इस प्रकार से रखा गया है जिससे कि विवाह-विच्छेद शीघ्रता से न हो सके। इसी का ध्यान रख कर व्यभिचार के सम्बन्ध में, न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद तथा विवाह-विच्छेद में अन्तर रखा गया है। इस उपबन्ध का यही मुख्य आधार है। मैं विश्वास करता हूं कि इन्हीं बातों से आप बता सकते हैं कि हम अपनी परम्पराओं का कितना आदर करते हैं। यदि कोई पति या पत्नी व्यभिचारी है तो इस विषय पर विचार करना होगा कि क्या हमें दूसरे पक्ष को किसी अन्य से विवाह करने की स्वीकृति देनी चाहिये अथवा नहीं।

दूसरा उपबन्ध है :—

"(२) अन्य धर्म में धर्म परिवर्तित कर लेने से हिन्दू नहीं रहा है।"

स की कोई आलोचना नहीं की गई है। स के पश्चात् यह उपबन्ध है कि :

"(३) याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व, लगातार कम से कम तीन वर्ष से वह व्यक्ति ऐसा पागल रहा हो कि जिस का ठीक होना असम्भव हो।"

यह वांछनीय है अथवा नहीं? हम ने वह नहीं कहा कि पति या पत्नी के पागल हो जाने के शीघ्र बाद ही विवाह-विच्छेद हो जाना चाहिये। हम ने बताया है कि उन्हें तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि पागलपन दूर हो जाये तो वह पति पत्नी ही रहेंगे। आप बताइये कि क्या इस प्रकार हम विवाहित जीवन की पवित्रता को समाप्त करने का वास्तविक प्रयत्न कर रहे हैं अथवा यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो विवाह सम्बन्ध व्यर्थ ही में न तोड़े जायें।

इस के पश्चात् :—

"(४) याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व लगातार कम से कम तीन वर्ष से वह व्यक्ति कोढ़ के असाध्य रूप से पीड़ित रहा हो।"

मैं जानता हूं कि इस के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं कि कुष्ट रोग ठीक होने वाला रोग है अथवा नहीं। जैसाकि मैं ने कल बताया था हमारा समाज कुष्ट रोगियों को बहुत भयानक रोगी समझता है। हम ने यहां भी दूसरी प्रकार की व्यवस्था रखी है। पति अथवा पत्नी के कुष्ट रोग से पीड़ित हो जाने के तुरन्त पश्चात् ही विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं दी जा सकती है प्रत्युत तीन वर्ष का समय दिया गया है जिस अवधि में इस रोग के उपचार के लिये कुछ उपाय किये जा सकते हैं। इन तीन वर्षों में बहुत परिवर्तन हो सकते हैं।

इस का प्रभाव संयुक्त परिवारों की बजाय अधिकतर उन परिवारों पर पड़ेगा जिस में केवल पति पत्नी ही होते हैं। उन के कुछ बच्चे भी हो सकते हैं। तथा इसीलिये यह सोचा गया कि उन को केवल इन्हीं आधारों पर अलग होने की अनुमति दी जा सकती है। इस के पश्चात् भी इस उपबन्ध को इस प्रकार बनाया गया है, जिस से यह स्पष्ट होता है कि हम विवाहों के विच्छेद के पक्ष में नहीं हैं। हमारी परम्परायें कुछ

इस प्रकार की रही हैं तथा हमारे विवाहित जीवन का कुछ इस प्रकार से विकास हुआ है कि जो पति पत्नी १० अथवा १२ वर्ष तक एक साथ रह चुकते हैं, वह एक दूसरे को एकाएकी ही नहीं छोड़ देंगे, परन्तु जब उन का एक साथ रहना असम्भव हो जाये तो क्या किया जाये? इसी दृष्टिकोण से उपबन्ध बनाया गया है। रतिज रोगों के सम्बन्ध में भी मेरा यही तर्क है।

इस के पश्चात् यह है कि "धार्मिक सम्प्रदाय में प्रवेश कर के संसार को छोड़ दिया हो।" मेरे विचार से इस में भी हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि विवाहित जीवन अकेले नहीं बिताया जा सकता है। यदि पति सन्यासी हो जाता है अथवा पत्नी सन्यासिनी हो जाती है तो उन को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि आजकल स्वत्रंता का युग है।

दूसरा कारण यह है कि "सात वर्ष से जिसके जीवित रहने के बारे में न सुना गया हो .....।" क्या इस के द्वारा हम विवाह विच्छेद को प्रोत्साहन दे रहे हैं? पति अथवा पत्नी को सात वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्या इस का यह आशय नहीं है कि विवाह-विच्छेद आसानी से न हो सके? क्या यह हमारे आदर्शों के अनुकूल नहीं है?

इस के पश्चात् है: "उक्त पक्ष के विरुद्ध न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद की डिग्री हो जाने के पश्चात् दो वर्ष अथवा इस से अधिक समय तक, सहवास पुनः प्रारम्भ न किया हो।"

आप जानते हैं कि हम इस खण्ड को पारित कर चुके हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिन में ही न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद की अनुमति है। यह एक प्रकार की पूर्वसूचना है। परन्तु यदि दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी पति अथवा पत्नी एक साथ न रह रहे हों, और उन के द्वारा इस के लिये कोई चेष्टा भी न की गई हो तो फिर इस विवाह को चलते रहने देने की क्या आवश्यकता है? हमें इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिये।

इस के पश्चात् है: "डिग्री दिये जाने के पश्चात् दो वर्ष अथवा इस से अधिक समय तक दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिये जारी की गई डिग्री के आदेशानुसार कार्य करने में असफल रहे हों।" जैसाकि मैं ने कल बताया था कि शब्द "दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन" बड़ा कर्ण कटु है। आजकल के समानता के युग में मैं अपनी बहिनों की भावनाओं को समझ सकता हूं। परन्तु हम सब जानते हैं कि जब मनुष्य विवाह करता है तो वह एक दूसरे के लिये विवाह करता है तथा यदि आप उन का न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद अथवा विवाह-विच्छेद कराना नहीं चाहते हैं तो यही एक-मात्र उपाय रह जाता है। व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता में एक उपबन्ध है, जिस को मैं ने कल यहां पढ़ा था, जिस के अनुसार पति को भरण पोषण देना होगा, और यदि इस पर भी वह सज्जन उस को धन न दे और उस को अपने पास से दूर रखे तो वह बेचारी क्या करे? क्या उसे विवाह-विच्छेद नहीं करा लेना चाहिये?

इन मामलों में, ऐसी कौन सी बात है जिससे यह मालूम होता हो कि हम विवाह सम्बन्ध को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। अमरीकी तथा इंगलिश विधि से हमें कोई सरोकार नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह देखें कि हम क्या कर रहे हैं तथा यह पता लगायें कि क्या यह वही कठोर मामले हैं या नहीं जिन का समर्थन श्री टंडन ने भी किया था। मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति को इसे इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये।

[श्री पाटस्कर]

परन्तु हमारे सामने केवल कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर के, भ्रान्ति तथा ग़लत धारणायें उत्पन्न करना ठीक नहीं है । मैं जनता की भावनाओं को जानता हूं ।

वे चाहते हैं कि विवाहों का सरक्षण किया जाये और हम इस के लिये कोशिश कर रहे हैं । किन्तु भावना के नाम से सदा ऐसा नहीं कर सकते और यह कोई नई चीज़ भी नहीं है ।

आज ही उत्तर प्रदेश के एक मामले की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था । एक स्त्री का पति मर गया था । रूढ़ि के अनुसार, उस का विवाह उस आदमी के साथ कर दिया गया था, किन्तु उस घर में उस लड़की का गुज़ारा नहीं हो सका और उसे त्याग दिया गया था । यह १९३५ का मुकदमा है और इस में डा० काटजू भी एक वकील थे । उन्हों ने मेरा ध्यान इस की ओर दिलाया था । वह लड़की कितनी देर अकेली रहती ? कुछ समय बाद उस ने एक और आदमी के साथ विवाह कर लिया और उस के साथ रहने लगी । यह सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उस समय विवाह-विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी और वह और कहीं नहीं जा सकती थी । इस विवाह से उस का एक लड़का भी पैदा हुआ । अब यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक था कि उस का यह लड़का औरस है या नहीं, क्योंकि उस का पहला पति जीवित था । न्यायाधीशों ने सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया था कि दूसरा विवाह वैध है । यह प्रिवी कौंसिल का निर्णय है । इस के विरुद्ध किसी ने आवाज नहीं उठाई । क्या हम चाहते हैं कि ऐसी बातें होती रहें और यह निर्णय करना न्यायालयों के विवेक पर छोड़ दिया जाये कि अमुक, विवाह वैध है या अवैध । किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमें, लोगों के प्रतिनिधि होते हुए इन बातों को ठीक करने के लिये विधान बनाना चाहिंय या नहीं ? हो सकता है कि इस विधेयक में कुछ त्रुटि हो । इस की ओर ध्यान दिया जायेगा । किन्तु यह समझना गलत है कि इसे हिन्दू जीवन या विवाह की पवित्रता को नष्ट करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । कुछ लोग राजनैतिक कारणों से ऐसा कहते हैं किन्तु हमें वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये । माननीय सदस्य इस मामले पर ठंडे दिल से विचार करें । यदि हम विधान न बनायें, तो यह काम न्यायाधीशों को करना पड़ेगा । हमें समाज की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रख कर सोचना है कि हमें क्या करना चाहिये । निस्सन्देह पुराने ऋषियों की नीति ठीक थी किन्तु इन को आज कौन मानता है ? हम उन की प्रशंसा करते हैं किन्तु जब हमारी अपनी जाति या वर्ग की कोई बात होती है, तो हम उन पर अड़े रहते हैं और भारतीय संस्कृति के सब सिद्धान्तों को भूल जाते हैं । इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को गलत मार्ग पर न डालें, बल्कि उन्हें समझायें कि यह सब कुछ किस लिये किया जा रहा है और ऐसा करना क्यों आवश्यक है । यदि लोग हमें संतुष्ट कर सकें कि यह समस्या किसी और तरीके से हल की जा सकती है, तो इस पर विचार करने में कोई हर्ज नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे न केवल इस विधेयक का समर्थन करें, बल्कि लोगों की शंकाओं को भी मिटायें । हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो इन बातों को नहीं समझ सकते ।

एक सुझाव श्री टंडन ने दिया था । उन्हों ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा तरीका

नहीं निकाला जा सकता, जिस से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उन की सहायता की जा सके । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं ने इस प्रश्न पर विचार किया है । किन्तु बात यह है कि विशेष विवाह अधिनियम का अपना इतिहास है । यह १८७२ के अधिनियम से उत्पन्न हुआ था, जबकि भिन्न धर्मों के व्यक्तियों का विवाह किया जाता था । यह मुख्यतः इस उद्देश्य के लिये था और पुराने हिन्दू कोड में केवल एक धारा थी । हम ने विशेष विवाह अधिनियम बनाना उचित समझा था । मुझे मालूम है कि इस की धारा १५ के अन्तर्गत विवाहों को रजिस्टर किया जा सकता है । किन्तु यह एक बिल्कुल भिन्न अधिनियम है और इस के अन्तर्गत हमें एक विशेष वर्ग के लिए जोकि धर्म पर आधारित नहीं, व्यवस्था कर रहे हैं । जैन और बौद्ध कहते हैं कि उन का धर्म भिन्न है, किन्तु सामान्यता उन्हें हिन्द कहा जाता है । इन के लिये एक ही विधि बनाई जा रही है । विशेष विवाह अधिनियम में हिन्दू विवाहों के बारे में कोई उपबन्ध करना वैधानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह एक भिन्न प्रयोजन के लिये है । इसमें यह उपबन्ध है कि विवाह तब रजिस्टर किया जा सकेगा जब दोनों पक्ष यह चाहते हों और यह ठीक भी है, क्योंकि जब सांस्कारिक विवाह के दो पक्ष दायभाग, विवाह-विच्छेद आदि के लिये अन्य नियम अपनाना चाहते हैं, तो यह परस्पर सहमति से होना चाहिये । इस धारा में यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिस का विवाह किसी और रीति के अनुसार हुआ है, न्यायालय में जा कर कहे 'नहीं, मैं अब इस खंड के अधीन पति या पत्नी नहीं रहना चाहती' मेरे विचार में यह उचित तरीका नहीं है । यदि ऐसा किया जाये, तो इस से दायभाग आदि का तरीका ही बदल जायेगा ।

कठिन मामले भी होते हैं, किन्तु मेरे विचार में इन के हल का तरीका यह है कि जहां तक हो सके परम्पराओं को बनाये रखा जाये । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि सीता और सावित्री किसी विशेष वर्ग के लिये नहीं हैं यदि लोग सभ्य हैं और परम्पराओं को बनाये रखना चाहते हैं, तो विवाह-विच्छेद का उपबन्ध होते हुए भी सीता और सावित्री के आदर्श बनाये रखे जा सकते हैं । मैं एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि हिन्दू के रूप में यह घोषणा करता हूं कि हमारी संस्कृति या पवित्र परम्पराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ।

खंड १३ के बारे में, मैं उत्तर दे चुका हूं । यदि आप खंड १४ और १५ की ओर निर्देश करें, तो आप देखेंगे कि एक ओर प्रवृत्ति यह है कि विवाह-विच्छेद शीघ्र से शीघ्र हो सके, किन्तु हम धीरे धीरे पग उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह हमारे आदर्शों के अनुकूल है । विवाह-विच्छेद के बाद कुछ समय व्यतीत होना चाहिये ताकि दोनों पक्ष यह सोच सकें कि उन्हें पुनर्विवाह करना चाहिये या नहीं ।

खंड १६ के बारे में, जो कुछ मेरे मित्र श्री टेक चन्द ने कहा है, मैं उसे नहीं समझ सका । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि औरसता के इस प्रश्न पर अब एक भिन्न दृष्टिकोण से विचार करना है । मेरे विचार में किसी भी नागरिक पर जोकि यहां पैदा हो, इस आधार पर कोई कलंक नहीं लगना चाहिये कि उस के पिता या माता ने कोई ऐसा काम किया था जोकि बाद में अवैध ठहराया गया था ।

श्री टेक चन्द : मेरे विचार में यह 'माता और पिता' होना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : आप को संतुष्ट करना मेरे लिये असंभव है । मेरे विचार में यह मानवता का एक आधारभूत सिद्धान्त है कि पति पत्नी से पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को औरस समझा जाये। औरस माना जाना उस का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिये। इस के लिये बहुत ठोस कारण विद्यमान हैं। इसलिये जैसा मैंने सवेरे कहा था मैं इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत करने को तैयार हूं कि किसी भी व्यक्ति को जारज पुत्र न कहा जाए ।

फिर दण्ड के बारे में प्रश्न आता है । जब पण्डित ठाकुर दास भार्गव इस पर विचार प्रकट कर रहे थे, मैं सभा में उपस्थित न था । खण्ड १८ में लिखा है :

"कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन धारा ५ के खण्ड (३),(४), (५) और (६) में बताई गई शर्तों का उल्लंघन करके विवाह करेगा, उसे दण्ड दिया जायेगा—

(क) धारा ५ के खण्ड (३) में बताई गई शर्त के उल्लंघन के मामले में उसे साधारण कारावास का दंड दिया जायेगा, जोकि १५ दिन तक हो सकता है, अथवा जुर्माना जोकि एक हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा कारावास और जुर्माना दोनों ; इत्यादि ।"

यह बात बिल्कुल ठीक कही गई है कि इस में वे बातें उपबन्धित नहीं हैं जोकि बाल विवाह निरोध अधिनियम में रखी गई हैं। प्रायः विधान की दृष्टि से यही अच्छा है कि इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले सभी उपबन्धों को सम्बन्धित और संगत रूप में रखा जाये .....

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं ने अपने संशोधन संख्या ३५३ में जो बात कही थी, उस का कोई उत्तर नहीं दिया गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि सगोत्र-गमन पर अधिक कड़े दण्ड का उपबन्ध क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री पाटस्कर : यह एक नया प्रश्न उठाया गया है। परन्तु मैं तो पण्डित ठाकुर दास भार्गव द्वारा कही गई बात पर बोल रहा था। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक मौलिक हिन्दू विधेयक का एक भाग है, और इस में कई प्रकार के सुधार हो चुके हैं । जब भी इस प्रकार के किसी विधेयक पर खण्डशः विचार किया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि अन्य उपबन्धों की ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता, जितना देना चाहिये । जब इस विधेयक पर दूसरी सभा में चर्चा हो रही थी तो मैं ने कहा था कि मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि इन सभी भागों के पारित हो जाने के उपरान्त, इन्हें इकट्ठा रख कर उन पर एक बार फिर विचार किया जाये । इस से इस की बची खुची सभी त्रुटियां दूर हो जायेंगी और किसी भी सदस्य को इस का विरोध करने का कोई कारण न होगा। मैं जानता हूं कि जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का सम्बन्ध हैं, पण्डित ठाकुर दास भार्गव इस से सहमत हैं, और केवल इतना ही नहीं, वे तो समाज सुधार के एक महान समर्थक हैं और इस दिशा में उन्हों ने भारी काम किया है । हो सकता है कि इस विधेयक के विभिन्न अंगों को पारस्परिक एक सूत्रित करने के लिये कहीं कहीं कुछ परिवर्तन करने पड़ें, और व्यवस्था करनी पड़े । परन्तु मेरा विचार है कि यह काम इस समय करना उचित न होगा । यह हम उस समय करेंगे जब हम इन सभी भागों को एकत्रित करेंगे। अभी तो अन्य कई ऐसे भाग रह गये हैं जिन्हें पारित करना है । उदाहरणार्थ दहेज का प्रश्न भी उठाया गया है। अतः जब हम सभी भागों पर पृथक पृथक विचार कर रहे हैं

तो इस प्रकार की कठिनाई का उत्पन्न होना स्वाभाविक

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बाल-विवाह निरोध अधिनियम तो एक अखिल भारतीय विधान है जोकि सभी सम्प्रदायों पर लागू होता है, किन्तु प्रस्तुत विधान केवल हिन्दुओं पर ही लागू होता है। मैं यह पूछता हूं कि एक विषय से सम्बन्ध रखने वाले दो विधानों में इतना भेदभाव क्यों रखा गया है ?

श्री पाटस्कर : हम इसे व्यवस्थित करने का यत्न करेंगे। मैं आप को पूर्ण विश्वास दलाता हूं कि जब हम इस विधेयक के सभी खण्डों को इकट्ठा कर के सम्मुख रखेंगे, उस समय जहां भी कोई छोटी मोटी त्रुटि दृष्टिगत हुई, उसे दूर कर के, उचित व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

अतः मेरा यह निवेदन है कि इन सभी खण्डों को स्वीकार कर लिया जाये।

सभापति महोदय : अब मैं सभी संशोधनों और खण्डों को मत के लिये प्रस्तुत करूंगा। मैं सर्वप्रथम खण्ड १३ के संशोधन लूंगा।

श्री वी० जी० देशपांडे : संशोधन एक विशेष क्रम से सूचित किये गये हैं, अतः मत के लिये भी उन्हें उसी क्रम से ही रखा जाना चाहिये।

सभापति महोदय : यह उन का कार्य नहीं है। हां यदि कोई सदस्य ऐसा चाहते हैं कि उन के संशोधन एक अलग रूप में प्रस्तुत किये जायें तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों संशोधन, संख्या १९० और ३७६ अलग अलग रखे जायें, और सभा में पढ़ दिये जायें क्योंकि न तो मुझे बोलने का अवसर मिला है, और न मंत्री जी उन पर विचार ही कर सके हैं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९०, ३२८, ३७२, ५९, ३२९, ११, ३७४, ३७५, ३३०, १४२, ३७६, ९८, ३७७, ३४, ३७८, ३३३, २४२, ३७९, ३८०, ३३४, ३५, ३३५, २४४, ३८३, १०४, ३६, ६४, ३३६, ३८५, ३३८, ३८६, १४३, १०७, ३८७, १२, ३४१, ३४०, ३४२, ३८८, ३८९, ३९०, १३, ६९, १४४, १६४, २४६ और ३९१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३ विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में विभाजन हुआ : पक्ष म १५० ; विपक्ष में २०।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खंड १४ के संशोधनों को रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४, ३४४, १९७, २४७, ३९४, ३९५, ७० और ३९६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब नया खंड १४-क के बारे में संशोधन है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९८, ३४५ और ३९७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब खंड १५ के संशोधन हैं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३९८, ३४६, ११२, २४८, २४९, ३४७ और १४५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा खंड १७ का संशोधन संख्या २०० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब खंड १८ के संशोधन हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४००, ४०१, २५४, २५५, ३४९, ३५२, ३५४, २५८ और ३५३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब नये खंड १८-क, १८-ख और १८-ग के बारे में कुछ संशोधन हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७, ११६, २०१ और १८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

खण्ड १९ से २३

सभापति महोदय : अब सभा १९ से २३ तक के खण्डों पर विचार करेगी, इस के लिये एक घण्टा निर्धारित किया गया है । वे सदस्य जो इन खण्डों के बारे में अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे इस के सम्बन्ध में १५ मिनट के अन्दर अन्दर सूचना दे दें । इस दौरान में हम चर्चा को जारी रखेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं खण्ड १९ के बारे में संशोधन संख्या २६० प्रस्तुत करता हूं, जिस के अनुसार मैं यह चाहता हूं कि "अथवा पति और पत्नी रहते हैं अथवा" के स्थान पर "अथवा प्रतिवादी रहता है अथवा पति और पत्नी", ये शब्द रख दिये जायें । अर्थात इस संशोधन के द्वारा मैं इस के सम्बन्ध में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं । इस खण्ड में जो ये शब्द आये हैं कि "जहां पर उन का विवाह हुआ था" मैं इन का विरोध नहीं करता, और न ही इन शब्दों का विरोध करता हूं कि "जहां पर वे अन्तिम बार इकट्ठे रहे थे" ।

परन्तु मेरा वास्तविक विरोध तो इन शब्दों से है "जहां पर पति और पत्नी रह रहे हों ।" हो सकता है कि वे एक ही शहर में न रह रहे हों, दोनों विभिन्न स्थानों पर रहते हों अतः ये शब्द निरर्थक हैं । वास्तव में तो इस की जगह यह शब्द आने चाहियें— "जहां पर प्रतिवादी रहता हो" । इसीलिये तो मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि

"अथवा पति और पत्नी रहते हैं" के स्थान पर "अथवा प्रतिवादी रहता है" ये शब्द रख दिये जायें। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार भी यही नियम है कि वादी स्वयं प्रतिवादी के स्थान पर जाता है और उस के स्थानीय न्यायालय में जा कर उस पर वाद चलाता है।

अतः विधि मंत्री ने वाद चलाने के सम्बन्ध में जिन तीन न्यायालयों को उपबन्धित किया है, उन में से दो के विषय में तो मैं कुछ न कहूंगा। तीसरे न्यायालय के विषय में यही कहूंगा कि इस के स्थान पर "प्रतिवादी जहां रहता है।" ये शब्द रख दिये जायें। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो यह व्यवहार-प्रक्रिया संहिता के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। अतः मेरा यही कथन है कि यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुकूल हो।

श्री राने (भुसावल) : जहां तक मेरे संशोधन संख्या १९ का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थी को इस बात का अधिकार दिया जाये कि वह स्वयं अथवा किसी वकील के द्वारा याचिका प्रस्तुत कर सके।

और मेरा संशोधन संख्या २० यह चाहता है कि एक नारी निवेदक को इस बात का अधिकार दिया जाये कि वह अपनी याचिका उसी न्यायालय में प्रस्तुत कर सके जिस क्षेत्र में वह रहती है। पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने ऐसा तर्क दिया है कि उसे उस स्थान पर बुलाया जाय जहां उस का पति रहता है। परन्तु मैं उन के इस कथन से सहमत नहीं हूं। इस से महिलाओं को बड़ा कष्ट होता है, इन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस संशोधन संख्या २० के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि पति की अपेक्षा पत्नी को अधिक सुविधायें दी जायें।

मेरे संशोधन संख्या २१ का सम्बन्ध इस बात से है कि याचिका में क्या क्या बात बताई जाये। विधेयक का खण्ड संख्या २२ अधूरा है। इसीलिये अपने इस संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि याचिका में निम्नलिखित सभी बातें दी जायें —विवाह की तिथि, विवाह के उपरान्त कितने दिनों तक इकट्ठे रहे, बच्चों की संख्या, सामाजिक प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिति, और वे कारण जिन के आधार पर वे एक दूसरे से बिछुड़ गये हैं।

संशोधन संख्या २२ के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि यदि नर और नारी में कोई पारस्परिक समझौता हो जाये तो न्यायालय उस समझौते के आधार पर ही आज्ञप्ति जारी कर दे। साधारणतया होता यह है कि नर और नारी के उस समझौते को कूट सम्बन्ध मान कर उस याचिका को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

फिर संशोधन संख्या २३ के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि खण्ड २३ की ९ से १८ तक पंक्तियां निकाल दी जायें, जो ऐसा कहती हैं कि नर और नारी के समझौते को कूट सम्बन्ध समझ कर उन की याचिका को अस्वीकृत कर दिया जाये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने यह तर्क दिया है कि खण्ड १९ में उपबंधित क्षेत्राधिकार को तीन भागों में विभाजित किया गया है, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। केवल दो ही स्थान उपबन्धित किये गये हैं —एक तो वह स्थान जहां पर उन का विवाह हुआ था और दूसरा वह स्थान जहां पर वे अन्त में इकट्ठे रहे हों। अतः पण्डित ठाकुर दास भार्गव का यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

श्री राने ने याचिका में लिखी जाने वाली सामग्री और उस की जांच के विषय में जो सुझाव दिये हैं, उन में से जांच की बात से तो मैं सहमत हूं । परन्तु इसे बात से सहमत नहीं हूं कि अभियोग के समय कहे गये शब्दों को साक्ष्य मान लिया जाये । साक्ष्य उस बयान को माना जाता है जो कोई व्यक्ति किसी दण्डाधीश के सम्मुख जा कर दे । अतः मेरा यह निवेदन है कि खण्ड के उस भाग को निकाल दिया जाये और इसे साक्ष्य न समझा जाये । जांच के समय दिये गये बयान को साक्ष्य कदापि नहीं समझा जा सकता । अतः मेरा निवेदन है कि इस उपबन्ध को स्वीकृत न किया जाये ।

एक और बात । श्री राने ने यह कहा है कि यदि पति और पत्नी में समझौता हो जाये, तो उस समझौते के आधार पर उन्हें आज्ञप्ति दे दी जाये । परन्तु आज्ञप्ति तो केवल पार्थक्य के समय ही दी जाती है । अतः मैं नहीं समझता कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता है ।

श्री राघवाचारी : मेरा संशोधन संख्या ३२८ खंड २३ के उपखंड (२) के सम्बन्ध में है । उपखंड (२) में मेल कराने का उपबन्ध है जिस का प्रयोजन यह है कि दोनों पक्षों के विवाह-विच्छेद के पूर्व मेल कराने का प्रयत्न किया जाए, किन्तु न्यायालय को इतना अधिकार दिया गया है कि इस व्यवस्था का कोई लाभ न होगा । दूसरे, इन मामलों का निर्णय भी व्यवहार न्यायालयों के मुन्सिफ, इत्यादि करेंगे जो स्वयं अनुभवहीन नवयुवक होते हैं । वे प्रादेशिक रीति-रिवाजों, भाषा तथा वहां की स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं, और उन के लिये विवाहित जीवन के मतभेदों की सूक्ष्मता को समझना कठिन होगा । अतः मेरा सुझाव यह है कि ४५ वर्ष से ऊपर के विवाहित पुरुषों का एक बोर्ड बनाया जाय जिस का एक सदस्य न्यायिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी हो । वे लोग न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई अवधि के भीतर दोनों पक्षों में मेल कराने का प्रयत्न करेंगे तथा अपना प्रतिवेदन न्यायालय को प्रस्तुत करेंगे । न्यायालय को प्रतिवेदन पर विचार कर के उन को मामला निपटाने का पूर्ण अधिकार होगा । इस प्रकार खंड का मन्तव्य भी पूरा हो सकेगा । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री धुलेकर : मेरा संशोधन संख्या ७९ खंड २३ पर है । मेरा एक अन्य संशोधन भी है, जिस में पृष्ठ ११ में से पंक्ति १५ और १६ हटा देने का सुझाव दिया गया है ।

मेरा निवेदन है कि जब न्यायिक प्रक्रिया को चलते हुए कई महीने हो जायें और हजारों रुपया व्यय होने पर भी वे किसी निर्णय पर न पहुंचें, तो एसी व्यवस्था होनी चाहिये कि दोनों पक्ष समझौता कर सकें । न्यायालय को यह अवश्य देखना चाहिये कि यह समझौता धोखे या कपट से तो नहीं किया गया । न्यायालय को यह भी देखना चाहिये कि विवाह-विच्छेद की सभी शर्तें वहां पूरी होती हैं अथवा नहीं ; तथा सारे साक्ष्य ठीक हैं या नहीं । तब यह समझौता स्वीकार किया जा सकता है तथा न्यायालय विवाह तोड़ने का अन्तिम निर्णय कर सकता है ।

उपखंड (ग) में यह उल्लिखित है कि याचिका प्रतिवादी के कुचक्र से उपस्थित नहीं की गई है । यदि क, ख, ग, घ और ङ के बीच, 'अथवा' शब्द होते तो कोई बात थी किन्तु वहां 'और', 'और', शब्द हैं । तो इस प्रकार यदि न्यायालय सन्तुष्ट हो जाता है कि ये सभी शर्तें पूरी हो गई हैं किन्तु फिर भी यदि कोई ऐसा साक्ष्य रखा जाता है कि पक्षों ने समझौता कर लिया है या उन का कोई चक्र चल रहा है तो न्यायालय

उन्हें छटकारा नहीं देगा । मेरे विद्वान मित्र जानते हैं कि ऐसे व्यावसायी भी हैं जोकि मेहनताना ले कर साक्षी अथवा प्रतिवादी बन कर खड़े हो जाते हैं और तब आज्ञप्ति जारी हो जाती है । मान लीजिये दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो कर रह रहे हैं, और वे दीर्घकाल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो कोई भी व्यक्ति आ कर यह कह सकता है कि याचिका कुचक्र से निवेशित की गई है । यह सब करने के लिये आप हिन्दुओं को क्यों बाध्य करते हैं ? अतः मेरा निवेदन है कि कुचक्र का यह उपबन्ध धोके, बुरी क्रियाओं और कूटसाक्ष्य का साधन है । हम स्वतंत्र हैं । हमें पृथक् होने का अधिकार दीजिये । हमें मिलने का अधिकार दीजिये । इन मामलों के लिये न्यायालयों के बजाये पंचायतें क्यों न बनाई जायें ? यदि सम्भव हो तो दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न किया जाये, परन्तु यहां सरकार को नियम बनाने के अधिकार का उपबन्ध होना चाहिये । अतः मैं विधि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि जब वह विधान को संगत बनायें तो वह पंडित ठाकुर दास भार्गव के विभिन्न खंडों पर विचार करें ।

श्री बोगावत (अहमदनगर–दक्षिण) : मैं श्री राने और श्री धुलेकर के संशोधनों का समर्थन करता हूं । जब हम कोई सामाजिक विधान पारित करें तो हमें स्त्रियों की कठिनाइयों को अवश्य दूर करना चाहिये । खंड १० के अधीन, यदि उस के या उस की भर्ता या भार्या के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्भोग होता है तो, न्यायिक पृथक्करण हो सकता है । इसी प्रकार खंड १३ के अधीन, यदि कोई स्त्री जारत्व का जीवन व्यतीत करती है तो विवाह-विच्छेद हो सकता है । परन्तु मैं विधि मंत्री से पूछता हूं कि इन खंडों से कौन लाभ उठायेगा ? मैं ने धारा १३ के अधीन अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि उपखंड (१) हटा दिया जाये । मैं विधि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे विधान के बारे में हमें बड़ी गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये । और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी महिलाओं के साथ कोई अन्याय न हो ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : संशोधन संख्या ७७ बड़ा महत्वपूर्ण है । इस में सम्भोग व निर्दयता के मामलों को अपवाद स्वरूप छोड़ देने के बारे में उल्लेख है । इस संशोधन की भाषा ऐसी है कि इस में केवल सम्भोग का उल्लेख है परन्तु यही सिद्धांत निर्दयता पर आधारित याचिका पर भी लागू होते हैं । यदि स्त्री ने सम्भोग या निर्दयता के सम्बन्ध में क्षमा प्रदान की है तो उसे डिग्री नहीं मिलेगी । खंड २० का यही प्रभाव है । परन्तु अपने समाज की ओर देखते हुए क्या हम स्त्रियों पर अधिक अत्याचार करने जा रहे हैं ? हमारे समाज में पत्नी को पति के समक्ष झुकना पड़ता है, यहां तक कि पति के सम्भोग कर के आने पर भी, और अत्याचार करने पर भी पत्नी को पति के समक्ष झुकना पड़ता है । क्या हम इस प्रकार के व्यवहार के लिये पत्नी को दंड देने जा रहे हैं ? अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस क्षमाकरण के उल्लेख को हटा दें या इसे ऐसा बनायें कि यह केवल उचित मामलों में ही लागू हो ।

श्री टेक चन्द : मैं चाहता हूं कि खंड २२ से "यदि दोनों में से कोई इस प्रकार चाहता हो या" शब्दों को हटा दिया जाये इस खंड के पीछे यह धारणा है कि विवाहः विच्छेदों के मामलों में व्यभिचार, आदि के सम्बन्ध में बातों की अभिव्यक्ति न हो । यद्यपि इस धारणा से प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा फिर भी मामले के दूसरे पक्ष को सर्वथा

[श्री टेक चन्द]

भुला दिया गया है । यदि ऐसा होता है तो कोई व्यभिचारी पुरुष लोगों की नज़रों में सामान्य होते हुए किसी दूसरी स्त्री पर अपना अधिकार जमा सकता है । क्या यहां यह समाज का या उस लड़की का, जिसे वह प्राप्त करने जा रहा है, कर्तव्य नहीं है कि समाज यह जाने कि अमुक पुरुष भेड़ की खाल में भेड़िया है ? ऐसी बुराइयों का सब से उत्तम उपाय केवल उन के आचरणों को प्रकाश में लाना है । सम्भव है, कुछ मामले ऐसे भी हों जहां पुरुष अनजाने में दुराचार करता हो, तो न्यायालय को यह अधिकार दिया जाय कि उस के मामले की सुनवाई गोपनीय ढंग से की जाये । परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि कोई पक्ष चाहता है, अर्थात् आप इस को अपराध करने वाले के लिये भी एक समान सी बात बनाने जा रहे हैं । आप उसे यह कहने दीजिये कि मैं चाहता हूं कि मेरी सुनवाई गोपनीय ढंग से हो । यदि आप यह कहते कि यदि दोनों पक्ष चाहें कि सुनवाई गोपनीय ढंग से हो, तो म इसे कुछ ठीक भी समझता । परन्तु जैसे ही आप यह कहते हैं कि यदि दोनों में से कोई पक्ष यह चाहे, आप अपराधी पक्ष को अवसर देते हैं कि वह अपनी इच्छानुसार करता रहे और लोग इस बात पर सन्देह करते रहेंगे और निश्चय भी न कर सकेंगे कि वास्तव में अपराधी कौन था अतः ऐसा मामला न्यायालय पर छोड़ना पड़ता है ताकि और किसी को इस का पता न चले और साथ में उस व्यक्ति के बुरे कामों का भी पता चले ।

सभापति महोदय : हिन्दू विवाह विधेयक के खंड १९ से २३ पर निम्न सदस्यों के निम्न चुने हुए संशोधन हैं, जिन को सदस्य गण प्रस्तुत करना चाहते हैं :—

प्रस्तावक का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री राने . .	१९	१९, २०
श्री राने . .	२०	२१
श्री विभूति मिश्र . .	२२	४०७
श्री राने . .	नया खंड २२-क	२२
श्री राने . .	२३	२३
श्री बोगावत . . .	२३	२०२
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	२३	७७, ७८
श्री धुलेकर . . .	२३	७९
श्री आर० एन० एस० देव	२३	४०८
श्री राघवाचारी	२३	३५८

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : मैं ने क्लाज़ २२ पर लिस्ट नं० ११ का एमेन्डमेन्ट नं० ४०७ पेश किया है । उसमें यह है कि सारी प्रोसीडिंग्स कमरे के अन्दर होंगी, वहां दूसरा कोई नहीं जाने पायेगा । आज यहां पर यह दिखलाई पड़ता है कि

हम उन के हक में कहते हैं कि जब दो आदमी जुदा हों, जब पुरुष और स्त्री का डाइवोर्स होगा तो पुरुष और स्त्री दोनों ही वहां मौजूद रहेंगे, वहां पर और कोई नहीं होगा मैं कहता हूं कि स्त्री को कोर्ट के सामने अपनी बातें कहने का उतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि पुरुष को होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस में कोर्ट को यह अधिकार रहे कि उस स्त्री या पुरुष के किसी सम्बन्धी को वह स्पैशल केसेज़ में बुलवाये ताकि जिन लोगों को उस स्त्री और पुरुष से कोई इन्टरेस्ट हो उस की मदद उस को मिल सके । यह इतना सिम्पुल ऐमेन्डमेन्ट है कि इस को मान लेना चाहिये क्योंकि इस विषय में स्त्री पुरुष दोनों के मामूली हितों का भी खयाल होना चाहिये । मैं समझता हूं कि कितनी ही कोशिश की जाये, अदालत कितना ही न्याय करना चाहे, लेकिन पुरुष के मुकाबले में स्त्री की तरफ उस का झुकाव कम होगा क्योंकि वह अपनी बात ठीक से कह ही नहीं पायेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि कोर्ट को अधिकार होना चाहिये अगर पति और पत्नी के कोई नजदीक के रिलेशन हों उन को बला कर मुकदमे की सुनवाई करें जिस में कि दोनों व्यक्तियों के इन्टरेस्ट वाच होते रहें ।

मैं चेअरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि मिनिस्टर साहब इस बात की तरफ ध्यान दें, यह एक सोशल लेजिस्लेशन है और हिन्दू जाति के जीवन और मरण का प्रश्न है । मैं ला मिनिस्टर साहब से आप के द्वारा आग्रह करना चाहता हूं कि डाइवोर्स का मामला जो है वह इतना गम्भीर है कि अगर यह होगा कि बन्द कमरे में ही स्त्री और पुरुष को रक्खा गया जबकि उन के डाइवोर्स का मामला चल रहा हो, तो स्त्री तो अबला जाति है, कमजोर जाति है, आदमी की धुर्तता के आगे उस का वश नहीं चलेगा । इसलिये कोर्ट को यह अधिकार होना चाहिये कि जिस को मुनासिब समझे उस इन्टरेस्टेड सम्बन्धी को मुकदमे की प्रोसीडिंग्स को देखने के लिये बुलाये और उस के सामने कार्रवाई को कराये ताकि यह पता चले कि जिन के लिये कानून बन रहा है उस का फायदा उन को पहुंच रहा है या नहीं । जब पुरुष स्त्री को छोड़ता है तो उस का अधिक नुक्सान नहीं होता है, लेकिन स्त्री को तो अपने बाप के यहां भी जा सकना मुश्किल होता है । जो कानून आप ने बनाया है उस की व्यवहारिकता मेरी समझ में नहीं आती है, और यह नहीं मालूम होता है कि स्त्री और पुरुष की कोर्ट में क्या हालत होगी ।

श्री पाटस्कर : आप का ऐमेन्डमेन्ट क्या है ?

श्री टेक चन्द : वह मेरे उस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, जिस में कहा गया है कि विशेष मामलों में न्यायालय की कार्यवाही को देखने के लिये न्यायालय सम्बन्धित पक्षों के निकट सम्बन्धियों को बुला सकेगा ।

श्री विभूति मिश्र : उस औरत के हक में यह निहायत जरूरी है कि उस के इन्टरेस्ट को लुक-आफ्टर करने के लिये उस के नीयरेस्ट रैलेटिव को कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज़ के देखने के लिये बुलाया जाये । मैं आप को चैलेंज करता हूं कि आप गांवों में चल कर देखिये । अपनी औरत को छोड़ने पर जिन लोगों पर मामला चलता है, जब वे कोर्ट में जाते हैं, तो उन की औरतें उन के सामने बोल नहीं पातीं । आप जानते हैं कि मरद धूर्त होते हैं । पुराने समय में तो ऐसा नहीं होता था, परन्तु आज के हाकिम खाने-पीने वाले और चाय-पार्टियों में जाने वाले होते हैं । मरद ऐसे लोगों को चाय-पार्टी दे देंगे, कुछ खिला-पिला देंगे और कुछ दे दिला कर अपना काम करा लेंगे । इसलिये इस बात की बडी जरूरत है

[श्री विभूति मिश्र]

कि कोर्ट को इस बात का अख्तियार हो कि यह स्पेशल केसेज़ में नीयरेस्ट रिलेशन्ज़ को बुला कर उन के सामने एविडेंस वगैरह लें ।

श्री **पाटस्कर** : विचाराधीन खण्ड १९ से २३ तक हैं । ये प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में हैं । मेरे जिन मित्रों ने सुझाव दिये हैं, मैं चाहता हूं कि वे इस विषय पर उसी दृष्टिकोण से विचार करें जिस दृष्टिकोण से मैं उन पर विचार कराना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि कुछ बातें इस प्रकार की भी होंगी, जो कुछ व्यक्तियों को रुचिकर न हों तथा साथ ही साथ हमें इस की भी जांच करनी चाहिये कि हम जिस विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं यह कार्य उस के अनुरूप है अथवा नहीं ।

खण्ड १९ में दिया है कि :

"इस अधिनियम के अधीन सभी याचिकायें स्थानीय सीमा के उसी ज़िला न्यायालय में प्रस्तुत की जायेंगी जिस के सामान्य मूल क्षेत्राधिकार में विवाह सम्पन्न हुआ था अथवा ....."

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक प्रश्न उठाया था । मैं जानता हू कि सामान्यतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार वादी, प्रतिवादी को बुलाता है । यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत करता है तो वह किसी भी न्यायालय में जा सकता है । सामान्यत यदि कोई अन्य कारण न हो तो वादी को प्रतिवादी को बुलाना होता है । इस कार्य--वाही के कारण अथवा अन्य किसी कारण से उस को उसी स्थान पर अभियोग प्रस्तुत करना होता है जहां प्रतिवादी रहता हो । तथा वह स्थान भी उस में आ सकते हैं जहां कार्यवाही का कारण हुआ हो । अथवा उस कारण का कुछ अंश हुआ हो । इस विधेयक के अधीन हम कार्यवाही किस स्थान पर प्रारम्भ रकते हैं ? उस स्थान पर जहां विवाह सम्पन्न हुआ था । दोनों पक्षों के वहीं होने की सम्भावना है । इस में इस प्रकार के उपबन्ध भी हैं कि उन के पुनर्मिलन के प्रयत्न किये जायेंगे । इस आधार पर, वही उपयुक्त स्थान है जहां यह कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये । मेरे विचार से इस से सभी सहमत हैं । इस के पश्चात् "अथवा पति तथा पत्नी रहते हों" । दोनों ही वहां रहते हैं । इस आधार पर, वही उपयुक्त स्थान है जहां यह कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये । इस आधार पर भी कि हम सभी विवाहों का विच्छेद कराना नहीं चाहते, वही स्थान ठीक रहेगा । इस के पश्चात् "अथवा अन्तिम बार एक साथ रहते थे ।" इस का निर्देश उस स्थान से है जहां वह अन्तिम बार साथ साथ रहते थे यद्यपि अब वह वहां न हों । इस का उद्देश्य केवल यही है कि वह स्थान ऐसा हो जहां के व्यक्ति दोनों को जानते हों । सम्भवतया इसी आधार पर उन्हों ने यह उपबन्ध नहीं बनाया कि वाद को उसी स्थान पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये जहां प्रतिवादी रहता हो । मेरे विचार से यह उन की विचारधारा है । मैं कहता हूं कि यह कार्यवाही वहां प्रारम्भ की जानी चाहिये जहां विवाह सम्पन्न हुआ था, जहां के रहने वाले व्यक्ति दोनों पक्षों को जानते हों, अथवा जहां दोनों रहते हों अथवा अन्तिम बार रह चुके हों । कुछ समय से सम्भव है कि वह उस स्थान पर न रहते हों तथा किसी अन्य स्थान को चले गये हों । मेरे विचार से उन्हों ने इस प्रकार सोचा है । परन्तु मैं अब इस में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं । यदि कोई कठिनाई होती है, तो हम इस पर विचार करेंगे ।

इस सामान्य विधि से कि वादी, प्रतिवादी को बुलाये कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं। दूसरी शर्तें भी तो हैं। तथा यदि ये शर्तें इस में रहेंगी तो मुझे यह निश्चय नहीं है कि इन से कठिनाई बढ़ेगी। संभवतया इसी विचार से खण्ड १९ को इस प्रकार बनाया गया है।

खण्ड २० याचिकाओं की विषय वस्तु तथा जांच के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उपबन्ध इस प्रकार है :

> "इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत सभी याचिकाओं के वक्तव्यों की जांच आवेदक अथवा अन्य किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा शिकायतों की जांच के लिये निर्धारित विधि के अनुसार, की जायेगी तथा सुनवाई के समय, उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

यह वर्तमान विवाह-विच्छेद के उपबन्धों में अब भी है। वहां भी धारा ४७ में दिया हुआ है :

> "इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत सभी याचिकाओं के वक्तव्यों की जांच आवेदक अथवा अन्य किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा शिकायतों की जांच के लिये निर्धारित विधि के अनुसार, की जायेगी तथा सुनवाई के समय उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

यथासंभव, यही प्रयत्न किया गया है कि दूसरे अधिनियमों का इसी प्रकार का उपबन्ध ही इस में रखा जाये। इसी आधार पर उपखण्ड (२) की यह शब्दावली रखी गई है। यदि माननीय सदस्य को कोई सन्देह है तो मैं आशा करता हूं कि वह दूर हो गया होगा।

अगला खण्ड १९०८ के अधिनियम संख्या ५ के लागू होने के सम्बन्ध म है इस खण्ड में दिया हुआ है :

> "इस अधिनियम में दिये गय अन्य उपबन्धों तथा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये ऐसे नियमों के अधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी कार्यवाही यथासंभव व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का पांचवां अधिनियम) द्वारा विनियमित होगी।"

यह पूछा गया है कि नियम बनाने का अधिकार सरकार ने क्यों नहीं लिया है और यह उच्च न्यायालय को क्यों दिया गया है। यह सोचा गया कि प्रक्रिया के विषय में विधान का उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात् विधेयक के उद्देश्य को पूर्ण करन के लिये उच्च-न्यायालय को ही नियम बनाने चाहियें। क्योंकि प्रक्रिया पर ही अधिकतर निर्भर होता है। उच्च न्यायालय ही उपयुक्त स्थान समझा गया है जो यह निर्णय कर सकता है कि क्या प्रक्रिया लागू होनी चाहिये तथा इस में परिवर्तन होने चाहियें अथवा नहीं। सरकार ने नियम बनाने का कोई भी अधिकार नहीं लिया है। उच्च न्यायालय को ही यह अधिकार दिया गया है कि प्रक्रिया किस प्रकार की रखी जाये जिस से कि हमारी इच्छा पूर्ण हो सके।

मेरे मित्र श्री धुलेकर ने यह आपत्ति का थी कि इस प्रकार का भी एक उपबन्ध होना चाहिये कि यदि दोनों पक्ष समझौता करना चाहते हों तो मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। फिर भी न्यायालय को यह विचार करना है कि समझौते के बहाने से कोई भी पक्ष कोई अनुचित लाभ तो नहीं उठाता है। इस

[श्री पाटस्कर]

की व्यवस्था इस खण्ड में की गई है। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हू कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में भी समझौते सम्बन्धी उपबन्ध है। यह आदेश २३ नियम ३ है। माननीय सदस्य का उद्देश्य सराहनीय है। हम भी यह नहीं चाहते कि पक्षों को समझौता करने से रोका जाये परन्तु साथ ही साथ यह भी नहीं चाहते कि तरह तरह की उलझनें पैदा हों। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में भी समझौते का उपबन्ध है। परन्तु यदि वास्तविक कार्यकरण के पश्चात् हमें ज्ञात हुआ कि उच्च न्यायालय इन उपबन्धों को लागू नहीं करता है अथवा नियम बनाने के अधिकार के अन्तर्गत कुछ नहीं करता है तो हम उस पर विचार करेंगे माननीय सदस्य ने जो बात बताई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा मेरा विचार है कि वह इस विधेयक में आ गई है। मेरे विचार से उन को संतोष हो गया होगा कि उन के उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस में पर्याप्त उपबन्ध कर दिया गया है।

खण्ड २२ में दिया है :

"यदि दोनों पक्षों में से कोई पक्ष यह चाहे अथवा न्यायालय यह उपयुक्त समझे तो इस अधिनियम के अधीन सुनवाई किसी गुप्त कमरे में हो तथा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति के लिये इन कार्यवाहियों से सम्बन्धित किसी विषय को प्रकाशित तथा मुद्रित करना वैध नहीं होगा।"

मेरे विद्वान् मित्र श्री टेक चन्द ने कहा कि यदि पति क्रूर है तो उस को यह सुरक्षण क्यों दिया जाना चाहिये ? यदि पति बुरा व्यक्ति है तथा क्रूर है तो दूसरा पक्ष इस बात को अवश्य जानता होगा तथा पत्नी भी यह बता सकती है। तो इस का परिणाम क्या होगा ? इस खण्ड का उद्देश्य जानना आवश्यक है। हम जानते हैं कि व्यभिचार तथा इसी प्रकार की अन्य बातें बहुत ही अश्लील हैं तथा इन के प्रसारण से नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप देश के किसी भी पुस्तक विक्रेता की दुकान पर जायें तो आप को वहां अमरीका के इसी प्रकार के मामलों की बहुत सी पुस्तकें मिलेंगी जिन का हमारे नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन के पाठक अधिकतर नवयुवक ही होते हैं। इसलिये इस खण्ड का यही उद्देश्य है कि सुनवाई गुप्त कमरे में होनी चाहिये। हम यही बताना चाहते हैं कि यह प्रबन्ध दोनों, पक्षों में से किसी के कहने पर अथवा स्वयं न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अतः यह कहना कि इस का आशय बुरे आदमी को सुरक्षण देना ठीक नहीं है। जैसाकि मैं ने प्रारम्भ में बताया इस प्रकार के मामलों की सुनवाई अधिकतर उन्हीं स्थानों पर होगी जहां दोनों पक्ष रहते हों, तथा पुरुष से स्त्री की रक्षा करन अथवा स्त्री से पुरुष की रक्षा करने के लिये न्यायालय अपना निर्णय देगा। उद्देश्य यह नहीं है कि हम उस को दूसरे के लिये उदाहरण बनायें। परन्तु हम केवल यह चाहते है कि इन अश्लील बातों के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर नवयुवक इस के चुंगल में न फसें।

खण्ड २२ के उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में, हमें ज्ञात है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों का समाचार पत्रों ने गलत उपयोग किया है। इसीलिये यह उपबन्ध बनाया गया है।

खण्ड २३ के शब्द ही बहुत ही सावधानी से रखे गये है। "यदि न्यायालय संतुष्ट हो ....."। क्योंकि अभिभावकों को

नियुक्त करने में न्यायालय को बहुत सावधान रहना होता है ।

हम न्यायाधीशों से भी आशा करते हैं कि वे समय के अनुसार काम करेंगे और उस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करेंगे । उच्च न्यायालय उन नियमों के अधीन, जिन को बनाने की शक्ति उस को दी गई है, कार्यवाही करेंगे । आखिर हमें किसी न किसी शासन तंत्र पर विश्वास तो करना ही है । यदि हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किसी यथोचित प्रक्रिया की जरूरत समझेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा अभी तो इसे इसी प्रकार रहने देना ठीक है ।

उपखण्ड (२) में जो सुन्दर उपबन्ध किया गया है उस से माननीय सदस्य जान सकते हैं कि वैवाहिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिये हम ने यथेष्ट प्रयत्न किया है । मैं समझता हूं कि ये उपबन्ध बिल्कुल सरल और स्पष्ट हैं ।

श्री टेक चन्द : यदि स्त्री कोई वकील नहीं कर सकती और उस का पति गप्त कमरे में सुनवाई किये जाने के लिये कहे तो वकील न कर सकने की अवस्था में होने के कारण उस के किसी रिश्तेदारों या मित्रों को वहां नहीं जाने दिया जायेगा ?

श्री धुलेकर : गुप्त कमरे का अर्थ इतना सकीर्ण नहीं है ।

श्री पाटस्कर : माननीय सदस्य की आशंका सही नहीं है । अदालतों पर बहुत उत्तरदायित्व रखा गया है । भूतकाल मे भी उन्हों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और वे अब भी कर रही हैं । चाहे माननीय सदस्य को संतोष न हो किन्तु मुझे विश्वास है कि अदालतें इस अधिनियम के उद्देश्यों को अवश्य सफल बनायेंगी । यदि ऐसा न हो पाया तो हम उस पर विचार करेंगे ।

दूसरे माननीय सदस्य की बात मेरी समझ में नहीं आई है और मैं यह नहीं समझ सका हूं कि इन खण्ड में उन्हें क्या कठिनाई दीख पड़ती है ?

सभापति महोदय : वह चाहते हैं कि कोई सम्बन्धी अदालत में जा सके ।

श्री पाटस्कर : अदालत रिश्तेदारों को आने से नहीं रोकेगी । इतनी सी बात का उल्लेख विधान में किये जाने की क्या जरूरत है ? क्या हम केवल विनियमन ही करते रहें या अदालतों पर भी थोड़ा विश्वास करें ?

श्री सिंहासन सिंह : व्यवहार प्रक्रिया संहिता में समझौते का उपबन्ध है किन्तु यहां खण्ड २३ के उपखण्ड (ग) में दिया गया है कि याचिका प्रतिवादी से कपट संधि करने के लिए प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिये ।

श्री पाटस्कर : हां, यदि उस में कपट संधि होगी तो अदालत उसे अस्वीकार कर देगी, किन्तु यदि ऐसा नहीं है और दोनों पक्ष समझौता करना चाहते हैं तो अदालत इस की अनुमति दे देगी ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय विधि मंत्री ने कहा है कि वैवाहिक सम्बन्ध को तोड़ने में कोई जल्दी नहीं की जानी चाहिये, किन्तु खण्ड २३ के उपखण्ड (घ) में दिया गया है कि प्रक्रिया में विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

क्या यह बात विधान के आशय से असंगत नहीं है ?

श्री पाटस्कर : ऐसा नहीं है । यदि कोई स्त्री या पुरुष अदालत में जाता है और वाद विषय कई वर्षों पहले का हो तो अधिक देर नहीं की जानी चाहिये । ऐसी स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

सभापमि महोदय : अब में संशोधनों तथा खडों को मतदान के लिये रखता हूं। खण्ड १९ के लिये दो संशोधन है।

संशोधन संख्या १९ और २० मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब खंड २० का संशोधन है।

संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महादय । प्रश्न यह है ।

"कि खंड २० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड २१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब खंड २२ का संशोधन है।

संशोधन संख्या ४०७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब नया खंड २२ के बारे में संशोधन है।

संशोधन संख्या २२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब खंड २३ के संशोधन हैं।

संशोधन संख्या २३, २०२, ७७, ७८, ७९, ४०८ और ३५८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २४ से २८

सभापति महोदय : अब सभा खंड २४ से २८ को लेगी, जिस के लिये दो घंटे निश्चित किये गये हैं। आज हमें खंड २८ तक समाप्त करना चाहिये, अतः आज ६-३० म० प० तक बैठना होगा। हम डेढ़ घंटे पीछे हैं। हमें जल्दी करनी होगी अन्यथा शायद आध घंटा और बैठना पड़े। माननीय सदस्य-गण खंडों की संख्या बताते हुए अपने संशोधन १५ मिनट में सचिव को दे दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे संशोधन संख्या २६४ और २६५ हैं। दफा २४ और २५ दोनों इस बिल में बड़ी अजीब दफायें हैं। दफा २४ और २५ दोनों की दोनों इस बिल के अन्दर एक तरीके से एक अजीब तरह की दफायें हैं। उन में सिर्फ बीवी के लिये ही प्राविजन नहीं है कि बीवी को इस तरह की रिआयत मिलेगी और अगर वह गरीब हो और उस के पास अपनी सपोर्ट के मीन्स न हों तो खाविंद से उस की मदद करवाई जायेगी और जरूरी खर्चा दिलवाया जायेगा और उस की पूरी तरह से मदद की जायेगी,

दफा २४ में खाविंद साहब को भी बीवी से कुछ मुआविजा कुछ रुपया दिलाने की तजवीज है, उस सूरत में पति को भी कुछ रुपया दिला दिया जाये ताकि वह अपने मुक़द्दमे की पैरवी कर सके और अपना गुज़ारा कर सके ।

उस के बाद इसी तरह दफा २५ में आप देखेंगे कि परमानट अलीमोनी और मैंटनन्स के सम्बन्ध में भी खाविंद और बीवी दोनों को एक स्टेटस में रक्खा है यानी जैसेकि बीवी को हक़ हासिल है कि उस के लिये कोर्ट गुजारे और सपोर्ट के लिये एक रक़म माहाना या एक मुश्त तजवीज कर दे और जोकि खाविंद को देनी पड़ेगी जब तक कि वह अनमैरिड रहती है, उसी तरह खाविंद के लिये भी प्राविजन है कि वह बीवी से गुजारा ले सकेगा । मुझे पता नहीं कि यह किस साहब के दिमाग की सूझ थी जो राज्य सभा के अन्दर खाविंद को मुआविजा दिलाने की तजवीज पास हुई और मेरे नजदीक तो यह एक बड़ी ही हैरानकुन और ताज्जुब की चीज है । यह तो उसी तरह हुआ कि आज फक्टरी ऐक्ट में लेडीज को जो मैटर-निटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उस मैटरनिटी बेनिफिट्स को मर्दों के वास्ते देने को कहा जाये और मैं समझता हूं सारे का सारा कंट्री उस मांग पर हंसेगा और मजाक उड़ायेगा ।

पंडित के० सी० शर्मा : दस वर्ष बाद यह सम्भव हो सकेगा । शायद लिंग बदल जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं समझ सकता हूं जो हमारे कृष्ण चन्द्र शर्मा चाहते हैं, सेक्स चेंज हो सकता है लेकिन जब तक सेक्स चेंज न हो उस वक्त तक खाविंद के वास्ते इस क़िस्म का मुआविजा दिलाया जाये, यह मजहकाखेज है और अगर यह दफा इसी सूरत में पास हो जाती है तो सारा मल्क इस पर हंसेगा और समझेगा कि जिन लोगों ने इस दफा को मौजूदा शक्ल में पास किया है उन को अकल नहीं थी कि इस तरह की वाहियात चीज़ उन्हों ने क़ानून में रक्खी ।

श्री एस० एस० मोरे : सब से ज्यादा अक़ल है ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरी शिकायत यह है कि आप ने लेडीज़ के फायदे के वास्ते जो यह ला बनाया है, मुझे डर है कि लेडीज़ को उस का फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लेडीज़ साइकौल्जिकल बेसिस पर समझती हैं कि उन को फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि जो अखित्यारात मर्दों को थे, वह हम को भी किस हद तक इस कानून के द्वारा मिल गये हैं लेकिन दरअसल बात यह है कि जैसे हमारे देश के हालात हैं और जो हमारी अब तक की संस्कृति रही है उस के अन्दर हर एक स्त्री अपने खाविंद अपने घर और अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, कोई लेडी डाइवोर्स देना नहीं चाहती, मर्द अलबत्ता डाइवोर्स देते हैं । इस से मर्दों को कोई नुक़सान नहीं पहुंचने वाला है, लेडीज़ को ही नुक़सान पहुंचेगा । अलबत्ता अगर कभी ऐसा वक्त आ जाये जिस में लेडीज़ फाइनेंशिएली इंडिपेंडेंट हो जायें और वे इस क़ाबिल हो जायें कि वे अपने मुक़द्दमे भी खुद लड़ सकें और अगर उन के खाविंद उन को डाइवोर्स कर दें तो उन की दूसरी शादी हो सकें और वे अपनी गजर खुद कर सकें, तो मैं समझता हूं कि उस हालत में लेडीज़ को भी फ़ायदा हो सकेगा । लेकिन आज के दिन हम देखते हैं कि हमारे देश में खास तौर पर हिन्दुओं में हालत यह है कि स्त्रियां फ़ाइनेंशिएली बिलकुल इंडिपेंडेंट नहीं हैं । मुझे बहुत अफ़सोस है कि मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्ग का इस वक्त इस सिल-सिले में नाम लेना पड़ रहा है । मेरा मतलब

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मनु महाराज से है, मैं जानता हूं कि मनु स्मृति में कितनी ही बातें ऐसी लिखी हैं जो एक दूसरे के बरखिलाफ़ चलती हैं। उस में तो लिखा है कि जब तक औरत छोटी उम्र की है पिता के मातहत रहे और फिर शादी हो जाने पर जब तक पति जिंदा है तब तक औरत खाविंद के ज़ेरअसर रहे और पति के मर जाने के बाद अपने बच्चों के ज़ेरअसर रहे, गरज कि यह कि औरत को कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिल सके। मैं समझता हूं कि जो यह बात लिखी हुई है यह बिलकुल गलत है, मनु स्मृति के अन्दर बाद में हज़ारों इंटरपुलेशंस हुए हैं। ८०० वर्ष से ज्यादा की आप के पास प्रति नहीं है जो आप के पास पुरानी से पुरानी मनु स्मृति की किताब है वह ८०० वर्ष से ज्यादा की नहीं है लेकिन मैं पूछ सकता हूं कि मनु स्मृति क्या केवल ८०० वर्ष पहले ही लिखी गई थी ? उस को तो हज़ारों वर्ष गुज़र गये जब वह लिखी गई थी।

पंडित के० सी० शर्मा : वह रोमन विधि थी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक रोमन ला क्या हजारों रोमन ला हों सब का स्रोत हिन्दू लाज हैं, कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो हिन्दू सोसाइटी ने तजुर्बा न किया हो। पुराने जमान में भी और आज के दिन भी हर कोई जानता है कि हमारे घरों में बीवियों, माताओं और बहनों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, सच तो यह है कि हमारे घरों में जो माता की पूजा होती है, वह पिता की पूजा नहीं होती और हमारे घरों में भाई बहन में जो प्रेम भाव पाया जाता है और एक भाई अपनी बहन से जिस तरह मुहब्बत का बर्ताव करता है, मेरे खयाल में इस तरह के मुहब्बत के ताल्लुक़ात और किसी समाज में मौजूद नहीं हैं, वजूहात इस की कुछ ही हों। मैं इस से इन्कार नहीं करता कि आज हम अपनी जगह से गिर गये हैं और हमारा सलूक अपनी बीवियों, माताओं और बहनों से जैसा होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है और उसी का नतीजा है कि चूंकि हम अपने आदर्श से गिर गये हैं इसलिये यह क़ानून लाना पड़ रहा है। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे जितने फ़ैमिली रिलेशन्स हैं, वह निहायत ही ऊंचे दर्जे के हैं और मैं समझता हूं कि हमारे अन्दर जो एक प्यूरिटी रही और कलचर रहा वह इस वजह से रहा कि हमारी औरतों ने एक ऐसा स्टैंडर्ड क़ायम रक्खा जो उन के शायाने शान था और मुझे यह देख कर अफ़सोस होता है कि इस तरह का प्राविज़न रक्खे जाने की ज़रूरत पड़ गई। मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि कभी ऐसा भी मौक़ा आयेगा कि जब कोई औरत किसी मर्द को तलाक देगी तो वह मर्द बेचारा ऐसा गरीब, मरा हुआ सा होगा जो यह कहेगा कि मुझे बीवी से मदद दिलवाई जाये और वह मुझे गुज़ारे के लिये मआविज़ा दे ताकि मैं मुक़द्दमा लड़ सकूं और अपनी गुज़र बसर कर सकूं, मैं तो कहूंगा कि अगर कोई ऐसा मर्द है तो मेरे नज़दीक वह मर्द नहीं बल्कि मरदूद है। बड़े बड़े शहरों, जैसे बम्बई, कलकत्ता का और फिल्म स्टारों का मुझे तजुर्बा नहीं है, लाखों करोड़ों में मुमकिन है इस तरह का केस हो जाये जिस में किसी बीवी के मुक़ाबले में एक आदमी यह उम्मीद रक्खे कि बीवी से मुझे मदद दिलवाई जाये, और बीवी मेरा गुज़ारा चलायेगी, लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि हमारी सभ्यता के अन्दर और जैसी हमारी संस्कृति और रीति रिवाज रहे हैं उन के देखते हुए इस तरह का केस बड़ा ही अजीबो गरीब होगा और जो शायद अपनी आप की खुद एक मिसाल होगा। मेरा तो

मतालबा है कि हसबेंड के वास्ते इस में जो मदद का प्राविजन है, वह सारा का सारा उस दफ़ा में से निकाल देना चाहिये, उसके अन्दर यह चीज़ नहीं रहनी चाहिये कि हसबैंड को बीवी की तरफ़ से इस तरह की कोई इमदाद या फाइनेन्शियल हेल्प दी जाये।

इसके अलावा दफ़ा २४ और २५ के अन्दर चन्द एक बातें और ऐसी दर्ज हैं जो मेरे नजदीक जरूरी नहीं हैं, और बातों के बारे में तो पता नहीं कि मेरे दोस्तों की क्या राय होगी लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक़ है मै समझता हूं कि हाउस इसमें मेरे साथ होगा और मेरी आवाज में अपनी आवाज़ मिलायेगा और हसबेंड को वाइफ से मदद दिलाने वाले हिस्से को उड़ाने की मांग करेगा। हमारे ला मिनिस्टर साहब ने जब इसके ऊपर अपनी पिछली तक़रीर में ज़िक्र किया था तो उन्होंने फरमाया था कि दूसरे हाउस ने इस चीज को इस दफ़ा में रख दिया है और सेलेक्ट कमेटी ने एप्रूव कर दिया है, उन्होंने बजात खुद उस के लिये कोई जिम्मेदारी लेने से इन्कार किया और मैं अपने ला मिनिस्टर साहब को बखूबी जानता हूं कि वह अपने दिल में इस तरह के प्राविजन को एक मिनट के वास्ते भी जायज और मुनासिब समझने को तैयार नहीं होंगे और मैं चाहता हूं कि उस हिस्से को निकाल दिया जाये। दफा २५ में भी मैं समझता हूं कि यह नुक्स मौजूद है जहां कि आप कहते हैं कि औरत जब तक पारसा रहे, जब तक उस का चालचलन ठीक रहे तभी तक वह उस मेंटेनेंस सपोर्ट की हकदार होगी। मेरा अन्देशा है कि मर्द लोग इस का नाजायज फायदा उठायेंगे और वे झूठी सच्ची शिकायतें औरतों के बरखिलाफ कर देंगे कि वह औरत पारसा नहीं है, या उस का चालचलन खराब है और सिवाय इस के कि उस बेचारी औरत की बदनामी हो और उस बेचारी औरत के ऊपर सोर्ड आफ डेमोक्लीज़ लटकती रहे, और कोई नतीजा नहीं होने वाला है। कौन शख्स बदमाशी करता है या बेईमानी करता है या इसी तरह की कार्यवाही करता है, ये सब सीक्रेट चीजें हैं।

लेकिन इल्जाम लगाना बड़ा आसान है और बड़ा आसान हो जायेगा किसी भी औरत के लिये, जिस को यह हक मिला है कि उस के खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाये जायें। इसमें झूठे इल्ज़ामात लगाने की बड़ी भारी गुंजाइश है। मैं कहता हूं कि मेरे ऐमेन्डमेन्ट को आप मानें या न मानें, लेकिन उस पर तवज्जह जरूर दीजिये। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के अन्दर तरह तरह के झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाये जायें और अदालतों को उसे तय करना चाहिये। हम गुजारा दे सकें या न दे सकें, लेकिन इसके क्या माने हैं कि औरत की इज्जत पर हमला किया जाये। मुझे तो यह आइडिया ही रिपल्सिव मालूम होता है।

मैं अब जो ऐमैन्डमेन्ट मैं ने दफा २७ पर दिया है उस के बारे अर्ज़ करना चाहता हूं। यह दफा एक तरह से उन चन्द दफात में से है जो आम तौर पर आप ऐसे कानून में नहीं पाते। इसकी मुराद यह है कि जब सारे मामलात अदालत के सामने आयें और बीवी और खाविन्द में इस बात का झगड़ा हो कि एक जायदाद जिसके दोनों ज्वायंटली एन्टाइटल्ड हैं और जो शादी के वक्त दी गई उस पर क्या फैसला किया जाये। मुझे अफ़सोस है कि, मैं ने इस भवन में एक ऐमेन्डमेन्ट राइट्स आफ प्रापर्टी के मुताल्लिक पेश किया था जिस पर ग़ौर नहीं किया गया। मैं जानता था कि उस पर गौर नहीं किया जायेगा। सिर्फ एक मेम्बर ने इस तरफ देखा और वह मेरी बहन रेणु चक्रवर्ती थीं। कहा गया कि इसको

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सक्सेशन बिल में देखा जायेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें इस का निर्णय नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह सवाल ज्वायेंट प्रापर्टी का था और वह बिल सक्सेशन का है । मैं देख सकता हूं कि मैं ने जो ऐमेन्डमेन्ट दिया था कि उस पर फ़ैसला किया जाये, उस पर गवर्नमेंट ने थोड़ी भी तवज्जह नहीं दी और न ही ला मिनिस्टर ने दी । मेरी शिकायत मालूम नहीं बजा है या नहीं लेकिन में अर्ज़ करना चाहता हूं कि शादी के वक्त जो जायदाद दी जाती है उस का फैसला करने का आप हक देते हैं । शादी के वक्त जो जायदाद दी गई उस के दोनों ज्वायेंटली एन्टाइटल्ड होते हैं । फर्ज़ कीजिये कि एक आदमी की शादी होती है और शादी के बीस बरस के बाद झगड़ा होता है, इस दर्म्यान में दोनों काफी जायदाद हासिल कर लेते है, उस को भी उस में शामिल किया जाना चाहिये था, क्योंकि जो झगड़ा होता हैं वह जरूरी तौर पर शादी के ऐन बाद नहीं होता । अगर आपको ख्याल हो कि शादी हुई, डाइवोर्स हुआ और झगड़ा तय हो गया, तो ऐसा आम तौर पर नहीं होता । इसलिये मैं ने यह तरमीम पेश की है कि जो ज्वायेंट प्रापर्टी है उस का फैसला अदालत को भेजा जाये और सिविल कोर्ट में ही किया जाये । अगर आप समरी पावर्स दे देते हैं कि कोर्ट इस का फ़ैसला कर दे तो कौन सी बीवी को मिलेगी और कौन सी खाविन्द को मिलेगी सारी जायदाद का फैसला हो न कि सिर्फ शादी के वक्त दी जाने वाली जायदाद का । मेरी सिर्फ यही तरमीम है और मुझे उम्मीद है कि हाउस उस को मंजूर करेगा ।

श्री बोगावत : मैं ने खंड २५ के लिये संशोधन संख्या २०६ की सूचना दी है । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि पति को निर्वाह-व्यय नहीं दिया जाना चाहिये, किन्तु मेरा निवेदन है कि जब पत्नी कमाती हो तो वह पति को यदि वह काम करने के योग्य न हो और उस के पास कोई सम्पत्ति भी न हो तो निर्वाह व्यय दे । स्त्रियां समान अधिकार चाहती हैं किन्तु पुरुषों को भी तो समान अधिकार दिये जायें ।

यदि पति कमा नहीं सकता, या अपंगु है या कोढ़ी है और यदि उस की पत्नी के पास सम्पत्ति है या वह कमाती है तो उसे चाहिये कि ऐसा पुरुष भूखों न मरने पाये । संभव है कि किसी दुर्घटना के कारण वह अपंगु हो गया हो और अपना निर्वाह करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद के बाद उसे निर्वाह-व्यय दिया जाना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह तो समानता नहीं है । फिर आप कहेंगे कि जो भी व्यक्ति पंगु है उस का प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

श्री बोगावत : मैं तो केवल इस प्रकार की स्थिति के लिये कह रहा हूं । ऐसी दशा में ही पुरुष की सहायता की जानी चाहिये । इसीलिये मैं ने अपने संशोधन को नकारात्मक रूप में रखा है कि, "न्यायालय पति के लिये निर्वाह व्यय स्वीकृत न करें जब तक कि.....।" यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये । लोग आजकल सदा स्त्रियों का अधिकतर पक्ष लेते हैं । इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उस व्यक्ति के साथ जो अपना निर्वाह स्वयं नहीं कर सकता है अन्याय किया जाये । दरिद्र तथा असहाय पति को निर्वाह व्यय क्यों न दिया जाये जबकि पत्नी के पास सम्पत्ति हो । अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं स्त्रियों के पक्ष का समर्थन करता हूं। इंग्लैण्ड की विधि में भी पति को निर्वाह-व्यय दिये जाने का यह उपबन्ध नहीं हैं।

लेयटी जैसे प्रसिद्ध विधिवेत्ता ने अपनी पुस्तक 'डाइवोर्स' में लिखा है निर्वाह-व्यय का प्रबन्ध केवल स्त्रियों के लिये न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद होने के पश्चात् किया जाता है। यह विचार ही इतना घृणित है कि इंग्लैण्ड की विधि में इस का उल्लेख तक नहीं है।

१८५७ तक इंग्लैण्ड में धार्मिक अदालतों का प्रभुत्व था और इसके पश्चात् इंग्लैण्ड के उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय ने वह स्थान ले लिया। तब से ले कर अ तक वहां ऐसी कोई बात सुनी तक नहीं गई है। फ्रांस, जर्मनी और रूस में भी ऐसी ही स्थिति है। अतः यदि कोई हिन्दू निर्वाह-व्यय की मांग करे तो मैं उसे हिन्दू नहीं कह सकता।

इस विषय में मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के विचार का समर्थन करता हूं कि खंड २५ लोगों को अपनी पत्नियों पर आरोप लगाने और फिर विवाह-विच्छेद करा कर इस उपबन्ध का लाभ उठाने का प्रोत्साहन देगा।

संयुक्त समिति में आठ स्त्रियां थीं। उन सब ने इसका विरोध किया था कि पति को निर्वाह-व्यय दिया जाये। हम अपने देश में स्त्रियों की दशा जानते हैं। यदि श्री विस्वास यहां उपस्थित होते तो वे ऐसे उपबन्ध को कदापि स्वीकार न करते। ऐसा उपबन्ध कर के हम अपनी संसद् को उपहास का पात्र बना रहे हैं।

भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम में भी केवल स्त्री के लिये निर्वाह-व्यय का उपबन्ध है। अमरीका तथा अन्य किसी सभ्य देश म भी पुरुष के लिये इसी प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है अतः इस दिशा में हम सब से अधिक प्रगतिशील हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : मैं ने खंड २४ और २५ के लिये पांच संशोधन दिये हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री एन० सी० चटर्जी ने स्त्री-पक्ष के लिये बहुत कुछ पहले ही कह दिया है अतः मै अधिक समय नहीं लेना चाहती।

भारत में स्त्रियां जितनी पिछड़ी हुई हैं वह सब को मालूम है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सभा में स्त्री द्वारा पति को निर्वाह-व्यय देने की भी चर्चा हुई है।

स्त्रियों में बहुत कम ऐसी हैं जो उपार्जन करती हैं। प्रायः ऐसी ही स्त्रियों का विवाह-विच्छेद होगा क्योंकि अन्य स्त्रियां तो सम्पत्ति पर अधिकार ही नहीं रखती हैं। इसके अतिरिक्त जिस स्त्री को अदालत विवाह-विच्छेद की अनुमति देगी उस की ओर लोग उंगलियां उठायेंगे परन्तु पुरुष से तो कोई कुछ नहीं कहेगा। स्त्री के माथे पर कलंक का टीका लगा ही रहेगा। इस खंड से स्त्रियों के हितों को धक्का लगेगा।

सभा में यह कहा गया है कि जो स्त्री सचरित्र न रहे उस का निर्वाह-व्यय बन्द कर दिया जाना चाहिये किन्तु इस का परिणाम यह होगा कि लोग उन पर मिथ्यारोप लगा कर उन्हें इस से वंचित करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे एक विधवा युवती का पता है जिस के ससुर उसके लिये इस शर्त पर सम्पत्ति छोड़ कर मरे थे कि जब तक वह सचरित्र रहे, तब तक इस का लाभ उठा सकती है। उस के देवर ने उस पर दुश्चरित्रता का आरोप लगा कर उस सम्पत्ति को लेना चाहा। ऐसे मामले हमारी जानकारी में हैं। अन्त में मैं एक बार फिर यह निवेदन करती हूं कि ऐसे उपबन्ध को निकाल दिया

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

जाये और मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

श्री राने : मेरे संशोधन संख्या ११७, १२०, १२४, १२५, १२६ और १२८ हैं । मैं खंड २४ और २५ को जैसे वे १९५२ के मूल विधेयक में थे वैसे ही रखना चाहता हूं । पंडित ठाकुर दास भार्गव आदि ने इन खंडों की बड़ी पैरवी की है किन्तु मैं इन्हें स्त्रियों के लिये ही अनर्थकारी समझता हूं । खंड १२ और १३ भी इसी प्रकार के हैं । जो सुविधा स्त्री को इस विधेयक से मिली है वह इन खंडों द्वारा ले ली गई है ।

मेरे सभी संशोधन बहुत सरल हैं । उदाहरण के लिये विधेयक के खण्ड ३ में "विहित" शब्द की परिभाषा दी गई है । किन्तु सरकार तब तक नियम नहीं बना सकती है जब तक उसे अधिकार दिये जाने का अधिनियम में उपबन्ध न हो ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नियम तो उच्च न्यायालय बनायेगा ।

श्री पाटस्कर : इस विषय में उच्च न्यायालय ही नियम बनायेगा ।

श्री राने : किन्तु 'विहित' शब्द यहां ठीक नहीं बैठता है । मेरे विचार से विनयमन का उपबन्ध इस विधेयक के एक पृथक् खण्ड में होना चाहिये । ऐसा विशेष विवाह अधिनियम में भी है । अतः मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : निर्वाह-व्यय के सम्बन्ध में जो खण्ड है उस के विषय में मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी का समर्थन करती हूं । पुरुषों को भी निर्वाह-व्यय देने की बात सोची जा सकती है किन्तु उस से पहले स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है । न उन में शिक्षा है और न सम्पत्ति पर ही उन का अधिकार होता है । उत्तराधिकार विधेयक में अस्सी प्रतिशत स्त्रियां तो पहले ही वंचित रह जाती हैं उस के बाद जो बचती हैं उन को भी सम्पत्ति पर समान अधिकार नहीं दिया गया है । अतः निर्वाह-व्यय का उपबन्ध पुरुषों के लिये भी करना ठीक नहीं है ।

मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि यदि स्त्री के पास सम्पत्ति है तो पुरुष को निर्वाह-व्यय मिलना चाहिये । मान लीजिये एक स्त्री अध्यापिका है । उस का पति आवारा घूमता फिरता है और उन का विवाह-विच्छेद हो जाता है । ऐसी स्थिति में यदि उस स्त्री से उस पुरुष के लिये निर्वाह-व्यय मांगा जाये तो कितना अन्याय होगा ।

जितने निर्धन दम्पति हैं उन में जो भी पति अपनी पत्नियों से पृथक् हो जायेंगे उन के लिये उन की निर्धन पत्नियां, चाहे वे कमाती भी हों, फिर भी निर्वाह व्यय नहीं दे सकेंगी । संसार के किसी देश में ऐसा नहीं होता है ।

यद्यपि रूस तथा चीन की विधि में यदि माता उपार्जन करती है तो उसे बच्चों का भरण-पोषण करना पड़ता है तथापि वहां उन्हें उपार्जन की सुविधायें राज्य की ओर से दी जाती हैं जबकि हमारे देश में उपार्जन का कोई साधन नहीं है ।

चीन के विवाह अधिनियम के खण्डों को पढ़िये । उस में भी जहां वे सामन्ती अधिकारों के रूप में प्रकट हुए हैं कुछ ऐसे विशिष्ट खण्ड दिये गये हैं जिनके द्वारा स्त्रियों के तथा बच्चों के हितों की रक्षा की गई है । इसलिये मैं अनुभव करती हूं कि इस खण्ड को किसी प्रकार स्थान नहीं दिया जाना चाहिये ।

हमारे समाज में स्त्रियों का सतीत्व बहुत जल्दी सन्देह का विषय हो जाता है ।

पुरुष चाहे जो कुछ करे समाज में उस का स्थान वैसा ही बना रहता है परन्तु यदि आप किसी स्त्री को बदनाम कर दें तो समाज उस का जीवन ही दुर्लभ कर देता है। मान लीजिये विवाह-विच्छेद के बाद एक पुरुष पुनर्विवाह कर लेता है और एक नई पत्नी ले आता है। कुछ समय पश्चात् वह पत्नी कहेगी, "अरे बन्द करो इस निर्वाह व्यय को, हम क्यों एक पराये व्यक्ति का भरण पोषण करते रहें। हमारा समाज ऐसा है जो विवाह-विच्छेद की हुई स्त्री को कृपा की दृष्टि से नहीं देखता है। ऐसी स्त्री को न केवल अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करना होगा वरन् सारे समाज का सामना करना पड़ेगा। मैं समझती हूं कि सतीत्व या सतीत्व-हीनता का निर्वचन करते समय हमारे न्यायाधीश समाज के स्तर से बहुत ऊपर नहीं उठ पायेंगे। इसलिये निर्वाह-व्यय को स्त्री के सतीत्व पर निर्भर करने वाला यह खण्ड यद्यपि देखने में सीधा साधा जान पड़ता है परन्तु वास्तव में स्त्रियों के लिये बहुत ही घातक होगा। इसलिये इस खण्ड को कोई स्थान न दिया जाये।

बच्चों की अभिरक्षा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि जब कोई स्त्री अपने जीवन से उदासीन हो जाती है, कारण चाहे कुछ भी हो, तो वह अपनी सन्तान ही को अपनी आशाओं का केन्द्र बनाती है। बहुत सी स्त्रियां तो सन्तान के मोह के कारण, पति के बुरे होने और हर प्रकार का दुर्व्यवहार सहन करने पर भी सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करती है। इस सम्बन्ध में जो खण्ड है उस के समर्थकों का कहना है कि यह प्रश्न हमें न्यायालय के सद्विवेक पर छोड़ देना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि कम से कम उन मामलों में जिन में माता पागल या व्यभिचारिणी न हो कम से कम १२ वर्ष तक की सन्तान के अभिरक्षण का अधिकार माता को दिया जाना चाहिये।

श्री वेंकटरामन् : जहां तक नियम बनाने की शक्तियों का सम्बन्ध है केवल दो विषय ऐसे हैं जिन के सम्बन्ध में इस विधेयक के अन्तर्गत नियम बनाये जा सकते हैं—एक विवाहों का पंजीयन और दूसरा विवाह-विच्छेद।

खंड ८ के अनुसार विवाहों के पंजीयन के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है।

जहां तक विवाह-विच्छेद, न्यायिक संबंध विच्छेद इत्यादि का सम्बन्ध है यह उचित नहीं है कि नियम बनाने की शक्ति सरकार को दी जाये। उचित यही है कि ये नियम उच्च न्यायालय द्वारा बनाये जायें। खण्ड २१ के अनुसार व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा और इस प्रकार वही नियम लागू होंगे जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाये जायेंगे। अन्य बातों के लिये नियम विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा बनाये ही जायेंगे। इसलिये इन नियमों के न होने से इस विधेयक की उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बच्चों की अभिरक्षा का जहां तक प्रश्न है मैं यह स्वीकार करने को तय्यार हूं कि यथासंभव न्यायालय बच्चों की अभिरक्षा का भार केवल माता को ही सौंपा करे परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिन में हमें माता की भावनाओं से अधिक सन्तान के भावी कल्याण को अधिक महत्व देना होगा। जब दोनों में विरोध हो तो प्रधानता सन्तान के भावी कल्याण को दी जानी चाहिये। इस का विनिश्चय करने का पात्र न्यायालय से अधिक उत्तम और

[श्री वेंकटरामन्]

कौन हो सकता है ? इसलिये सन्तान अभिरक्षा के सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाया गया है वर्तमान परिस्थितियों में उस से अच्छा कोई उपबन्ध नहीं हो सकता है ।

मैं यह मानता हूं कि पत्नी से पति को निर्वाह व्यय दिलाना एक बिल्कुल नये प्रकार का उपबन्ध है । माननीय मंत्री ने स्वयं अपना मत इस के विरुद्ध प्रकट किया है और मैं स्वयं इस उपबन्ध के पक्ष में नहीं हूं परन्तु राज्य सभा का सत्र समाप्त हो चुका है और यदि हम इस में कोई परिवर्तन करेंगे तो तीन चार मास का विलम्ब हो जायेगा । माननीय मंत्री ने कहा है हिन्दू विधि सम्बन्धी विभिन्न विधेयकों या परिच्छदों को एकत्रित कर के वे एक हिन्दू कोड बना देंगे । मेरा सुझाव है कि वह हमें एक इस प्रकार का आश्वासन दे दें कि अवसर आने पर वह इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेंगे । और आवश्यक संशोधन करवा देंगे तो हम में से अधिकांश को सन्तोष हो जायेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन–दक्षिण) : वाद विवाद समाप्त किया जाये ।

सभापति महोदय : समापन का कोई प्रश्न नहीं है आज सभा की बैठक साढ़े छै बजे तक होगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी: जब सरकार यह निश्चय कर ही चुकी है कि वह कोई संशोधन स्वीकार करने को तय्यार नहीं है और इस सत्र में ही इस विधेयक को पारित करना चाहती है तो वादविवाद से लाभ ही क्या है ।

श्री पाटस्कर : यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि मैं अपना विचार निर्धारित कर चुका हूं । मैं इस आरोप का प्रतिरोध करता हूं यदि समापन प्रस्ताव इसी आधार पर रक्खा जा रहा है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री रघुवाचारी : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रूप में यह संयुक्त समिति से प्रतिवेदित हुआ है तथा राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है वह इस का अत्यन्त परिष्कृत रूप है तथा स्वीकार करने योग्य है । निर्वाह व्यय के खण्डों का विरोध करने वाले सदस्यों ने जो बातें कही हैं वे बहुत ही भावुकता-पूर्ण हैं, साथ ही साथ उन्होंने उक्त खण्ड की भाषा पर भी ध्यान नहीं दिया है जो इस प्रकार है "निर्वाह व्यय मांगने वाले और देने वाले दोनों की क्षमता तथा साधनों पर ध्यान देते हुए यह कहना निराधार है कि भारत में सभी स्त्रियां आर्थिक रूप से पराधीन हैं और सब पुरुष आर्थिक रूप से स्वाधीन हैं," परन्तु जब हम विधान बना रहे हैं तो हमें सभी संभावित प्रत्याशाओं के लिये उपबन्ध रखने चाहियें ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

हमें समाज में कितने ही नवयुवक ऐसे मिलते हैं जिन के पास कुछ भी नहीं होता है । धनी व्यक्ति हर प्रकार के प्रलोभन दे कर उन के साथ अपनी लड़कियों का विवाह कर देते हैं । आगे चल कर हो सकता है किसी बात को ले कर उस के ससुराल-वालों और उस से न बने और वह ववाह-विच्छेद का शिकार हो । उस समय उस की अवस्था आर्थिक परतंत्रता की होगी । ऐसा भी हो सकता है कि उसे कोई रोग हो जाये और इस कारण उस की स्त्री उस से विवाह-विच्छेद कर ले । मान लीजिये उस की स्त्री के पास सम्पत्ति हो तो ऐसी अवस्था में उस के पास जीवन निर्वाह का कोई सहारा नहीं रहेगा । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

संशोधन संख्या ३६२ मेरे विचार ता स्वीकार करने योग्य है क्योंकि हो सकता

है जिस व्यक्ति के साथ इन परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद किया जाये वह निर्वाह-व्यय पाने योग्य न हो । संशोधन ३६३ और ३६४ का मैं विरोध करता हूं । यह सिद्धान्त तो हिन्दू विधि के अन्तर्गत अब भी माना जाता ह जब किसी स्त्री को निर्वाह व्यय दिलाया जाये तो वह जिस से निर्वाह व्यय लेती है उस के प्रति पतिव्रत धर्म का पालन करे ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : मैं थोड़ी देर ही बोलूंगी, क्योंकि मेरी दो बहिनें इस विषय में काफ़ी कह चुकी हैं और कहने को बहुत ज्यादा नहीं रह गया है । मैं ने पहले भी कहा था कि यह बिल समाज के लिये अत्यन्त लाभकारी है, परन्तु इस के माथे पर एक धब्बा है और वह है स्त्रियों से एलिमनी दिलवाने की क्लाज़ । अगर यह क्लाज़ निकाल दी जाय, तो मैं समझती हूं कि इस की लाभ-कारिता और उपयोगिता चौगुनी बढ़ जायेगी । मेरी दोनों बहिनों ने इस क्लाज़ के खिलाफ जो कुछ कहा है, उन की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला कर मैं उस को मज़बूत करना चाहती हूं । जब कोई बेचारी स्त्री अपने पति को तलाक देना चाहेगी, तो उस के पास कहां से धन आयेगा, जो वह पति को खर्च करने के लिये या रखने के लिये देगी ? हमारे देश में अभी स्त्रियों को जायदाद में बराबर का हक मिलता नहीं है और उन के पास आम तौर पर कोई धन नहीं होता है यह बिल केवल उन थोड़ी सी पढ़ी-लिखी स्त्रियों के लिये नहीं है, जो नौकरी करती हैं या कमाती हैं, बल्कि यह बिल समाज भर की स्त्रियों के लिये, सब बहू-बेटियों के लिये है । इस देश में सब स्त्रियां पैसा नहीं कमाती हैं । यदि कोई स्त्री नौकरी करती भी है—टीचर वगैरह है—, तो उस के लिये तो अपना निर्वाह करना भी मुश्किल होगा । उस के लिये यह कैसे सम्भव होगा कि वह उस पुरुष को मेनटेनन्स दे, जिस को वह तलाक दे रही है । मैं इस बात को अच्छा समझुंगी कि बजाय इस के कि उस पुरुष का वह स्त्री पालन-पोषण करे, उस पुरुष के भाई, बाप अथवा उस का कुनबा उस को रखें ।

हमारे चैटर्जी साहब ने कहा कि यह कानून पहले भी था कि स्त्रियां अपने गुजारे के लिये दावा कर सकती थीं । परन्तु होता यह था कि अगर पति पांच हजार रुपये कमाता था, तो स्त्री को पचास रुपये गुजारे का हक मिलता था । मुझे मालूम है कि हमारे समाज में ऐसी स्त्री है, जिन के पति डिप्टी कलेक्टर हैं । वह अपनी स्त्री को छोड़ देते हैं और गुजारे का दावा करने पर सिर्फ दस रुपया महीना दिलाया जाता है । ज़रा ख्याल कीजिये कि आज-कल एक नौकर को भी चालीस पचास रुपया महीना मिल जाता है, लेकिन स्त्री को सिर्फ दस रुपये दिये जाते हैं । यह तो गुजारे का मज़ाक उड़ाना है । इतने रुपये को ले कर वह क्या करेगी ? इसलिये इस बात का ख्याल रखा जाय कि पति की जितनी तनख्वाह या आमदनी हो, उस के हिसाब से और हैसियत से स्त्री को गुजारा दिया जाये ताकि कम से कम वह अपना निर्वाह तो कर सके । यह समझना कि क्या हर्ज है, स्त्रियां कमाती ही हैं, मैं समझती हूं कि पौरुष के खिलाफ है । हमारे समाज की यह आदत है कि वह किसी न किसी अंग को दास बनाये रखना चाहता है । यदि आज स्त्री ऊपर उठ रही है और मुक्त होना चाहती है, तो पुरुष चाहते हैं कि हम ही दास हो कर रह जायें । मुझे तो यह बात अलाभकारी मालूम होती है । इससे हमारे समाज को बहुत ही नुक्सान पहुंचेगा और पुरुष के पौरुष और मान-मर्यादा में फर्क आयेगा ।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

मेरी बहिन ने यह भी कहा कि जब हमारी स्त्रियां अलाहिदा कर दी जाती हैं, जब उन के पति उन को छोड़ देते हैं, तो भी वे इस डर के मारे किसी न किसी तरह गुज़ारा करती रहती हैं कि उन के बच्चे उन से छीन लिये जायेंगे, और वे सब तरह के कष्ट उठा कर और बे-इज्जती सह कर भी गुजारा करती हैं। मुझे पता है कि एक स्त्री को उस का पति रोज़ पीटता था। उस के मां-बाप ने कहा कि उस को छोड़ दो, परन्तु उस स्त्री ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी 'क्योंकि ऐसा करने से मेरा बच्चा मुझ से छूट जायेगा। बहुत दफा ऐसा होता है। अभी हमारे समाज में एक स्त्री है जिस के बच्चों को उस से छीन लिया गया है और पति ने उसको निकाल दिया है। उस की सिर्फ एक ही लड़की है, जिस की आज शादी हो रही है, लेकिन उस स्त्री को उस में नहीं बुलाया गया। वह तड़पती है कि उस की इकलौती लड़की की शादी हो रही है और वह वहां नहीं जा सकती। मांओं से ज्यादा कोई अपने बच्चे को प्रेम नहीं कर सकता है। अगर पिता को बच्चों को रखने का अख्तियार दिया जाये तो भी वह स्वयं नहीं रखेगा' बल्कि किसी दूसरी स्त्री—नानी या दादी—को दे देगा, लेकिन मां से ज्यादा बच्चे का कोई हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिये यह ज़रूरी है कि जब तक बच्चा बारह बरस का न हो जाय, तब तक वह मां की कस्टडी में रहे।

इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों बहिनों को सपोर्ट करती हूं।

सभापति महोदय : हिन्दू विवाह विधेयक के खंड २४ से २८ पर निम्न सदस्यों के निम्न चुने हुए संशोधन हैं, जिन को सदस्यगण प्रस्तुत करना चाहते हैं :—

प्रस्तावक का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री राने .	२४	११७
श्री साधन गुप्त	२४	११९
पंडित के० सी० शर्मा	२४	२०३
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . .	२४	८०
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	२४	२६४
श्रीमती सुचेता कृपलानी . . .	२४	३५९
श्री राने . . .	२५	१२०
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . .	२५	८१
श्री वेंकटरामन् . .	२५	१६६
पंडित के० सी० शर्मा . . .	२५	२०४
श्रीमती सुचेता कृपलानी . . .	२५	३६१
श्री सी० आर० अय्युण्णि . . .	२५	३६२
श्री वेंकटरामन्	२५	१६७
पंडित के० सी० शर्मा	२५	२०५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२५	८२
श्रीमती सुचेता कृपलानी	२५	३६३
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२५	८३
श्रीमती सुचेता कृपलानी	२५	३६४

प्रस्तावक का नाम	खण्ड सख्या	सशोधन संख्या
श्री बोगावत	२५	३१६
श्री साधन गुप्त	२५	१२२
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२६	८४
श्री विभूति मिश्र	नया खड २६-क	४७९
श्री राने	२८	५४, १२४
श्री राने	नया खंड २८-क	२५

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्रीमती सुषमा सेन : मेरा निवेदन है कि खंड २४ को संशोधित किया जाय । ऐसे खंड को पारित करना वास्तव में इस सभा के लिये लज्जा की बात है ।

मैं खंड २५ के उपखंड (३) का भी विरोध करती हूं । इस में स्त्री के सतीत्व का निदश किया गया है । इसे भी हटा दिया जाना चाहिये नहीं तो स्त्रियों की कठिनाइयों का कोई अन्त ही नहीं रहेगा । वह तो वैसे ही पुरुषों की आर्थिक रीति से दास हैं, उन पर और संकट क्यों लादा जाये । इस तरह के खंड से तो इस विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा ।

बच्चों की संरक्षणता के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि माता ही बच्चों की उपयक्त अभिभावक होती है । अतः मेरा निवेदन है कि इस खंड को संशोधित कर दिया जाये ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि (त्रिचूर): मुझे अपने संशोधन संख्या ३६२ के सम्बन्ध में कुछ कहना है । विवाह-विच्छेद के लिये विधेयक में कई कारण रखे गये हैं, परन्तु मेरा निवेदन है कि "धर्म परिवर्तन", को निर्वाह-व्यय के भुगतान के लिये आधार न बनाया जाये । कारण यह है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी संभव है कि वह एक दूसरे के साथ ही रहना पसन्द करें । धर्म प्रत्येक व्यक्ति की भावना का विषय है इस में निर्वाह व्यय देने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य है और इस में धर्म परिवर्तन होना कोई विशेष बात नहीं है । सरकार को भला इन बातों में क्या रुचि हो सकती है । धर्म परिवर्तन कोई अपराध तो है नहीं फिर उस के लिये दंड क्यों ? यह कोई नैतिक दुराचार भी नहीं है, अतः इस के लिये दंड नहीं दिया जाना चाहिये । मेरे विचार से माननीय मंत्री को इस सुझाव को मान लेने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र : कई बार ऐसा होता है कि जब पति पत्नी को या पत्नी पति को तलाक दे देती है और उन के कुछ बच्चे होते हैं तो देखने में आया है कि न तो स्त्री और न ही पुरुष उन बच्चों की परवाह करते हैं और उन बेचारों का बहुत बुरा हाल होता है । मैं ने देखा है कि जहां पर स्त्री और पुरुष में झगड़ा हो जाता है तो बच्चों की केयर कोई नहीं करता । जहां पर तलाक की प्रथा है वहां पर जो मेरा अनुभव है उस की बिना पर मैं आप को बता सकता हूं कि स्त्री अपने बच्चों को छोड़ देती है और दूसरे पुरुष के यहां चली जाती है और उन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रह जाता है । जो ऐसा बेटा होता है उसको हमारी तरफ डगरुआ बच्चा कहते हैं । तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिये मैं ने एक एडमेंमेंट दी है और मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों की सरकार को खुद देखभाल करनी चाहिये और अपने कब्जे में ले लेना चाहिये और उन की पढ़ाई वगैरह

[श्री विभूति मिश्र]

का प्रबन्ध करना चाहिये । इस के साथ ही साथ मैं ने यह भी कहा है अगर बच्चे के पेरेंट्स उस खर्च को जोकि गवर्नमेंट उन बच्चों पर करती है उस को देने के काबिल हैं तो उन से यह खर्च भी वसूल करना चाहिये ।

मैं पाटस्कर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वे कृपा कर के मेरी इस एमेंडमेंट को स्वीकार कर लें ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के तर्कों का समर्थन करता हूं । पति को निर्वाह व्यय दिया जाना गलत है । इस का परिणाम यह होगा कि उच्श्रृंखल युवक सम्पत्ति शाली कन्याओं से विवाह कर लेंगे और फिर किसी कारण से विवाह-विच्छेद करा कर पत्नी की सम्पत्ति से हिस्सा ले लेंगे मालाबार में इस तरह के बहुत से मामले हुए हैं, अतः यदि पुरुष को यह अधिकार दे दिया गया तो स्त्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । अतः मैं इस निर्वाह व्यय सम्बन्धी खंड का विरोध करता हूं क्योंकि मुझे इन कठिनाइयों का व्यावहारिक अनुभव है ।

श्री सारंगधर दास : प्रसिद्ध लेखक किपलिंग ने एक स्थान पर लिखा है, "मादा नर की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है ।" परन्तु यह भी सभी जानते हैं कि पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक बलवान होता है और सुरक्षा तथा सहायता के लिये नारी का दामन नहीं पकड़ता है । यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस खंड में तलाक़ दिये गये पति को पत्नी से निर्वाह व्यय पाने का अधिकार दिया गया है । यह खंड विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण कल प्रारम्भ कर सकते हैं

इस के पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार, ५ मई, १९५५ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।